हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक शुक्रवार, दिनांक 8 फरवरी, 2019 को माननीय उपाध्यक्ष श्री हंस राज की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

प्रश्न काल

तारांकित प्रश्न

08/02/2019/1100/MS/AG/1

प्रश्न संख्याः 1230

श्री बलबीर सिंह वर्माः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि मेरी बहुत सारी पीने-के-पानी की उठाऊ पेयजल योजनाएं चौपाल में पैंडिंग हैं और सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग ने बहुत सारी स्कीमों में काम कर दिया है। सिर्फ बिजली के ट्रांसफॉर्मर और कनैक्शन लगाने की वजह से ये पैंडिंग हैं। मैं यह बात भी मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि एक स्कीम ऐसी है जिसमें वर्ष 2006 में काम शुरु हुआ था और वर्ष 2008 में इसमें बिजली विभाग ने 5 लाख रुपये के लगभग ऐस्टीमेट दिया। उसके बाद भी बिजली विभाग ने इसमें काम नहीं किया और वर्ष 2018 में बिजली विभाग ने 55 लाख रुपये का दुबारा इसी स्कीम का ऐस्टीमेट दिया। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह आग्रह करना चाहता हूं कि क्या यह ऐडमिनिस्ट्रेटिव ऐप्रूवल जो बिजली विभाग से एस0ओ0पी0 के लिए परपोज होती है, इसका स्कीमवार ब्यौरा देंगे? क्या कारण है कि एस0ओ0पी0 के लिए अलग-अलग स्कीमों के लिए 3 करोड़ 11 लाख रुपये की धनराशि जमा करवाने के बावजूद भी बिजली विभाग ने ये काम कम्पलीट नहीं किए तथा 13 स्कीमें बिजली के ट्रांसफार्मर और कनैक्शन की वजह से अभी भी पैंडिंग हैं?

8.2.2019/1105/जेके/एजी/1

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्रीः माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, जो वस्तुस्थिति माननीय सदस्य ने जाननी चाही है, उसमें ऐसी 13 स्कीमों के साथ 7 स्कीमें और हैं तथा टोटल 20 स्कीमें हैं। इन 20 स्कीमों में अगर हम स्कीमवाइज़ जाएं तो ऐसा महसूस होता है कि आई0पी0एच0 विभाग ने बहुत सी स्कीमों का काम बहुत बड़े पैमाने पर कर दिया है लेकिन जिस प्रकार से बिजली विभाग के पास एस0ओ0पी0 की राशि जमा करवाई जाती है, क्योंकि जब एडमिनिस्ट्रेटिव एप्रूवल और एक्सपैंडिचर सेंक्शन होती है, उसमें सारी चीजें

शामिल की जाती हैं। कुछ स्कीमें ऐसी हैं जो वर्ष 2006 की हैं, जिनकी AA&ES की हुईं, कुछ स्कीमें ऐसी हैं, जिनकी AA&ES वर्ष 2008 में हुई। जब स्कीमों की AA&ES हुई थी, उसी वक्त आई0पी0एच0 विभाग ने बहुत सी स्कीमों का एस0ओ0पी0 का पैसा जमा करवा दिया था। जितना उस वक्त बिजली बोर्ड ने अपना एस0ओ0पी0 का एस्टिमेट आई0पी0एच0 विभाग को दिया था। आई0पी0एच0 विभाग ने तो अपना काम कर दिया । बहुत स्कीमें ऐसी हैं, मैं डिटेल में स्कीमवाइज़ बताऊंगा, जिनमें 85-85 परसेंट काम किया हुआ है, 90-90 परसेंट काम किया हुआ है। हम पानी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो पैसा हमने बिजली बोर्ड के पास जमा करवाया है, वहां पर ट्रांसफॉर्मर या बिजली की लाइनें बिछनी हैं उस पर वे अभी तक काम नहीं कर रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष जी, एक नई परम्परा शुरू हो गई जो पहले एस0ओ0पी0 दिया था, उसके बाद अब रिवाइज्ड एस0ओ0पी0 दिए जा रहे हैं। अब जो रिवाइज्ड एस0ओ0पी0 दिए जा रहे हैं, वे ऐसे हैं कि जो पहले ए0ए0एण्ड ई0एस0 दी गई थी, जितनी पहले की ए0एस0एण्ड ई0एस0 पूरी स्कीम की थी उसके 75 परसेंट अमाउंट पर एस0ओ0पी0 रिवाइज्ड बना करके भेज रहे हैं। इसके बावजूद फिर भी हमने पैसा जमा करवा दिया यानि रिवाइज्ड एस0ओ0पी0 देने के बाद भी हमने पैसा जमा करवा दिया लेकिन फिर भी वे काम नहीं कर रहे हैं जो कि बहुत ही चिन्ता का विषय है। मैं, माननीय मुख्य मंत्री जी से विनम्र आग्रह करूंगा कि जो बीच की विसंगति विभाग और बिजली बोर्ड की है, उस पर जरूर चिन्तन करना चाहिए। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार एस0ओ0पी0 का एस्टिमेट बनाते हैं और आज प्राइवेट सेक्टर में जो होटल्ज़ हैं, वहां पर जो होटल मालिक हैं वे अपना ट्रांसफॉर्मर लगाते हैं और अपनी बिजली की लाइन बिछाते हैं। सारा काम अपने आप करते हैं। अगर उसकी तुलना की जाए उस दृष्टि से ऐसा लगता है कि इनके एस0ओ0पी0 के ऐस्टिमेट में और प्राइवेट सेक्टर में जो वहां काम कर रहे हैं, उसमें दिन-रात का अन्तर है। आज तो प्रतिस्पर्धा का युग है और इस प्रतिस्पर्धा के युग में बिजली बोर्ड को भी चाहिए कि

08-02-2019/1110/SS-DC/1

प्रश्न संख्याः 1230 क्रमागत

वे प्रैक्टीकल एस्टीमेट्स बना कर दें। आपने जो चिन्ता जाहिर की है मैं माननीय सदस्य जी को बताना चाहता हूं कि इसमें हमारी पहली उठाऊ पेयजल योजना टिक्करी-धनत है। हमने इस पर कहा है कि हमने अपना सब काम कर दिया है। जैसे ही बिजली बोर्ड अपना कनैक्शन देगा तो हम पानी चालू कर देंगे। हमारी इसी प्रकार की जो बाकी 13 से 20 स्कीमें हैं अगर मैं उनके नाम लेने लगूंगा तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। **मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आई0पी0एच0 विभाग की तरफ से कोई कमी या किसी प्रकार की दिक्कत नहीं रहेगी।** जो बिजली बोर्ड से दिक्कत है हमने माननीय मुख्य मंत्री जी से भी आग्रह किया है कि आप इसमें इंटरवीन करें ताकि जल्दी-से-जल्दी जितने भी हमारे बिजली बोर्ड के पास एस0ओ0पी0 जमा हुए हैं वे उसमें अपना काम करें ताकि हम आपके क्षेत्र में जो 20 स्कीमें हैं उनको हम समय रहते चालू कर सकें।

श्री बलबीर सिंह वर्माः माननीय मंत्री महोदय, मैं एक स्कीम के बारे में मामला आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। इलैक्ट्रीसिटी विभाग ने पहले उसका एस्टीमेट 5 लाख के करीब दिया था। आज 2018 में 11 गुणा ज्यादा उसका 55 लाख एस्टीमेट दिया है। 63 के0वी0 का ट्रांसफार्मर है, उसकी लाइन, खम्भे इत्यादि का एस्टीमेट इतना ज्यादा दिया कि अगर उसकी मार्किट वैल्यू भी लगाई जाए तो वह 15-16 लाख से ऊपर नहीं हो सकती। मेरी आपसे विनती है कि ये एस्टीमेट एक लैटर के माध्यम से देते हैं उसमें डिटेल बिल्कुल नहीं देते कि कितने खम्भे लगने हैं, कितनी तारें लगनी हैं, कितने रिक्वायर्ड स्विच लगने हैं, पूरी डिटेल नहीं देते हैं।

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, ज़रा थोड़ा-सा शॉर्ट करें।

श्री बलबीर सिंह वर्माः जैसे पूरे हिमाचल प्रदेश में हर जगह प्राइवेट वालों को भी इलैक्ट्रीसिटी विभाग ने अथोराइज किया हुआ है कि आप खुद इस लाइन/ट्रांसफार्मर को लगाएं और उसके बाद डिपार्टमैंट को हैंडऑवर कर दें। उसमें डिपार्टमैंट को कुछ

परसैंटेज पैसे की जमा करवानी पड़ती है और डिपार्टमैंट उसे हैंडऑवर कर लेता है। क्या आई0पी0एच0 विभाग भी खुद ट्रांसफार्मर लगाने का काम करेगा?

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्रीः माननीय उपाध्यक्ष जी, इनका बहुत अच्छा सुझाव है और हम प्रयास कर रहे हैं कि जब भी किसी स्कीम के टैंडर करते हैं तो उस टैंडर में ही हम प्रावधान कर दिया करेंगे कि जो एस0ओ0पी0 का काम है जो हम बिजली बोर्ड के हवाले करते हैं हम उसको उसी टैंडर का एक हिस्सा बनाकर उसमें शामिल कर दें। जो कंट्रैक्टर उस स्कीम को बनायेगा, वही कंट्रैक्टर उसमें बिजली की भी व्यवस्था करेगा। फिर वही कंट्रैक्टर उसको चलायेगा भी। ऐसी शिकायतें भी मिल रही हैं कि बिजली बोर्ड द्वारा जो ट्रांसफार्मर लगाये जाते हैं उनमें कई दिक्कतें भी आ रही हैं। उसमें जहां एक साल चलाने का प्रावधान है हम उस एक साल की अवधि को बढ़ाने की कोशिश करेंगे कि कम-से-कम पांच साल वह बनाये भी और उसे चलाये भी क्योंकि हमारे पास वैसे भी लेबर कम्पोनेंट की दिक्कत है। जिस स्पैसिफिक स्कीम की आप बात कर रहे हैं वह मेरे ख्याल से उठाऊ पेयजल योजना - देफ्टी-कागना-कालीधार है। इसमें वाकई में ऐसा है कि इसकी जो AA&ES हुई है वह 7.2.2006 को 80.79 लाख रुपये की हुई है। अब आप अंदाजा लगाएं कि हमने उसी वक्त 5 लाख रुपया 31.3.2008 को जमा करवा दिया। अगर बिजली बोर्ड ने उसकी सामग्री मुहैया नहीं करवाई और उसका काम शुरू नहीं किया और फिर हट करके 40-55 लाख रुपया का रिवाइजड एस्टीमेट हमारे को दे दिया तो वह हमारे लिये चिन्ता का विषय है। **इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम आपकी सारी स्कीमें के काम बड़ी जल्दी पूरा करेंगे और क्योंकि आपका वह दुर्गम क्षेत्र है उसमें बड़ी जल्दी पानी मुहैया करवायेंगे।**

उपाध्यक्षः मुझे लगता है कि विस्तृत उत्तर आ चुका है और आश्वासन भी मिल चुका है, अब मेरे ख्याल में सप्लीमेंटरी नहीं बनता है। चलो, लास्ट सप्लीमेंटरी माननीय बलबीर सिंह जी पूछ लें।

श्री बलबीर सिंह वर्माः सर, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि बाकी सारे विभागों जैसे पी0डब्ल्यू0डी0, आई0पी0एच0 इत्यादि सब जगह इलैक्ट्रीसिटी का टैंडर लगने का एक प्रॉपर प्रोसीजर है। जिसमें ठेकेदार की रजिस्ट्रेशन होती है। प्रॉपरली वह क्वालीफाई करता है या नहीं, उसकी क्या इलीजिबिलिटी है, वह सारा

सिस्टम है। लेकिन इलैक्ट्रीसिटी विभाग एक ऐसा विभाग है जिसमें किसी को भी काम दे देते हैं। जिसके पास खम्भा, बेलचा और गैंती भी नहीं है

08.02.2019/1115/केएस/डीसी/1

उसको भी 15 या 10 लाख का काम मिल जाता है। इसमें ऐसी अमैंडमैंट होनी चाहिए जिसमें ठेकेदार को योग्यता के हिसाब से काम मिले।

उपाध्यक्षः यह तो माननीय मंत्री जी ने कह ही दिया है। मेरे ख्याल में उत्तर आ ही गया है। लास्ट सप्लीमेंटरी माननीय राकेश सिंघा जी।

श्री राकेश सिंघाः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय ने बहुत अच्छा सुझाव दिया लेकिन एक पहलू छूट गया है। यह तो तय है कि बिजली बोर्ड का शॉर्ट सर्कट पूरा हो गया है और इस सरकार का भी करा देंगे वह मैं कह नहीं सकता लेकिन एक ट्रांसफॉर्मर वह बिजली विभाग का है लेकिन ये जितनी भी स्कीमें हैं, ये ऐसे स्थानों पर बनी हैं जहां पर सड़क का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए सड़क का प्रावधान भी डी.पी.आर. में शामिल कर दिया जाए तो ये स्कीमें बन पाएंगी । पानी तो ये कर लेते हैं लेकिन सड़क का प्रावधान नहीं होता। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सड़क का प्रावधान भी डी.पी.आर. में शामिल किया जाएगा या नहीं?

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्रीः माननीय उपाध्यक्ष जी, एक अच्छा सुझाव आया है। भविष्य में हम जितनी भी डी.पी.आर. बना रहे हैं, चाहे वह ब्रिक्स के माध्यम से जो हमारी स्कीमें बन रही हैं, या जो हमारे दूसरे बड़े-बड़े प्रोजैक्ट्स बन रहे हैं, वहां पर हम यह प्रावधान करने जा रहे हैं कि जहां-जहां भी हमारे पम्प हाउसिज़ होंगे, पानी को जहां से लिफ्ट किया जाएगा वहां पर जो ट्रांसफॉर्मर लगेगा और आई.पी.एच. विभाग की जो बड़ी-बड़ी मोटरें लगेंगी, बड़े-बड़े पम्प लगेंगे, उनके लिए सड़क का प्रावधान उस डी.पी.आर. का एक हिस्सा होगा। आपके सुझाव का मैं स्वागत करता हूं।

प्रश्न संख्याः 1231

श्री जिया लालः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है, मेरी जानकारी के अनुसार यह बिल्कुल गलत है क्योंकि यह जो बैंक है, पूर्व सरकार ने एक पूर्व मंत्री के घर में खोला है और तीसरी मंजिल में खोला गया है। किसी को पता भी नहीं है कि यह बैंक है भी या नहीं और दूसरा जो कहा गया कि इसमें 400 लोगों के खाते खोले गए, आज से तीन महीने पहले मैंने वहां के मैनेजर से पूछा तो उन्होंने बताया कि यहां पर एक भी खाता नहीं खोला गया है और जितना किराया दिया गया है, मेरी जानकारी के अनुसार इतना पैसा वहां पर जमा भी नहीं हुआ और यह किराया पूर्व मंत्री को दिया गया होगा। तो मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि ये जो सूचना दी गई है, यह पूरी तरह से गलत है और मुझे एक सूची यह भी चाहिए कि किन-किन लोगों को लोन दिया गया है और किन-किन लोगों को खाते दिए गए हैं? यह सूचना मुझे कब तक दे दी जाएगा, इसका मैं माननीय मंत्री महोदय से आश्वासन चाहता हूं।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रीः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा कि पूर्व मंत्री के घर पर यह बैंक खुला है, मेरी जानकारी के अनुसार यह सूचना सही नहीं है। इस बिल्डिंग के मालिक श्री श्रवण कुमार, सुपुत्र श्री राजू राम हैं। इनका भवन किराये पर लिया गया है। 1990 में यह शाखा शुरू हुई थी। विभाग ने जो जानकारी दी है, और सम्माननीय सदस्य जिस प्रकार से कह रहे हैं, कि वहां पर न कोई खाता खुला है और न कोई डिपोज़िट हुआ है, न ही शाखा के द्वारा कोई लोन दिया गया है, विभाग ने जो जानकारी उपलब्ध करवाई है, उसके मुताबिक मैं माननीय सदस्य को अवगत करवाना चाहूंगा कि वर्ष 2015-16 में बैंक शाखा द्वारा 2 लाख 35 हजार कुल लोन दिया गया और

8.2.2019/1120/av/hk/1

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री---- जारी

डिपोजिट 30.75 लाख रुपये आया। वर्ष 2016-17 में 2.69 लाख रुपये लोन दिया गया और 36.73 लाख रुपये डिपोजिट हुए। वर्ष 2017-18 में 2.25 लाख रुपये लोन दिया गया और 39.98 लाख रुपये डिपोजिट किए गए। दिनांक 1.4.2018 से 31.1.2019 तक 3.91 लाख रुपये लोन दिया गया और 42.36 लाख रुपये डिपोजिट हुए। विभागीय सूचना गलत नहीं हो सकती और यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। मुझे मालूम नहीं कि माननीय सदस्य ने किस माध्यम से यह सूचना ली है। **आप मुझे उस माध्यम के बारे में अवगत करवाएं, मैं इस बारे में छानबीन कर लूंगा।** इसके अतिरिक्त जो किराये की बात कही है मैं उसके बारे में माननीय सदस्य को अवगत करवाना चाहूंगा। आपने तीन वर्ष के आंकड़े मांगे हैं और इन तीन वर्षों के दौरान कुल मिलाकर 1.95 लाख रुपये किराये के तौर पर दिए गए हैं। यह किराया वर्ष 2016 से अभी तक 5000 रुपये प्रति माह के हिसाब से दिया जा रहा है। तीन वर्ष के उपरांत रैंट एग्रीमैंट के मुताबिक जो राशि बढ़ानी बनती है वह बैंक ने बढ़ाई भी है। लेकिन वह बढ़ी हुई राशि उसके खाते में नहीं दी जा रही है क्योंकि मकान मालिक के द्वारा रैंट एग्रीमैंट नहीं किया गया है। इस बारे में एक बार ऐडवर्टाईजमैंट भी की गई। आपने जैसे **यहां पर सूचना दी है कि इस बैंक की शाखा बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर स्थित है, इसको भी हम वैरिफाई करवा लेंगे**। इसका लीज एग्रीमैंट नहीं हुआ है। दिनांक 15.6.2018 को इसमें कोटेशन्ज मांगी गई थी। इसमें न्यूनतम रेट उसी शख्स ने कोट किया था जिसकी बिल्डिंग में यह बैंक की शाखा स्थित है। उस शख्स ने 21 हजार रुपये रेट कोट किया था जो कि न्यूनतम रेट था। लेकिन यह राशि बैंक को फिर भी ज्यादा लगी। बैंक ने उनके साथ बातचीत की है मगर अभी तक उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनके साथ हम एक बार पुनः बातचीत करेंगे। अगर वे 21 हजार रुपये से कम आते हैं और वह राशि बैंक को उपयुक्त लगती है तो ठीक है, बैंक उसको कन्टिन्यू कर सकता है। लेकिन यदि बैंक को वह राशि उपयुक्त नहीं लगी और वह शख्स हमसे बातचीत नहीं करेगा तो उसको हम रीऐडवर्टाईज करेंगे। हम जब रीऐडवर्टाईज करेंगे तो उसमें दूसरे लोग अप्लाई कर सकते हैं और उसमें जो न्यूनतम

किराया कोट करेगा उसकी बिल्डिंग में यह बैंक शिफ्ट कर दिया जायेगा, ऐसा मैं बोलना चाहता हूं।

श्री जिया लाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर जैसे माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि वह मकान किसी और का है, तो हो सकता है कि वह कोई बेनामी सम्पत्ति हो। उस मकान के ऊपर आज भी अमित गैस्ट हाऊस के नाम से एक फट्टा लगा हुआ है जो कि माननीय पूर्व मंत्री जी का बेटा है। यहां पर माननीय मंत्री जी ने जो राशि की जानकारी दी है तो यह बैंक वर्ष 1990 से चला हुआ है। मेरा घर उस बैंक से 50 मीटर की दूरी पर है और यह बैंक उन्हीं के घर पर है। वहां पर कोई भी राशि जमा नहीं हुई है। वहां पर आज न मेनेजर है, न क्लर्क है, न स्वीपर है और न चपड़ासी है; वहां पर उस बैंक में ताला लगा हुआ है।

उपाध्यक्ष : आप इस बारे में विस्तृत सूचना माननीय मंत्री जी को लिखित रूप में दे दें।

श्री जिया लाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहता हूं कि इसकी स्पोट इंसपैक्शन की जाए।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा मन्तव्य किसी भी प्रकार से किसी को डिफैंड करना नहीं है। मुझे विभाग की ओर से जो जानकारी उपलब्ध हुई है मैं उसको यहां मान्य सदन में रख रहा हूं। यहां पर माननीय सदस्य जी कह रहे हैं कि वहां पर कोई भी कर्मचारी नहीं है। यह एक सहकारी बैंक की शाखा है और प्रदेश में सहकारी बैंक का एक दर्जा है। विभागीय सूचना के मुताबिक वर्तमान में वहां पर एक असिस्टैंट मेनेजर, दो क्लर्क्स, एक सेवादार और एक पार्टटाइम वर्कर कार्यरत्त है। लेकिन फिर भी मैं माननीय सदस्य को जैसे इन्होंने कहा कि वह एक बेनामी सम्पत्ति भी हो सकती है, तो वह एक अलग जांच का विषय है।

08/02/2019/1125/टी0सी0वी0/ए0के0/1

मैं माननीय सदस्य को अवगत करवाना चाहूंगा कि जो उनकी आशंकाएं हैं, उस संदर्भ में सारे फैक्ट्स को फिर से वैरिफाई करवा लेंगे। इन्होंने गैस्ट हाउस की भी बात की है, वह

गैस्ट हाउस किराए पर भी हो सकता है। मुझे मालूम नहीं कि उसकी क्या स्थिति है? इसके बारे में इनको ज्यादा जानकारी हो सकती क्योंकि ये बिल्कुल इनके पड़ोस में है। इनके पास जो फैक्ट्स हैं, हम उनको भी वैरिफाई कर लेगें और बैंक की जो वर्तमान स्थिति है, उसको भी हम वैरिफाई कर उसकी जांच करवा लेंगे। इसमें किसी भी प्रकार से तथ्यों को छुपाने का हमारा कोई प्रयास नहीं है और न ही हमारी कोई मंशा है। आपकी आशंकाओं को भी हम निर्मूल करने का हम प्रयास करेंगे, ये मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूं।

<u>प्रश्न संख्याः 1232</u>

श्री मुकेश अग्निहोत्री (प्राधिकृत): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये चम्बा मेडिकल कॉलेज से जुड़ा हुआ सवाल है और इस कॉलेज की हालत आजकल हररोज़ ही बयां हो ही है। यहां पर इसका जो जवाब आया है, उससे तो साफ जाहिर है कि कहीं मेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया इसको डि-रेकोग्नाइज ही न कर दें। अखबारों में भी इसके बारे में हररोज खबर लग रही है। यहां पर प्रोफैसर की कुल 23 पोस्टें हैं और 5 पोस्टें भरी हुई है। एसोसिएट प्रोफैसर की 24 पोस्टें है, जिनमें से 9 भरी हुई हैं। असिस्टेंट प्रोफैसर की 43 पोस्टें हैं और 18 खाली हैं। जूनियर रेजिडेंट की 58 में से 48 पोस्टें खाली हैं। यहां पर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर नहीं है। रेडियोग्राफर 6 में से एक है और डार्करूम असिस्टेंट के 5 पद स्वीकृत है लेकिन एक भी पद भरा हुआ नहीं है। इसी प्रकार से बल्ड बैंक टेक्निशियन 6 में से एक भी नहीं है। ई0सी0जी0 टेक्निशियन के चारों पद खाली हैं और एक्सरे टेक्निशियन के सभी पद खाली है। चीफ फार्मासिस्ट के भी सभी पद खाली हैं और फार्मासिस्ट 22 में से 8 हैं। सीनियर लैबोरेटरी टेक्निशियन के 22 में 4 पद हुए हैं और स्वीपर के 38 पदों में से 36 पद खाली हैं। आप ये मेडिकल कॉलेज कैसे चला रहे हैं। आपने जो आंकड़े रखे हैं, ये एक चिंता का विषय है। क्या आपकी इस मेडिकल कॉलेज को चलाने की आपकी मंशा भी है? ये मेडिकल जिस कैंपस में चल रहा है, वह हैरिटेज बिल्डिंग है और उसकी रेस्टोरेशन होनी है। इसके लिए लैंड उपलब्ध है और आपने कहा

कि इसके लिए 69 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं तो क्या इस मेडिकल कॉलेज को बन्द करने की आपकी कोई राजनीतिक मंशा है? एक प्रिंसीपल आपने सस्पेंड कर दिया और दूसरा प्रिंसिपल आपका रिजाइन कर गया। पूर्व केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने पिछड़ा जिला सोचकर इस कॉलेज को दिया था। आप कब इस कॉलेज का नया भवन बनाएंगे, कब इसके लिए स्टाफ उपलब्ध करवाएंगे? ऐसे तो कोई दवाख़ाना भी नहीं चलता है, जैसे आप मेडिकल कॉलेज चला रहे हैं।

08-02-2019/1130 /NS/YK /1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो बहुत विस्तार से उत्तर दिया गया है। लेकिन फिर भी माननीय सदस्य ने जो जानना चाहा है तो मैं आपके माध्यम से माननीय सदन और माननीय सदस्य को अवगत करवाना चाहता हूं। एक तो माननीय सदस्य ने कहा कि ऐसा तो दवाखाना भी नहीं होता है जैसे चंबा में पंडित जवाहर लाल नेहरू महाविद्यालय है। वर्ष 2016 में इस महाविद्यालय को भारत सरकार ने अनुमति दी है। अनुमति मिलने के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार ने सारी औपचारिकताएं पूरी की हैं। वे चाहे हैरिटेज़ बिल्डिंग की बात हो या एम0सी0आई के दौरे की बात हो। एम0सी0आई0 ने एक बार नहीं बल्कि तीन बार दौरा किया और इसी के बाद ही क्लासिज़ बिठाने की अनुमति दी है। मैं आपके ध्यानार्थ यह भी बताना चाहता हूं कि लगभग 4 महीनों के बाद एम0सी0आई0 हर मेडिकल कॉलेज का दौरा करती है। जब एम0सी0आई0 की टीम आती है तो न हमारे विभाग को पता होता है और न ही प्रदेश सरकार को पता होता है। यह औचक निरीक्षण के लिए आते हैं और कौन-से कॉलेज मोनीटर होंगे, यह भी हमें जानकारी नहीं होती है। माननीय सदस्य ने जो पूछा है उस बारे में जानकारी देना मेरा धर्म है। इसलिए जो मेडिकल कालेज, चंबा चल रहा है, वह अधिकतर नॉर्म्ज को फुलफिल कर रहा है। भारत सरकार ने चंबा को एस्पिरेशनल जिला घोषित किया है। यानी हिंदुस्तान के जो पिछड़े जिले हैं, उनमें से चंबा पिछड़ा जिला है। माननीय सदस्य ने वहां पर प्रोफैसर्ज़, एसोसिएट प्रोफैसर्ज़ और एसिस्टैंट प्रोफैसर्ज़ के बारे में चिंता प्रकट की है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो जो नये मेडिकल कॉलेजिज़ खुले हैं, वहां के प्रिंसीपल को अधिकृत किया गया है कि वे वाक-इन-इंटरव्यू करवायें और एम0सी0आई0 के नॉर्म्ज़ के

हिसाब से जो एसोसिएट प्रोफैसर्ज़ और एसिस्टैंट प्रोफैसर्ज़ आदि आते हैं, उनको वे नियुक्ति दें। लेकिन इसमें उपस्थिति कम रही है। मैं अभी इसको रिकार्ड में लाना चाहता हूं। एस्पिरेशनल जिला की गंभीरता को समझते हुए कि अभी हाल ही में कैबिनेट ने 15 एसिस्टैंट प्रोफैसर्ज़ की नियुक्ति के लिए मंजूरी दी है। हमने इसकी रिक्वीजिशन हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिमला को दे दी है और इसी महीने इंटरव्यू होने वाले हैं।

दूसरा, अब एक चैनल है और उसके हिसाब से हम एसिस्टैंट प्रोफैसर तो रख सकते हैं लेकिन एसोसिएट प्रोफैसर या प्रोफैसर परमोशन से ऊपर आते हैं। विभाग ने पिछड़े जिला और कॉलेज की गंभीरता को देखते हुए रिलैक्सेशन ली और एसोसिएट प्रोफैसर, प्रोफैसर और एसिस्टेंट प्रोफैसर के लिए 55 पदों की मंजूरी मिली है। भविष्य में इन पदों को भी हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से भरा जाना है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिम्मेवारी पूर्वक आपके माध्यम से इस सदन में इस बारे में कह रहा हूं।

तीसरा, माननीय सदस्य ने कहा कि इस कॉलेज में प्रिंसीपल छोड़ करके चला गया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रिंसीपल छोड़ करके नहीं गया है लेकिन उसने वहां पर क्या किया है और उसकी क्या कारगुज़ारी रही हैं यदि हम यहां पर उसको राजनीति के हथियार के रूप में प्रस्तुत करें तो ऐसे लोग बहुत से लोगों को अच्छे लगने लगते हैं। --- (व्यवधान)--- मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रिंसीपल की सस्पेंशन के पीछे बहुत से कारण हैं। वहां पर जो परचेज़िज हुई हैं, इनको करने के लिए उसने कहीं से परमिशन नहीं ली है। कुछ परचेज़िज ऐसी की हैं, जिनकी कोई जरुरत नहीं है। वहां पर

08.02.2019/1135/RKS/YK-1

उस हैरिटेज बिल्डिंग की मरम्मत इतनी ज्यादा कर दी गई जिसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को भी नहीं है। अगर उसे सस्पैंड किया गया है तो उसके ऊपर गंभीर आरोप है और उसकी जवाबदेही निश्चित करने के लिए एक विभागीय जांच गठित की गई है। माननीय सदस्य, श्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने बताया कि जिस प्रिंसिपल को नियुक्त किया है वह शायद त्याग पत्र देकर चला गया। मैं आपको बात दूं कि आपको इसकी जानकारी नहीं है। श्रीमान पुरी वहां पर प्रिंसिपल के रूप में काम कर रहे हैं। आपने जिक्र किया कि '69 करोड़

रुपये की राशि' आई है। भारत सरकार ने उस समय 90:10 में यह योजना शुरू की थी। इसमें 90 प्रतिशत शेयर भारत सरकार का है और 10 प्रतिशत प्रदेश सरकार का। यदि मैं चम्बा कॉलेज की बात करूं तो इसके लिए सरोल में लगभग 101 बीघा जमीन स्वास्थ्य विभाग के नाम ट्रांसफर हो चुकी है। इसके लिए पर्याप्त पैसे का प्रावधान भी हो गया है और लगभग 189 करोड़ रुपये अलग-अलग मदों में खर्च किए जाएंगे। इसी महीने वहां पर उस भवन का शिलान्यास कर दिया जाएगा और इसके लिए हमने माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह किया है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जहां पर यह अस्पताल चल रहा है वह बहुत ही कंजस्टिड एरिया है इसलिए हम इसे सरोल की तरफ शिफ्ट करना चाहते हैं ताकि वह 250 बैडिड अस्पताल बने और भविष्य में इसे अपग्रेड कर 500 बैडिड तक किया जाए। वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक हो और टीचिंग क्लासिज भी लगे, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जो डा. पुरी ने स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के लिए आवेदन किया था उसे हमने रिजैक्ट कर दिया है। जो माननीय सदस्य ने जानना चाहा है वह सारी सूचना मैंन इनके समक्ष रख दी है।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं जबकि इस मैडिकल कॉलेज के हालात पूरे प्रदेश के सामने हैं। आप कह रहे हैं कि जब एम.सी.आई. की टीम आती है तो किसी को पता नहीं होता। क्या यह टीम गोपनीय तौर पर आती है? सबको पता होता है कि एम.सी.आई. की टीम आ रही है। लेकिन उससे पहले आप एक कॉलेज के प्रोफैसर को दूसरे कॉलेज और दूसरे कॉलेज के प्रोफैसर को तीसरे में बदल देते हैं। मैं एम.सी.आई. के विवाद में नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के सभी मैडिकल कॉलेज सही ढंग से सरवाइव करें। इस समय कॉलेज में फैकल्टी की पौने दो सौ पोस्टें खाली हैं जबकि इन प्लेस कुल 75 पोस्टें हैं। डाक्टर्ज, रेजिडैंट्स और प्रोफैसर्ज की इतनी पोस्टें खाली हैं और आप कह रहे हैं कि यह कॉलेज मानदंडों के मुताबिक चल रहा है। इन 75 पोस्टों में भी यह मालूम नहीं कि वे इन पोजिशन है या नहीं। यह एक पिछड़ा जिला है और यहां मैडिकल कॉलेज सरवाइव

करें, इसके लिए आपको इफैक्टिव कदम उठाने चाहिए। मैं यह जानना चाहूंगा जो फैकल्टी कि पौने दो सौ पोस्टें खाली हैं उन्हें आप कब तब भरेंगे? दूसरा, क्या आप इस कॉलेज के शिलान्यास के लिए चुनाव का इंतजार कर रहे हैं? विभाग के पास पैसे का प्रावधान है और इसके लिए जमीन भी ट्रांसफर हो चुकी है। इसलिए मेरा आग्रह है कि आप जल्दी से इसका शिलान्यास करवाएं और इस भवन का काम शुरू किया जाए ताकि जिस मंशा से इस कॉलेज को बनाया गया है वह पूरी हो। फैकल्टी के बारे में भी आप जरूर सोचें क्योंकि पौने दो सौ पोस्टें खाली होना बहुत गंभीर विषय है।

08.02.2019/1140/बी0एस0/ए0जी0-1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : माननीय सदस्य ने जो चिंता प्रकट की है उस संबंध में मैंने प्रश्न के उत्तर में कहा भी है कि लगभग 15 असिस्टैंट प्रोफैसर्ज इसी महीनें भरे जाएंगे। दूसरा एसोसियेट प्रोफैसर्ज और प्रोफैसर्ज का लगभग 53 का जो आंकड़ा है उसकी भी मंजूरी हमें मिल चुकी है।

तीसरा मैं यह बताना चाहता हूं कि जो शेष पद खाली रहेंगे उनके बारे में भी हम चिंतित हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में यह सारी बात है। इन पदों को जल्द-से-जल्द भरने की कोशिश हम करेंगे।

जहां तक आपने गरिमा की बात की है, गरिमां का तो हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे। क्योंकि संस्थान का नाम ही "पंडित जवाहर लाल नेहरू आयुर्विज्ञान" है यह महा विद्यालय है इसलिए हम इसका पूरा ध्यान रखेंगे। जहां तक चुनावों की बात आई है, मैं बता देना चाहता हूं कि चुनावों से हमारा कोई सरोकार नहीं है। आपने कहा कि आप चुनावों का इंतजार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है इसमें भूमि संबंधी कुछ विषय थे वह सारे पूरे हुए हैं इसलिए जल्दी-से-जल्दी शिलान्यास यहां होगा। आपने पैरामैडिकल स्टाफ की भी बात कही है । बहुत सारी पोस्टें हमने चयन आयोग हमीरपुर को भी भेजी हैं इनकी सारी प्रक्रिया पूरी हो रही है इसलिए जब वह प्रक्रिया पूरी होगी तो पद भर दिए जाएंगे।

श्री पवन नैय्यर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि चम्बा मैडिकल कालेज में स्टाफ की बहुत कमी है फिर भी वहां से डैप्यूटेशन पर स्टाफ को यहां से वहां भेजा जा रहा है हालांकि उनकी तनख्वाह उसी कालेज से निकल रही है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वहां जितनी भी स्टाफ डैप्यूटेशन में यहां से वहां हुआ है उनके आदशों को कैंशिल करेंगे ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : माननीय सदस्य पवन नैय्यर जी वहां के स्थानीय विधायक हैं मैं इन्हें बताना चाहता हूं कि वहां अगर इस तरह के डैप्यूटेशन में स्टाफ गया होगा उनके आदेशों को हम तुरंत कैन्सिल करेंगे।

प्रश्न संख्याः 1233

श्री सुख राम : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो सूचना दी गई है उसके अनुसार वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पिपलीवाला और नघेता में उनके प्राक्कलन बन करके प्रशासनिक स्वीकृति दे चुके हैं। उसमें मात्र एक लाख रूपया और 4.7 लाख रुपये का प्रावधान है । जब तक 30 प्रतिशत बजट इन कार्यों के लिए नहीं दिया जाएगा तब तक टैंडर नहीं लग सकते। ये दोनो विद्यालय बहुत पुराने हैं। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पीपलीवाला पिछले 8 वर्ष से कार्यरत है और नघेता की पाठशाला पिछले 15 वर्षों से कार्यरत है । इन भवनों की हालत ऐसी है कि जब बरसात होती है तो बच्चों को छुट्टी करनी पड़ती है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यह 30 प्रतिशत पैसा कब तक प्रदान कर दिया जाएगा ताकि इनके टैंडर की प्रक्रिया पूरी की जा सके। नम्बर दो में आपने कहा कि अजौली स्कूल में 20 कमरे हैं। यह कमरे बहुत छोटें है और पुराने हैं । अभी यहां पर वाणिज्य शंकाए की कक्षा भी स्वीकृत हो चुकी है । वह भी इसी वर्ष से शुरू हो जाएंगी। तो क्या आप पुनः इसकी रिपोर्ट बना कर जितने कमरों की यहां पर जरूरत है उन कमरों को उपलब्ध करने की कृपा करेंगे? इसके साथ ही जो जामनी वाला का स्कूल है वह 15 वर्ष पुराना स्कूल है, विद्यार्थीयों

की संख्या भी अच्छी है । वहां पर कला शंकाएं और वाणिज्य शंकाए की कक्षा बैठ रही हैं । वहां भी विद्यार्थी बाहर बैठने को मजबूर हैं। उसका भी प्राक्कलन तैयार करने के लिए विभाग को बोला गया है। क्या सरकार इनका प्राक्कलन तैयार करके अगले वित्तीय वर्ष में इन विद्यालयों के लिए उचित राशि उपलब्ध करवा दी जाएगी ? ताकि बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए बरामदों में न बैठना पड़े।

प्रश्न संख्या.1233 क्रमागत्

शिक्षा मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी ने जो वरिष्ठ माध्यमिक पठाशाला पिपलीवाला और वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नघेता के भवनों के बारे में कहा है। पिपलीवाला का पूरा ऐस्टीमेट 61,79,000/-का है और नघेता का 72,96,000/-रूपये का है । इसमें यह ठीक है की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है और एक लाख रूपये पिपलीवाला के लिए और 4,07,000/-रूपये नघेता के लिए दे दिए गए है। जहां प्रशासकीय स्वीकृति दी जाती है वहां कुछ न कुछ पैसा जमा होता है । विभाग की कोशिश यह रहती है उनको पहले निर्माण हेतू पैसा दिया जाए। इसमें जो लोक निर्माण विभाग की जो कंडिशन है 30 प्रतिशत की, हम प्रयत्न करेंगे कि इसी वर्ष का जो यह 30 प्रतिशत पैसा दे दिया जाए ताकि यह कार्य शुरू हो जाए । जहां तक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला अजौली का सवाल है वहां कुल विद्यार्थियों की संख्या 187 है और उसमें 20 कमरे उपलब्ध हैं। विभाग के जो हमारे जिला सिरमौर के शिक्षा उपनिदेशक है इसके लिए हम उन्हें कहेंगे कि वह इसका निरीक्षण कर लें । अगर यहां पर कला संकाय के अतिरिक्त विज्ञान या कॉमर्स की क्लासिज जो शुरू होनी है वह कमरे कम पड़ रहे हैं तो उसका वह पुनः निरीक्षण करके रिर्पोट विभाग को भेजे ताकि हम इस पर दोवारा से विचार कर सकें कि इसमें कितने कमरे और चाहिए और किस प्रकार से भवन का पुनः निर्माण हो सकता है। एक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला निहालगढ़ है उसके के लिए हमने दिनांक 12.11.2018 को प्रधानाचार्य को अतिरिक्त भवन निर्माण के लिए दोवारा से प्रस्ताव भेजने के

लिए निर्देश जारी किए गए है और वह जल्द-से जल्द प्राक्कलन बनवाकर के भेजे तो हम इस पर भी विचार करेंगे । और वैसे भी विद्यालय के भवन जो है वे सभी स्थानों पर अवश्यकता अनुसार बनाये जाते हैं और यह जो हमारा बजट रहता है उसमें उपलब्धता कितनी रहती है, उसके आधार पर निर्भर करता है क्योंकि पूरे प्रदेश में 18 हजार विद्यालय है प्राइमरी से लेकर वरिष्ठ माध्यमिक तक, तो इन भवनों का निर्माण करने के लिए जो हमारा बजट एस्टीमेट होते है, अधिकांश शिक्षा विभाग का बजट सेलरिज़ में जाता है और भवन निर्माण के लिए बहुत कम पैसा रहता है । इसलिए माननीय सदस्य जी को मैं यह बताना चाहूंगा कि पिछले वर्ष माननीय मुख्यमंत्री श्री जय राम ठाकुर जी ने एक स्कीम शुरू की है " अखण्ड शिक्षा ज्योति, मेरे स्कूल से निकले मोती" यहां मुख्य रूप से आप जैसे इन विद्यालयों से जो निकले हुए मोती हैं । आप अपने-अपने विद्यालयों में इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए कुछ न कुछ अपना योगदान दें , उस विद्यालय से प्राप्त शिक्षा के रूप में उसको पे बैक करे। यह सारे विश्व में इस प्रकार होता है। यह स्कीम भी इसी आधार पर बनाई गई है तो मेरा निवेदन इस माननीय सदन के सभी सदस्यो से रहेगा कि आप अपने-अपने स्कूल के सब मोती हैं इसमें मदद करेंगे तो इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में आसनी होगी और जल्दी भी बन पाएगा नहीं तो जितना धन उपलब्ध रहता है उसके अनुसार हम कोशिश करते हैं कि हर विधान सभा क्षेत्र में कुछ न कुछ भवन आवश्यकतानुसार वहां पर बनते रहे लेकिन इतना बड़ा विभाग है इतनी बड़ी संख्या में विद्यालय हैं उनके लिए पैसों की बहुत ज्यादा आवश्यकता रहती है, जो हम सभी जानते हैं तो उसमें समय लगेगा। लेकिन आपने जिन विद्यालयों के नाम लिए है उन पर जो मैंने कहा है उस आधार पर हम कार्यवाही करेंगे।

08/02/2019/1150/RG/DC/1

प्रश्न सं.1234

श्री राजिन्द्र गर्ग : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन्होंने सीर खड्ड के तटीयकरण के लिए 4,893 करोड़ रुपये की स्वीकृति करवाई है, इसके लिए मैं इनका बहुत-बहुत आभार व्यकत करता हूं। इसके साथ ही मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने इसमें जो दर्शाया है कि इसको तृतीय चरण में सम्मिलित करेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि इसका तृतीय चरण कब तक आएगा? इसके तटीयकरण की बहुत आवश्यकता है क्योंकि लोगों की जान-माल का हमेशा खतरा बना रहता है और हम चाहते हैं कि यह कार्य जल्दी-से-जल्दी हो। इसलिए यह तृतीय चरण कब तक आएगा, यह कब तक चालू होगा और कब तक पूरा होगा? मैं इसकी जानकारी चाहता हूं।

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष जी, सीर खड्ड एक बहुत बड़ी खड्ड है जो सरकाघाट से शुरू होती है और यह तीन भागों में बंटी हुई है। इसका प्रथम चरण बरच्छावाड़ से जाहू तक, द्वितीय चरण जाहू से बम्म तक और इसका तृतीय चरण बम्म से बलघाड तक है। इसमें पहले और तृतीय चरण का काम तो अभी शुरू ही नहीं हुआ है। लेकिन जो दूसरा जाहू से बम्म तक का चरण है, उसके लिए 23.17 करोड़ रुपये स्वीकृत हुआ था जिसमें 14.26 करोड़ रुपये खर्च किया गया। माननीय सदस्य कहेंगे कि बाकी पैसा कहां गया? तो यह भारत सरकार का पैसा था, इस पैसे में जो रिचिज़ उसमें ली गई थीं, आर.डी. ली गई थीं, उन-उन आर.डीज़. पर काम किया गया। कुछ आर.डीज़. में लैण्ड डिस्प्यूट हो गया और यह इतना बढ़ गया कि वह न्यायालय तक चला गया। हमने प्रयास किए कि जो डिस्प्यूटिड प्वाइंट्स हैं, उनको छोड़कर दूसरी जगह लगा देते हैं, लेकिन भारत सरकार इसके लिए राजी नहीं हुई। फिर हमने देखा कि हिमाचल प्रदेश में केवल मात्र एक सीर खड्ड ही नहीं बल्कि यहां अनेकों नालें, खड्डें और नदियां हैं जोकि बरसात के दिनों में बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। जिस प्रकार से सीर खड्ड से भी नुकसान हुआ है। इसलिए हमने एक वृहत योजना बनाकर भारत सरकार को प्रेषित की, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में Department of Economic Affairs में हमने 4893 करोड़ रुपये की योजना, आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र आग्रह किया और Department of Economic Affairs में जो स्क्रीनिंग कमेटी है, उसने उसको स्वीकृति प्रदान कर दी। अब उसकी जो ओपचारिकताएं हैं, जो माननीय

सदस्य की चिन्ता है और यह केवल मात्र एक सदस्य की चिन्ता नहीं है, यह इस सदन में बैठे हुए सभी सदस्यों की अपने-अपने चुनाव क्षेत्रों के बारे चिन्ता है, उस दृष्टि से मैं माननीय सदन में कहना चाहता हूं कि जो ए.आई.आई.बी. बैंक है, जिनको भारत सरकार ने फण्डिंग के लिए यह प्रेषित किया हुआ है, अभी 28 तारीख से लेकर 31 तारीख तक उनकी एक टीम यहां आई हुई थी। जो स्वां चैनलाइजेशन हुआ है और जो कुछ उसमें काम चला हुआ है, वहां से होकर आने वाले समय में जहां-जहां हमारे प्रस्तावित फ्लड मैनेजमेंट के काम होने हैं, वहां-वहां वह टीम गई और स्वां चैनेलाइजेशन का काम देखकर वे बहुत सन्तुष्ट हुए

08/02/2019/1155/MS/DC/1

और वहां से आकर फिर उन्होंने कहा है कि हम हिमाचल प्रदेश में इस काम को देकर बिल्कुल संतुष्ट हैं। अगली बार एक कन्सल्टैंट उनका होगा और एक हमारा होगा। जैसे ही कन्सल्टैंट की नियुक्ति होगी, उसके बाद फिर इसकी डी0पी0आर0 का काम शुरु होगा। जो फॉरेन फण्डिंग प्रोजेक्ट होते हैं उनमें पहले वे प्रथम चरण लेते हैं और फिर तीन-चार चरणों में उसे ले जाते हैं। लेकिन यह शायद पहला प्रोजैक्ट होगा, जिसमें बैंक ने यह मान लिया है कि हम प्रथम और द्वितीय चरण दोनों के लिए जो लगभग 3132 करोड़ रुपये का प्रोजैक्ट है, के लिए एक-साथ पैसा स्वीकृत कर देंगे। जैसे-जैसे डी0पी0आर्ज0 बनेंगी हालांकि डी0पी0आर्ज0 की औपचारिकताएं इसमें थोड़ी लम्बी होती हैं। इसमें कोई ऐसा न सोचें की यह किसी एक चुनाव क्षेत्र के लिए है बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रयास किए हैं। उन प्रयासों के बाद हमें 4893 करोड़ रुपये का बजट मिला है और बड़ी जल्दी ही हम इसको धरातल पर उतारने जा रहे हैं।

कर्नल इन्द्र सिंह (सरकाघाट): माननीय उपाध्यक्ष जी, इस खड्ड का पहला और दूसरा चरण मेरे क्षेत्र को प्रभावित करता है। इसमें दूसरे चरण में तो काम हुआ है, जैसे माननीय मंत्री जी ने बताया है लेकिन वह सर्वे वर्ष 2005 के आसपास हुआ था। वर्ष 2007 में वहां बहुत फ्लड आया, जिससे खड्ड ने वहां से अपना कोर्स ही चेंज कर दिया है। जो

चैनेलाइजेशन हुई है, वह सर्वे के मुताबिक हुई है न कि मौजूदा परिस्थिति के मुताबिक हुई है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जहां-जहां जरुरत है क्या उसको रैक्टिफाई किया जाएगा? दूसरे, मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने बड़ा विस्तृत उत्तर दिया है। परन्तु मैं वास्तव में ही चिन्तित हूं। मैं वर्ष 2007 से इस माननीय सदन में इस बात को उठाता रहा हूं। प्रश्न मैंने भी करना था लेकिन मैं अब प्रश्न करते-करते तंग आ चुका हूं और थक गया हूं। यह मेरे चुनाव क्षेत्र के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि खड्ड की भूमि का ढलान मेरे क्षेत्र की ओर है और अधिकतर नुकसान भी मेरे ही क्षेत्र में होता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यदि इसमें देरी संभावित है तो जो खतरनाक प्वाइंट्स हैं उनकी रोकथाम के लिए निकट भविष्य में कुछ कर दिया जाएगा या नहीं?

सिंचाई एंव जन-स्वास्थ्य मंत्रीः माननीय उपाध्यक्ष जी, जो माननीय सदस्य ने चाहा है, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि इस सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी ने पीछे कहा है कि यह जो 4893 करोड़ रुपये का प्रोजैक्ट है इसमें पब्बर नदी की चैनेलाइजेशन भी है, जिसकी टी0ए0सी0 की बैठक हो चुकी है। अभी इसकी इन्वेस्टमैंट की क्लीयरैंस आनी बाकी है। जो यह सीर खड्ड है उसकी बरच्छवाड़ से लेकर जाहू तक के लिए टी0ए0सी0 की बैठक में स्वीकृति हो चुकी है। जिनकी टी0ए0सी0 में स्वीकृति हो जाती है फिर वे प्रोजैक्ट इन्वेस्टमैंट क्लीयरैंस के लिए जाते हैं। इन्वेस्टमैंट क्लीयरैंस में दिक्कत आ रही थी क्योंकि भारत सरकार द्वारा भी इतनी बड़ी राशि किसी प्रदेश को देना संभव नहीं था इसलिए यह फॉरेन फण्डिंग के माध्यम से होगा, जैसे मैंने कहा है। यह माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद हिमाचल प्रदेश के लिए है। इसके लिए अगर कोई बधाई का पात्र है तो वह हमारे मुख्य मंत्री आदरणीय जय राम ठाकुर जी हैं जिनके अथक प्रयासों से यह इतना बड़ा प्रोजैक्ट आया हुआ है। मैं कर्नल इन्द्र सिंह जी को इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि प्रथम चरण में पब्बर चैनेलाइजेशन और सीर खड्ड चैनेलाइजेशन के अलावा जिन-जिन की टी0ए0सी0 में स्वीकृति होती रहेगी, उनको फण्डिंग की किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और बहुत जल्दी इसको शुरु कर दिया जाएगा। जैसे ही शुरु किया जाएगा, उसका माननीय मुख्य मंत्री जी विधिवत रूप से भूमि पूजन करेंगे और फिर उस काम को पूरे प्रदेश के अंदर बढ़ाएंगे।

8.2.2019/1200/जेके/एचके/1

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह 4,894 करोड़ रुपये का प्राजैक्ट है। क्या आप हाउस को बताएंगे कि यह जो लगभग 5 करोड़ रुपये का प्रोजैक्ट है, उसकी पहली किश्त कब तक हिमाचल प्रदेश को मिलने की सम्भावना है, क्योंकि आपने कहा कि यह फॉरेन फंडिंग का प्रोजैक्ट है?

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्रीः आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय जी, विपक्ष के नेता बड़े चिंतित हैं। वे हमेशा पूछते हैं कि मुख्य मंत्री जी आपने जो ये 10-15 हजार करोड़ रुपया लाया, ये पैसा कहां पर है? मुकेश अग्निहोत्री जी यह पैसा किसी की ज़ेब में जाने वाला नहीं है। आप इस हाउस में मंत्री रहे हैं लेकिन इस प्रकार के प्रोजैक्ट आप अपने पांच वर्षों में नहीं ला सके। इसकी औपचारिकताएं क्या-क्या होती हैं, किन-किन स्टेजिज़ से गुजरना पड़ता है, यह पैसा ऐसा नहीं है कि आप किसी दुकान में गए और 5-10 रुपये निकाले और सामान ले लिया। 4,893 करोड़ रुपये का प्रोजैक्ट एक छोटे से प्रदेश को लाना बहुत बड़ी उपलब्धि है। यही एक प्रोजैक्ट नहीं है, इसके साथ-साथ मैंने अपने उत्तर में कहा है कि जन-जिन प्रोजैक्ट्स की डी0पी0आर्ज़0 की टी.ए.सी. हो जाएगी, टी.ए.सी. भारत सरकार से होती है न कि प्रदेश सरकार से होती है। जिन-जिन की टी.ए.सी. हो जाएगी, जैसे मैंने कहा कि पब्बर की हो चुकी है, सीर खड्ड की एक पोर्शन की टी.ए.सी. हो चुकी है। जिन-जिन की टी.ए.सी. होती चली जाएगी, उन-उन को तुरन्त उस प्रोजैक्ट के माध्यम से पैसा आना शुरू हो जाएगा, उसकी डी.पी.आर्ज़. के टेण्डर होंगे, टेण्डर के बाद फिर उसके बाद एग्रीमैंट साइन किया जाएगा। मुकेश अग्निहोत्री जी, आप चिन्ता न करें। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जितना पैसा इस प्रदेश के लिए लाया है, हम उस पैसे को चार साल का जो हमारे पास कार्यकाल है उस कार्यकाल में उस सारे पैसे को खर्च करके हिमाचल प्रदेश के लोगों को सुविधा प्रदान करेंगे।

उपाध्यक्षः माननीय मंत्री जी आप माननीय सदस्य, श्री मुकेश अग्निहोत्री जी को लिख करके दे दें।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्रीः माननीय उपाध्यक्ष जी, जो माननीय सदस्य, श्री मुकेश अग्निहोत्री जी पूछ रहे हैं, बड़ी जल्दी हम इसको धरातल पर लाएंगे।

प्रश्न काल समाप्त

व्यवस्था का प्रश्न

श्री जगत सिंह नेगी (किन्नौर)ः माननीय उपाध्यक्ष महोदय प्वाइंट ऑफ ऑर्डर।

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री जगत सिंह नेगीः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्वाइन फ्लू पूरे प्रदेश में एक महामारी का रूप धारण करने लगा है। हर रोज़ यहां पर मौतें हो रही हैं और सरकार इस पर बिल्कुल गम्भीर नहीं है। किसी भी किस्म की इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है ताकि स्वाइन फ्लू को रोका जा सके। यहां पर हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय को स्वाइन फ्लू हो गया। हमारे इस ओर से एक अन्य सदस्य को हो गया। प्रदेश में इसने गम्भीर रूप धारण कर लिया है। इसमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। मेरा आपसे यह कहना है कि आई0जी0एम0सी0 और टांडा में स्वाइन फ्लू का टैस्ट करने के लिए एक आम आदमी को एक हफ्ता लग रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक किट आई है जो कि 800 रुपये की है, जिसको आप सभी पी0एच0सीज़0 और सी0एच0सीज़0 में दे सकते हैं। आई0जी0एम0सी0 और टांडा में टैस्ट

प्राइवेट संस्थाओं के माध्यम से करवाएं ताकि इसका एकदम से पता लगे और लोगों की जो जानें जा रही हैं, उनको रोका जाए। इस बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो इस माननीय सदन में मैंने इस बारे में एक-दो दिन पहले वक्तव्य दिया था। लेकिन हमारे सम्माननीय सदस्य, श्री जगत सिंह नेगी जी ने शायद उस समय ढंग से सुना नहीं होगा। श्री जय राम ठाकुर जी की सरकार ...(व्यवधान)... आप सुनिए तो सही। मैं उत्तर दूंगा। हमारी सरकार इसके बारे में गम्भीर भी है और संवेदनशील भी है। ये दोनों विषय बड़े महत्वपूर्ण हैं।

08-02-2019/1205/SS-HK/1

तीसरा मैं यह कहना चाहता हूं कि यह वायरस किसी समय स्वाइन से आया होगा और अब यह वायरस आदमियों से आदमियों में जा रहा है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि यह महामारी नहीं है बल्कि प्रकोप है। इसके अतिरिक्त मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जैसे-जैसे सर्दी जाती है और मौसम गर्म होता है तो यह वायरस अपने आप ही खत्म होता है।

उपाध्यक्षः माननीय सदस्यों से निवेदन है कि वे बीच में न बोलें।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर आपको ज़रूरत है तो हम इसकी वैक्सीन लगा देंगे। जैसे ये कह रहे हैं कि टैस्ट में बहुत समय लग रहा है, मैं बताना चाहता हूं कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये टैस्ट करवाना चाहते हैं तो तुरन्त आधे-पौने घंटे में रिपोर्ट आ सकती है। यह टैस्ट का काम आई0जी0एम0सी0, टांडा और कसौली में भी हो रहा है। नेगी साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं और आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है तो आप चैक अप करवाएं, डॉक्टर के पास जाएं क्योंकि यह वायरस जिनके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता कम होती है उनको सबसे पहले घेरता है। माननीय वीरभद्र सिंह जी ने कहा था कि मुझे कोई स्वाइन फ्लू नहीं है। लेकिन अखबारों में स्वाइन फ्लू के बारे में छपा। अब ये इतने आदरणीय हैं और इस उम्र में भी इतने मजबूत हैं उसके लिए मैं इनको बधाई देना चाहता हूं। परन्तु नेगी जी बहुत चिन्तित हैं। इस प्रकार वीरभद्र सिंह जी बहुत मजबूत और आप कमजोर हैं। आप वीरभद्र सिंह जी से कुछ-न-कुछ सीखो।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में टैमीफ्लू कैप्सूल हैं। अगर कोई वैक्सीन करवाना चाहता है तो वह हमारे पास उपलब्ध है। अगर यह छोटे बच्चों को होता है तो उसकी सीरप भी हमारे पास उपलब्ध है।...(व्यवधान)...

उपाध्यक्षः आप एडवाइजरी टाइप सब जगह दे दें।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः उपाध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश का जो स्वास्थ्य विभाग है उसने एडवाइजरी जारी की हुई है। परन्तु मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं इसलिए वही बात रखें जिससे समाज में सनसनी न फैले। अलर्ट रहें और लोगों को इसके बारे में जागरुक करें। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। सरकार बिल्कुल प्रयत्नशील है, कोशिश कर रही है। अगर आप चाहें तो मैं आपको पिछला रिकॉर्ड दे सकता हूं कि पिछले वर्षों में स्वाइन फ्लू कितना-कितना हुआ।...(व्यवधान)... ठीक है, मैं इतना ही कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

कागज़ात सभापटल पर

उपाध्यक्षः अब माननीय सदन में कुछ कागज़ात सभापटल पर रखे जायेंगे। अब माननीय मुख्य मंत्री जी हिमाचल प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2018-19 की प्रति सभापटल पर रखेंगे और इसका ब्योरा भी देंगे।

मुख्य मंत्रीः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि मैं आर्थिक सर्वेक्षण पर अपनी बात कहूं, जो माननीय सदस्य ने स्वाइन फ्लू के बारे में पूछा, उसका उत्तर माननीय मंत्री जी ने विस्तार से दे दिया। लेकिन मैं यह भी ज़रूर कहना चाहता हूं कि सरकार इस मामले को लेकर बहुत गम्भीर है। जब इस प्रकार के मामले पूरे प्रदेश में कुछ जगह रिपोर्ट हुए और कुछ जगह डैथ भी हुईं, शायद डैथ का नम्बर 16 है। 16 लोगों की मौत भी हुई है। यह हम सब लोगों के लिए चिन्ता का विषय है। लेकिन हमने इसमें यह भी देखा है कि अधिकांशतः उनकी डैथ हुई है जिनकी उम्र काफी ज्यादा थी और बॉडी में रजिस्टैंस कम था। एक बच्चे की पी0जी0आई0 में भी डैथ हुई है। लेकिन वह बच्चा पहले से अस्वस्थ था और अंडर ट्रीटमैंट था। जैसे माननीय मंत्री जी ने विस्तार से बात कही है कि जब बॉडी में रजिस्टैंस कम होता है तो ऐसे में यह वायरस ज्यादा जल्दी असर करता है और घातक भी होता है। उपाध्यक्ष महोदय, हमने इस सिलसिले में तुरन्त बैठक सभी अधिकारियों के साथ कुछ दिन

पहले की है। दो चीज़ों को ले करके हमने प्रमुख रूप से अपनी बात वहां पर कही थी और आदेश दिये थे कि एक तो अवेयरनैस की बहुत बड़ी आवश्यकता है।

08.02.2019/1210/केएस/वाईके/1

आमतौर पर इसके जो सिम्प्टम्ज़ हैं, जैसे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी कहा कि यह एक प्रकार का रूटीन का वायरल होता है जिसको हम सर्दी-जुकाम कहते हैं। यह भी उसी तरह से होता है। इसको बहुत ज्यादा अंतर के साथ नहीं देखा जाता। आदमी सोचता है कि उसको तो सर्दी-जुकाम ही है और देर होने की वजह से जब इलाज़ के लिए वह हॉस्पिटल पहुंचता है, तब तक उसका असर काफी ज्यादा हो चुका होता है। इस कारण वह स्टेज खतरनाक हो जाती है। तब तक इसका वायरस शरीर में फैल जाता है खासकर लंग्ज़ में इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। हमने विभाग को कहा है कि इस वक्त जो वायरल चल रहा है, सर्दी-जुकाम का मौसम है, यह सुनिश्चित करें कि अगर किसी को सदी-जुकाम हो तो इस टैस्ट को भी साथ में करते जाएं ताकि प्रारम्भिक स्टेज पर उसकी डिटैक्शन हो जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिन परिवारों से इस प्रकार के मामले रिकॉर्ड में आए हैं, हॉस्पिटलाइज़ हुए हैं, बीमार हुए हैं या दुर्भाग्य से किसी की डैथ हो गई है, उन परिवारों में सुनिश्चित कर रहे हैं कि उनको वैक्सीन का प्रबन्ध किया जाए या उसके साथ-साथ जो प्रीकॉशनरी टैमी फ्लू की मैडिसिन उनको उपलब्ध करवाएं ताकि इसको रोका जा सके। यह कॉंटैक्ट के माध्यम से आता है। हमें बताया गया कि खासतौर से जब आदमी खांसता है या छींकता है तो एक मीटर तक इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा रहता है और उस कॉंटैक्ट में अगर कोई भी आदमी आता है तो आसानी से यह उस आदमी को हो सकता है। अवेयरनैस की दृष्टि से हमने रेडियो में जिंगल चलाया है, सारी जानकारी दी जा रही है इसके अलावा समाचार पत्रों में भी जागरुकता की दृष्टि से इन सारी बातों का ज़िक्र किया जा रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने यह भी सुनिश्चित किया है कि ऐसे परिवारों में जहां इस प्रकार के केस दर्ज हुए हैं, उनके साथ जो अटैंडैंट हैं, चाहे उनके घरों में भी जाना पड़े, हमारी मैडिकल की टीम उनके घर में जा कर सुनिश्चित करें कि वहां पर मैडिसन दी जाए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह हम सभी के लिए चिंता का विषय इसलिए भी बन गया क्योंकि पिछले कल विधान सभा के सम्माननीय अध्यक्ष को भी स्वाइन फ्लू हो गया है उन्होंने खुद इस बात का जिक्र किया है। इसके पश्चात वे चंडीगढ़ चले गए हैं, पी.जी.आई. में हैं और मेरी सुबह उनसे बात हुई है, वे अब स्वस्थ हैं और उन्होंने कहा है कि दो-तीन दिन के अंदर वे वापिस भी आ जाएंगे। इस मौसम में इसके फैलने की बहुत सम्भावना रहती है। इस वायरस के लिए बताया गया है कि इसके लिए आजकल का सर्दी का मौसम ही सबसे अनुकूल होता है। गर्मियों में यह वायरस कम हो जाता है तो ऐसी सूरत में प्रिकॉशन के तौर पर मैडिसिन की जो आवश्यकता थी, जितनी आवश्यकता थी उससे ज्यादा हमने आदेश दिए हैं कि मैडिसिन की कमी किसी रूप में न हो। हमने एक्स्ट्रा मैडिसिन उपलब्ध करवाने का आदेश दिया है और वह उपलब्ध भी करवा दी गई है। हालांकि डॉक्टर्ज़ का कहना है कि इस वायरस की एक विशेषता है कि यह हर बार अपना नेचर चेंज करता है और उसके कारण यह कठिनाई हो जाती है कि जो मैडिसिन दी जाती है, कई बार वह असर करती है और कई बार नहीं भी करती। ऐसी परिस्थिति में भी वायरस को रोकने के लिए आवश्यक वैक्सीन का हमने प्रावधान किया है। यह कोई छिपाने वाली बात नहीं है। यह हम सभी के लिए चिंता का विषय है और हम इस बारे में गम्भीर हैं, जागरूक हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस भी व्यक्ति को ये सारी चीज़ को लेकर थोड़ा सा भी लगता है, वह तुरंत हॉस्पिटल में जा कर चैक करवाएं। यहां पर भी माननीय सदस्य इस बात से चिंतित है कि विधान सभा के अंदर भी स्वाइन फ्लू का मामला आ गया। आना नहीं चाहिए था लेकिन यह हो गया है तो मुझे लगता हैं कि इस बारे में गम्भीर होने की आवश्यकता है। अगर आपको लगता है तो इसका जो प्रिलिमिनरी प्रोसैस है, वह

करवा लेनी चाहिए। ---(व्यवधान)--- अगर आपको ऐसा लगता है तो किया जा सकता है। ---(व्यवधान)--- सबका करवा लें? ---(व्यवधान)--- लेकिन मुझे लगता है कि इतना पैनिक होने की आवश्यकता भी नहीं है। ---(व्यवधान)--- नहीं, इतना डरने की आवश्यकता नहीं है। ---(व्यवधान)--- मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आई0जी0एम0सी0 में सारी सुविधाएं हैं और हमने वहां पर उपचार हेतु सारी हिदायतें दी हुई हैं। जिस व्यक्ति को आवश्यकता महसूस होती है तो वह वहां पर जाकर टैस्ट करवा सकता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राज्य सरकार का वित्तीय वर्ष 2018-19 का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करता हूं। हिमाचल प्रदेश वर्ष 2018-19 में 7.3 प्रतिशत की विकास दर को प्राप्त करने की ओर अग्रसर है। 7.3 प्रतिशत की वृद्धि पिछले वर्ष की 6.5 प्रतिशत की वृद्धि दर से अधिक है। मुझे लगता है कि ये पैरामीटर्ज होते हैं जिनसे हम इनकार नहीं कर सकते। आप कह रहे थे कि कुछ नहीं हो रहा, मगर कुछ तो अच्छा हो रहा है। प्रचलित भावों पर प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2017-18 में 1,60,711/- रुपये तक पहुंच गई है जिसका वर्ष 2018-19 में 1,76,968/- रुपये तक पहुंचने का अनुमान है। प्रचलित भावों पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2017-18 में 1,36,542/- करोड़ रुपये हो गया है तथा अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2018-19 में लगभग 1,51,835/- करोड़ रुपये की सम्भावना है। मूल्य वृद्धि व मुद्रास्फिति का नियंत्रण हमारी सरकार की प्रमुखता सूची में है। हिमाचल प्रदेश के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में राष्ट्रीय स्तर पर 4.64 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में प्रदेश में 2.31 प्रतिशत रहा। प्रदेश की कुल बिजली उत्पादन क्षमता में से अभी तक 38.44 प्रतिशत बिजली का दोहन किया गया है। राज्य में 522 मध्य व बड़े पैमाने की औद्योगिक इकाइयां तथा 49058 लघु पैमाने की औद्योगिक इकाइयां कार्यरत्त है। प्रदेश

में बेहतर व शीघ्र सेवा के लिए सेवा अधिनियम लागू किया गया है। मेरी सरकार द्वारा लोक सेवा में दक्षता व गुणवत्ता में सुधार करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आर्थिक सर्वेक्षण का मुख्य सार प्रस्तुत किया है, पूर्ण ब्यौरे का संस्करण मान्य सदन में प्रस्तुत कर दिया है। धन्यवाद।

उपाध्यक्ष : अब माननीय शिक्षा मंत्री कागजात सभा पटल पर रखेंगे।

शिक्षा मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उच्चतर शिक्षा निदेशालय निजी सचिव, वर्ग-। (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2018 जोकि अधिसूचना संख्याःई0डी0एन0-ए-ख(1)-29/2018 दिनांक 21.11.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 22.11.2018 को प्रकाशित, की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

उपाध्यक्ष : अब माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री हिमाचल प्रदेश में खुली सिगरेटों और बीड़ियों के विक्रय का प्रतिषेध और सिगरेटों तथा अन्य तम्बाकू उत्पादों के खुदरा कारबार का विनियमन अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 17) की धारा 12 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश में खुली सिगरेटों और बीड़ियों के विक्रय का प्रतिषेध और सिगरेटों तथा अन्य तम्बाकू उत्पादों के खुदरा कारबार का विनियमन नियम, 2018 जोकि अधिसूचना संख्याः स्वास्थ्य-ए-एच(1)-1/2013-वॉल्यूम-1 दिनांक 30.08.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 22.01.2019, को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखेंगे।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश में खुली सिगरेटों और बीड़ियों के विक्रय का प्रतिषेध

और सिगरेटों तथा अन्य तम्बाकू उत्पादों के खुदरा कारबार का विनियमन अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 17) की धारा 12 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश में खुली सिगरेटों और बीड़ियों के विक्रय का प्रतिषेध और सिगरेटों तथा अन्य तम्बाकू उत्पादों के खुदरा कारबार का विनियमन नियम, 2018 जोकि अधिसूचना संख्याः स्वास्थ्य-ए-एच(1)-1/2013-वॉल्यूम-1 दिनांक 30.08.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 22.01.2019 को प्रकाशित, की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

विधान सभा कार्य-सलाहकार समिति का प्रतिवेदन

उपाध्यक्ष : अब माननीय सदस्य, कर्नल इन्द्र सिंह कार्य-सलाहकार समिति का पंचम प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) सभा में उपस्थापित करेंगे तथा इसकी स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भी करेंगे।

कर्नल इन्द्र सिंह (सरकाघाट) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य-सलाहकार समिति का पंचम प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) सभा में उपस्थापित करता हूं तथा इसकी स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भी करता हूं।

उपाध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि यह मान्य सदन कार्य सलाहकार समिति द्वारा अपने पंचम प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों से सहमत है।

तो प्रश्न यह है कि यह मान्य सदन कार्य सलाहकार समिति द्वारा अपने पंचम प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों से सहमत है?

(प्रस्ताव स्वीकार)

08/02/2019/1220/टी0सी0वी0/ए0जी0/1

गैर-सरकारी सदस्य कार्य दिवस

उपाध्यक्षः आज गैर-सरकारी सदस्य दिवस है। अब माननीय सदस्य श्री राकेश सिंघा जी द्वारा दिनांक 13-12-2018 को प्रस्तुत प्रस्ताव पर आगे चर्चा होगी। इसमें 60 मिनट का समय निर्धारित किया गया है।

Shri Rakesh Singha (Theog): Deputy Speaker, Sir, this resolution under Rule 101 has already been introduced in this House. So I needn't repeat the resolution. The resolution covers the issue of crop insurance in Himachal Pradesh.

उपाध्यक्ष महोदय, इस रेज्योल्यूशन हो इस सदन में लाने के पीछे मेरा यह उद्देश्य है कि हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में 'फसल बीमा योजना' एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह इसलिए भी है क्योंकि हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियां इस प्रकार की है, जहां पर आए वर्ष किसान की फसलों पर अलग-अलग किस्म से आक्रमण होता है। ये भी हकीकत है कि आज पूरे देश में एक बहुत गहरा कृषि संकट है और अनेकों बार किसान मजबूरी में डिस्ट्रैस सहन करता है। इसलिए कई दफ़ा उसको लाभकारी मूल्य भी नहीं मिलता है और एक सस्टेनेबल अर्थ व्यवस्था भी नहीं होती है। हिमाचल प्रदेश की आर्थिक व भौगोलिक परिस्थिति इस प्रकार की है कि यहां पर कृषि का लाभ भी है और बहुत से डिस-एडवेंटेज भी हैं। लाभ के बारे में आप जानते हैं कि जो हिमाचल प्रदेश की क्लाइमेटिक कंडिशन है, वह इस प्रकार की है, जो पूरे देश में नहीं है। यहां बहुत से ऐसे फल पैदा होते हैं जो दूसरे देश के हिस्सों में नहीं होते हैं, उससे किसानों को यहां लाभ मिल जाता है। इसके इलावा सीजनल वैजिटेबल से भी यहां किसानों को लाभ मिलता है। लेकिन बहुत से डिस-एडवेंटेज हैं इसलिए क्रॉप इन्श्योरेंस लाज़मी है, वह किस रूप में हो और क्या उसकी नीति हो, इस सदन में उसकी चर्चा होनी चाहिए। ये सब जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में हमारी

हॉल्डिंग बहुत छोटी है, यहां पर 60 फीसदी किसान ऐसा है जिसके पास भूमि 6 और 6 बीघे से कम है। इसलिए कम भूमि और छोटे रकबे होने के कारण उसकी जो कॉस्ट ऑफ

प्रोडैक्शन है, वह बहुत अधिक है। ये कई दफ़ा सस्टेंनेब्ल नहीं होता है और किसानों को नुकसान पैदा करता है। यहां पर समय-समय पर प्राकृतिक प्रकोप आते रहते हैं। लेकिन इसके अलावा ये जो आक्रमण किसान की खेती पर जंगली जानवरों द्वारा होता है, पूरी की पूरी उसकी फसल तबाह हो जाती है। इसलिए ऐसी परिस्थिति में किसान की क्या रक्षा हो, ये इस सदन में चर्चा करने की जरूरत है। इस पर न केवल चर्चा बल्कि उस चर्चा के बाद किसान की जीविका को चलाने, उसके जीवन-यापन को बेहतर बनाने के लिए क्या रास्ता निकलता है? मैं समझता हूं, अच्छे सुझाव आएंगे और हिमाचल प्रदेश के अंदर जो आज किसान पीड़ित है, उसको एक लाभ यह सदन इस नीति के जरिए पहुंचाएगा।

08-02-2019/1225 /NS/AG /1

लेकिन इस प्रश्न के आने से पहले मैं समझता हूं कि जो भी नीति बने, वह इस प्रकार की होनी चाहिए; वह फुलप्रूफ हो और साथ में किसान के पक्ष में हो। यह तब हो पाएगा जब हम एक बेसिक जो अभी तक नीतियां इस मुल्ख में चल रही हैं और जो उसकी त्रुटियां हैं, उनका डायग्नोसिस करके और चीर फाड़ करके जो कमियां हैं; उन कमियों को दूर करने के लिए यह सदन सुझाव देगा। इस सदन के सभी माननीय सदस्य भली-भांति जानते हैं कि मुख्य तौर पर हमारे मुल्ख और प्रदेश में दो नीतियां अभी चल रही हैं, जो फसल बीमा को कवर करती हैं। इनमें से एक देश के अंदर वर्ष 2009 में शुरू हुई थी जिसको वैदर बेस्ड क्रॉप इश्योरैंस स्कीम कहते हैं और दूसरी वर्ष 2016 में शुरू हुई है, जो "प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना" के नाम से जानी जाती है। "प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना" के बारे में चर्चाएं उस समय हुई जिस समय महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर अलग-अलग सदस्यों ने इस योजना के बारे में कहा। माननीय सदस्यों ने इसके लाभ और अवगुणों के बारे में भी बताया है। मैं नहीं चाहता हूं कि इस सदन के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष का कोई ध्रुवीकरण हो। मेरी तो सिर्फ यह मंशा है कि जो त्रुटियां हैं, इन त्रुटियों को किस तरीके से दूर करके एक किसान को लाभ पहुंच सकता है और उस पर चर्चा करना जरुरी है। मैं यहां

पर एक बात तथ्यों के आधार पर कहना चाहता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं "प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना" जो वर्ष 2016 में इंटरोड्यूस हुई है, उसके खिलाफ हूं। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जो यह "प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना" है, यह कोई भी लाभ किसान को आज की तारीख में नहीं दे रही है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं लेकिन ये आंकड़े जो आज उपलब्ध हैं, ये आंकड़े साबित करते हैं।

माननीय सभापति महोदय, आज का दौर आप जानते हैं। यह नव उरारवाद का दौर है। यह वह दौर है, जहां पर वित्तीय पूंजी को आगे बढ़ाने के लिए नीतियां बनाई जा रही हैं। यह वह दौर है जहां पर अमीर और अमीर व गरीब और गरीब हो रहा है। यह वह दौर जहां पूंजी को बढ़ावा दिया जा रहा है और मेहनतकश पर सारा बोझ लादा जा रहा है। क्रोनी कैपिटलीज़म, यह जो "प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना" है, यह उस फ्रेमवर्क के अंदर आती है, जिसको हम क्रोनी कैपिटलीज़म कहते हैं। क्रोनी कैपिटलीज़म क्या है? जहां पर राज्य मदद करेगा और नाम गरीब का लेगा लेकिन फायदा अमीर का होगा। यह फसल बीमा योजना जो अभी तक चली है, इसके आंकड़े यह सिद्ध करते हैं कि जो कंपनियां आज इश्योरैंस करती हैं, उसका तो लाभ हो गया लेकिन गरीब किसान बेचारा तड़पता रहा, उम्मीद करता रहा कि उसको उसकी नुकसान हुई फसल का दाम मिलेगा । माननीय सभापति महोदय, उसका इश्योरैंस कवर जरुर हुआ लेकिन उसको लाभ नहीं मिला। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि ये आंकड़े क्या बोलते हैं? ये आंकड़े देश के हैं, हिमाचल प्रदेश के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। पिछले कल डॉ0 साहब (माननीय कृषि मंत्री) ने ये आंकड़े देने की कोशिश की लेकिन ये आंकड़े कंपलीट नहीं है। ये कंपलीट कब होंगे? ये कंपलीट तब होंगे जब हम प्रीमियम कितना इकट्ठा हुआ और क्लेमज़ कितने सैटल हुए और मुनाफ़ा कितना हुआ, इसका टोटल करेंगे; तब पता चलता है कि यह नीति किसके पक्ष में जाती है? देश में जो अलग-अलग फसल बीमा योजनाएं चल रही हैं, चाहे वे वैदर बेस्ड क्रॉप इश्योरैंस स्कीम चाहे "प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना" है, वर्ष 2015-16 में 15,891 करोड़ रुपये का प्रीमियम इकट्ठा हुआ है। माननीय महेन्द्र सिंह ठाकुर जी, ये प्रीमियम कहां से इकट्ठा हो रहा है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये प्रीमियम तीन जगहों से इकट्ठा हो रहा है। एक किसान देता है, दूसरा भारत सरकार देती है और तीसरा राज्य सरकारें देती हैं तो तीन जगहों से इतना प्रीमियम इकट्ठा हुआ है।

08.02.2019/1230/RKS/DC-1

जो क्लेम सैटल हुए वे मात्र 5962 करोड़ रुपये के हुए हैं।

सभापतिः माननीय सदस्यगण, कृपया अपनी-अपनी जगह में बैठें।

श्री राकेश सिंघाः सभापति महोदय, मैं जिक्र कर रहा था कि मात्र 5962 करोड़ रुपये के क्लेम सैटल हुए हैं। कुल मिलाकर 9929 करोड़ रुपये कंपनियों की तिजोरी में गए। मुझे बताइए कि किसानों को कहां लाभ हो रहा है? यह घोर पूंजीवाद है जिससे कंपनियों को फायदा हो रहा है। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं लेकिन यह तथ्य है। यह इंश्योरैंस कंपनी कौन है? यह देश का बहुत बड़ा कार्पोरेट घराना है जिसमें अंबानी भी आता है। अडानी इसमें शामिल हुआ यह मैं नहीं कह सकता। लेकिन पैसा भारत सकरार का हो, राज्य सरकार का हो, किसान का हो और मुनाफा इंश्योरैंस के नाम पर बड़ी कंपनियों का हो तो यह ठीक नहीं है। इन नीतियों पर पुनर्विचार किया जाए और इन्हें गरीब और किसान के फायदे की ओर मोड़ा जाए। मैं समझता हूं कि यह सदन इस पर चर्चा करके इन नीतियों को किसान की ओर मोड़ेगा।

इसी तरह वर्ष 2017-18 के आंकड़े भी मेरे पास उपलब्ध हैं। इन आंकड़ों के अनुसार 24,454 करोड़ रुपये का प्रीमियम इकट्ठा हुआ और मात्र 13,800 करोड़ रुपये के क्लेम सैटल हुए। इसमें 10,654 करोड़ रुपये का मुनाफा कंपनी का हुआ न की किसान को यह फायदा हुआ। इसलिए मैं चाहता हूं कि यह सदन ऐसी नीति बनाए जिससे किसान का लाभ हो। किसान के लाभ के लिए जो बीमा किया जाता है उनके लिए नियम एवं शर्तें होनी चाहिए क्योंकि इनके बिना बीमा नहीं हो सकता। मेरे पास आज तीन किस्म की इंश्योरैंस के कवर नोट्स हैं। यह कवर नोट एल.आई.सी. का है। इस पॉलिसी डॉक्यूमैंट में नियम एवं शर्तें लिखी हैं, जिसमें उल्लेख किया गया है कि अगर मृत्यु होगी तो कितना बीमा मिलेगा और नुकसान पर कितना बीमा मिलेगा। दूसरा, मेरे पास गाड़ी की इंश्यारैंस का कवर नोट है जिसमें

उल्लेख किया गया है कि यदि एक्सिडैंट होगा तो किस तरीके से आपको इंश्योरैंस मिलेगा। तीसरा, मेरे पास मकान की इंश्यारैंस का कवर नोट है। यदि मकान में आग लग जाती है तो उसका क्या होगा? इस सब के डॉक्यूमैंट एग्जिस्ट करते हैं। हम जो किसानों के लिए इंश्यारैंस कर रहे हैं उसका कोई डॉक्यूमैंट नहीं है। आदमी बस में बैठता है और टिकट काटता है। वह टिकट कहां से कहां तक कटा, वह डॉक्यूमैंट है लेकिन जो प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना कर रहे हैं, चाहे weather based crop insurance हो उसका कोई डॉक्यूमैंट या कवर नोट उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है। इसके लिए कोई नियम एवं शर्तें नहीं है। मैं विधान सभा से इस्तीफा दे दूंगा यदि जिनकी इंश्योरैंस कट रही है उनके पास कोई डॉक्यूमैंट उपलब्ध हो। यह सब कंपनी को फायदा देने की मंशा से बनाया गया है। बेसिक डॉक्यूमैंट किसान के हाथ में आज तक नहीं दिया गया है।

08.02.2019/1235/बी0एस0/डी0सी0-1

इसलिए माननीय सभापति महोदय, मेरी आप से विनती है, मेरी अपील है जिसे मैं दिल से करना चाहता हूं। हम इंश्योरेंस कराना चाहते हैं तो उस इंश्योरेंस के लिए पहला कार्य जो जरूरी है वह यह है कि उसका डाक्यूमैंट होना जरूर है। पोलिसी कवर होना चाहिए जिसमें टर्मज एण्ड कंडीशनज निर्धारित हो।

नम्बर दो, मैं कहना चाहता हूं कि इंश्योरेंस हम क्यों करते हैं? विपरीत परिस्थिति के लिए हम इंश्योरेंस करते हैं। अच्छे दिन के लिए कभी इंश्योरेंस नहीं होती है। अगर कोई ऐसा हादसा हो जाए जिसे नुकसान हो जाए उस पर भी इंश्योरेंस करते हैं। लेकिन यह इंश्योरेंस सिर्फ अभी किन बातों के लिए की जा रही है ? इन कुछ बातों के लिए भी माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जो कवर्ड है वह सिर्फ सूखा है, भारी वर्षा है, चिलिंग आवर्ज है और हाई विंड है, यही कवर्ड है बाकी बाते कवर्ड नहीं है। आप जानते हैं कि पिछली रात को बर्फ पड़ गई दिल्ली में ओला वृष्टि हो गई । हिमाचल प्रदेश में जब फसल लगती है वह चाहे गेहूं की है, चाहे मक्की की है, चाहे वह आम की फसल है हमने अलग-

अलग हिस्सों में अलग-अलग समय में देखा है कि ओला वृष्टि से इतना ज्यादा नुकसान हुआ है कि किसान की कमर टूट गई । वह किसान खड़े होने लायक नहीं रहा। लेकिन हेल स्टोर्म इसमे कवर नहीं है। आप किस चीज की इंश्योरेंस करना चाहते हैं? आप सिर्फ दिखाना चाहते हैं कि आप इंश्योरेंस कर रहे हैं लेकिन हकीकत में आप इंश्योरेंस नहीं करते है। हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थति और वातावरण ऐसा है कि बादल फट जाते हैं। बादल फटने से जमीने बह जाती हैं। मुझे बताइए कि आप इन परिस्थितियों में कैसे किसान की मदद करेंगे। इंश्योरेंस वह होनी चाहिए जो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए प्रदान की जाए। आप जानते हैं कि जंगली जानवरों का क्या प्रकोप है । इनमें चाहे बंदर हो, सुअर हो, नील गाय हो या फिर आवार पशु हों वे सब किसानों की पूरी-की-पूरी फसल को तबाह कर देते हैं। लेकिन उसके बदले में उन्हें कोई प्रोटक्शन नहीं है । इसलिए जो इंश्योरेंस पोलिसी जब हम बनाएं तो इन बातों को भी मद्देनजर रखें क्योंकि हिमाचल प्रदेश की परिस्थिति देश के दूसरे हिस्सों से भिन्न है इसलिए ये सब बातें उसमें शामिल होनी चाहिए। एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूं इसमें एक चालाकी और की गई है जो खासतौर से सेब और आम वाले इलाकों के लिए है । उसमें चिलिंग निर्धारित की गई है कि आपने सेब की अच्छी फसल लेनी है तो आपको कम-से-कम 1400 घंटे चिलिंग आवर्ज चाहिए। जहां पर तापमान 7 डिग्री से नीचे रहेगा तो उसे चिलिंग अवर कहते हैं। इस चीज को आपने उसमें शामिल कर दिया है। लेकिन जो इसका तंत्र है वह कहां लगाया गया है, किसके पास है और यह किसके कंट्रोल में है? मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि वह तंत्र कंपनी के कंट्रोल में है। जो कभी भी डाटा नहीं देती है यदि किसानों ने डाटा मांगा तो भी उन्हे नहीं दिया गया। एक किसान ने मैट्रोलॉजिकल विभाग को आवेदन किया परंतु उन्हे यह डाटा नहीं दिया दिया गया। वहां से किसान को कहा गया कि एक दिन का डाटा लेने के लिए आपको 1500 रुपया जमा करवाना होगा। आप ही बताइए कि किसान की क्या हालत कर दी है। सब किसान का नाम लेना चाहते हैं परंतु जब नीति की बात आती है तो

हम अपने किसान को मदद करने के लिए जो मूल रास्ता है उसमें कुछ नहीं कर पाते हैं। मैं अपने आपको भी उसमें शामिल करता हूं

(माननीय उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)

मैं किसी अन्य पर दोष नहीं देना चाहता। इसलिए मैं चाहता हूं कि सदन में चर्चा हो और यह कार्य किसान के पक्ष में हो। यदि मैं यहां पर डाटा पेश करूं तो आप इस बात को सुनकर हैरान होंगे कि एक स्कीम के अंदर दो जिले कवर ही नहीं हैं। माननीय मंत्री महोदय आपका जिला कवर नहीं है, किन्नौर कवर नहीं है वह स्कीम "प्रधान मंत्री फसल बीमा" योजना है । यह मौसम के हालात पर आधारित स्कीम के अंदर कवर्ड है।

08.02.20191240/DT/HK-1

यह reference weather तंत्र कहां लगाया और कैसे लगा? मैं कुछ ऐसे इलाकों का जिक्र करना चाहता हूं जैसे करसोग के अंदर एक तंत्र 49 पंचायतों के लिए लगाया गया। यहां पर टैंपरेचर कुछ ओर है , टूटीकंडी में कुछ और है तथा समरहिल में कुछ और है। सुंदरनगर में 28 पंचायतों के लिए एक तंत्र लगाया गया। धर्मपुर में 37 पंचायतों के लिए एक तंत्र लगाया है। गोपालपुर में 28 पंचायतों के लिए एक तंत्र लगाया है। कुल्लू के आनी में 22 पंचायतों के लिए एक तंत्र लगाया है। बंजार की 37 पंचायतों के लिए एक तंत्र लगाया है। बंजार-2 की 28 पंचायतों के लिए एक तंत्र लगाया है। नग्गर में 37 पंचायतों के लिए एक तंत्र लगाया। कुल्लू में 23 पंचायतों के लिए एक तंत्र लगाया। हर गांव के अंदर यह तंत्र होना चाहिए। अगर हर गांव के अंदर तंत्र नहीं होगा तो जिस मेजरमैंट के लिए टेंपरेचर है या बारिश कम हुई है या सूखे की स्थिति आई है, वह नहीं होगा । यह सब दिखाने के लिए हम किसान की मदद कर रहे हैं। जबकि यह किसान की मदद नहीं है, यह बड़ी कंपनीयों की मदद है। इसके दो और पहलू है जिन्हें मुझे यहां पर रखने की आवश्यकता है। एक यह है कि यह कंपलसरी क्यों हो? अगर किसान को फायदा मिलता है तब तो ठीक है।

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, कृपया वाइंड अप कीजिए।

श्री राकेश सिंघाः उपाध्यक्ष महोदय मैं चाह रहा हूं कि इस सदन में इस पर चर्चा हो जिससे किसान की मदद की जाए। यदि आप चाहें तो मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। यह कंपलसरी नहीं होना चाहिए। किसान को यह बता दिया जाता है कि किसान क्रेडिट कार्ड से पैसा कट गया है। यह बहुत बड़ी रकम कटती है और सर्विस चार्जिज अलग से कटते हैं। कई चार्जिज लिए जाते हैं। मैं इस प्रस्ताव को इस मंशा के साथ इस सदन में इंटरोड्यूस कर रहा हूं कि हम पार्टी लाइन से ऊपर ऊठकर सोच विचार करें और हिमाचल प्रदेश के किसान के भविष्य के लिए इस प्रकार की एक बीमा नीति बने जिससे उसको राहत मिले। यह राक्षस के रूप में उसकी सम्पत्ति को अतिक्रमण कर रहा है। यह किसान की जिंदगी को बद-से-बदतर बना रहा है। इसलिए हम पार्टी लाइन से ऊपर ऊठकर इसको समझने की कोशिश करें और समझने के बाद अपने विचारों को सही रूप से प्रस्तुत करें। मैंने अपनी भावनाओं को यहां पर व्यक्त कर दिया क्योंकि एक अकेला व्यक्ति पॉलिसी को थ्रू नहीं कर सकता। इसलिए यह जिम्मेवार आपकी है। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार अपना दायित्व निभाएगी। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं और क्षमा चाहता हूं कि मैंने निर्धारित समय से ज्यादा समय लिया। आपका धन्यवाद।

08/02/2019/1245/RG/HK/1

उपाध्यक्ष : क्योंकि अभी इसी विषय पर बहुत सारे सदस्यों ने, 6-7 सदस्यों ने बोलना है और इस पर साठ मिनट रखे थे। अब श्री बलबीर सिंह जी चर्चा में भाग लेंगे। आपसे निवेदन है कि कृपया आप 5 से 7 मिनट में अपनी बात यहां रखें।

श्री बलबीर सिंह(चिन्तपुरनी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री सिंघ जी द्वारा किसान के पक्ष में जो संकल्प यहां प्रस्तुत किया गया है, मैं इनकी पीड़ा को समझता हूं और उससे सहमत भी हूं।

माननीय उपाध्यक्ष जी, यदि हम तीन या चार दशक पहले की बात करें तो गांवों के लोग या गांवों में बसने वाले किसान की एक कहावत थी। '**उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और निखिद्ध चाकरी।**' इसका अर्थ यह कि हम उस समय की या चार दशक पहले की हम बात करें तो उस समय नौकरी को निखिद्ध यानि की निम्न स्तर का माना जाता था और खेती को ही उत्तम माना जाता था। परन्तु समय बीतते ऐसा हो गया कि इस देश का किसान बर्बादी की तरफ जाने लगा। इतना ही नहीं इस देश का किसान आत्महत्या करने की तरफ भी बढ़ गया। मैं इतना भी जरूर कहना चाहूंगा कि वर्ष 2014 के बाद किसान की तकलीफ को समझा गया और उसका निवारण करने की तरफ भी कुछ-न-कुछ प्रयास किए गए। हालांकि मैं समझता हूं कि जिस इन्श्योरैंस की बात आदरणीय सिंघा जी ने की है, वह काफी हद तक ठीक भी है। हो सकता है कि बड़ी-बड़ी कम्पनियां ही इस मुनाफे को खा रही हों। परन्तु मैं इसमें कुछ और भी जोड़ना चाहता हूं। हो सकता है कि इस देश को लूटने वाले लोगों ने जो लूटते रहे, वे जब इनकम टैक्स की अपनी रिटर्न भरते हैं, यद्यपि वे खेतीबाड़ी करते तो नहीं हैं, उन्होंने दो नंबर में जमीन तो खरीदी है परन्तु वहां की झूठे तौर पर खेतीबाड़ी की रिटर्न भरकर इस देश के टैक्स की चोरी भी करते हैं और टैक्स की चोरी के साथ-साथ मैं समझता हूं कि हो सकता है कि वे इंश्योरैंस के माध्यम से उन कम्पनियों से ज्यादा पैसे खाते हों। ये तथ्य सच्चे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष जी, हालांकि कृषि हमारी ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था की प्रमुख चालक बनी हुई है। विगत् साढ़े चार वर्षों में सरकार की किसान समर्थक नीतियों से सहायता पाकर रिकॉर्ड मात्रा में कृषि वस्तुओं का उत्पादन किया है, लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कृषि सम्बन्धि वस्तुओं की कीमतें वर्ष 2017-18 से खाद्य भिन्न क्षेत्र सापेक्ष भारत में खाद्य मुद्रास्फिति में गिरावट के कारण कृषि की आमदनी कम हो गई है। परन्तु किसान की पीड़ा को समझते हुए इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने महसूस किया है और उन्होंने 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' योजना को एक दिसम्बर, 2018 से ही शुरू किया है। उसमें किसान को हर वर्ष हम 6,000/-रुपये उसकी मदद करने के लिए देंगे जिसमें दो-दो हजार रुपये की तीन किश्तें किसान को मुहैया करवाई जाएंगी। हालांकि, मुझे पता है कि वर्ष 2004 से 2014 की सरकार के समय में जब वर्ष 2009 में चुनाव आने थे तो उस समय उस सरकार ने 70,000 करोड़ रुपये का कर्जा माफ करने की बात भी कही थी।

परन्तु यदि धरातल पर देखा जाए तो वह 70,000 करोड़ रुपये माफ नहीं हुआ। उसकी बहुत कम गिनती है, लगभग 52,000 करोड़ रुपये इस देश के किसानों को माफ किया। परन्तु अगर हम उसकी गहराई में जाएं तो असल में सही किसान को उसमें भी लाभ नहीं मिल पाया। उसमें भी जो दो नंबर का किसान था जो खेतीबाड़ी नहीं करता था और केवल मात्र अपनी आयकर रिटर्न ही भरता था, उसके पैसे माफ हुए। यह मैंने सोसायटीज़ का, एक का नहीं, अनेक सोसायटीज का वर्तमान में रिकॉर्ड दर्ज है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, इतना ही नहीं इस देश में पहली बार 13 फरवरी, 2016 को 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' चलाई गई। इससे पहले कभी किसान को अपनी फसल का बीमा करवाने के लिए एक मुश्त राशि के रूप में अपनी जेब से पैसा खर्च करना पड़ता था

08/02/2019/1250/MS/DC/1

परन्तु भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और इस देश के प्रधानमंत्री ने खरीफ की फसलों पर किसान से केवल-मात्र दो परसेंट चार्ज प्राप्त किया। रबी की फसलों पर केवल-मात्र डेढ़ परसेंट और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स पर 5 परसेंट तक चार्ज लेकर इस देश के गरीब किसान को लाभ देने की तरफ ध्यान दिया है।

उपाध्यक्ष जी, एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कम्पनी ऑफ इण्डिया 500 जिलों में किसान की फसल का बीमा कर रही है और 20 लाख किसानों को लाभ पहुंचाया है। मैं मानता हूं कि जो आंकड़े माननीय राकेश सिंघा जी ने रखे हैं कि प्रिमियम इतना गया और लोगों को क्लेम इतना मिला, मैं उससे सहमत हूं तथा उसमें काफी हद तक सच्चाई भी है। मेरा सरकार से निवेदन है कि इस तरफ जरूर ध्यान दिया जाए और इसको ठीक करने की दिशा में कोई कारगर पग उठाए जाएं। मैं इसमें किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए थोड़ी सी और बातें भी करना चाहूंगा। मैं मंत्री महोदय से निवेदन भी करना चाहता हूं कि कई प्रकार की फसलें इन्श्योरेंस के दायरे में दर्ज़ हैं और मेरे जिला ऊना में आलू की बम्पर फसल पैदा होती है। एशिया की सबसे बड़ी आजादपुर मण्डी दिल्ली में जिला ऊना की दीवाली के आसपास पहली गाड़ी जाती है और कई बार ऐसा भी हुआ है कि हरोली से, मुकेश अग्निहोत्री जी सहमत होंगे, इनके एरिया के किसानों को वहां पुरस्कार के तौर पर ट्रैक्टर

या कोई संयंत्र भी प्राप्त हुआ हैं। परन्तु आलू की फसल का बीमा दर्ज़ नहीं है। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि मेरे जिला ऊना की इस फसल को भी बीमे के अंतर्गत लाया जाना चाहिए।

दूसरा, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि चण्डीगढ़ या दिल्ली की तर्ज़ पर किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए, उनकी प्रोडक्शन का उनको सही दाम मिल सके, वे कहीं दलालों या कमिशन एजेंट के चक्कर में न फंस जाए, इसके लिए हरेक सैक्टर में टैम्परेरी यार्ड बनाए जाएं ताकि किसान खुद जाकर अपनी फसल बेचे। जैसे वहां सोम बजार, मंगल बाजार और बुध बाजार के नाम से मार्किट चलती है, मैं चाहता हूं कि हिमाचल में भी दो तीन पंचायतों का कलस्टर बनाकर एक टैम्परेरी यार्ड बनाया जाए ताकि किसानों को फसल का सही दाम मिले। जो खरीददार हैं उन्हें भी सही दाम मिले और बिचौलिए का लाभ बच जाए। आज हालत यह है कि किसान को गाजर का रेट 5/- रुपये मिलता है परन्तु रेहड़ी पर जब आप खरीदना चाहेंगे तो आपको वही गाजर 15/- रुपये किलो मिलेगी। रेहड़ी वाले ने एक या दो घण्टे रेहड़ी लगाई है और वह 10/-रुपये कमा रहा है परन्तु किसान जिसने उसको उगाया है उसको उसकी सही लागत और उसकी सही मेहनत का कुछ नहीं मिल रहा है। मेरा निवेदन रहेगा कि पूरे हिमाचल प्रदेश में विभाग की तरफ से कुछ ऐसे यार्ड बनाए जाएं ताकि किसानों को लाभ मिले। उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्षः अब चर्चा में माननीय सदस्य श्री जगत सिंह नेगी जी भाग लेंगे। माननीय सदस्य, कृपया समय का ध्यान रखें।

श्री जगत सिंह नेगी(किन्नौर)ः उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री राकेश सिंघा जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण संकल्प यहां नियम 101 के तहत प्रस्तुत किया है और मैं इस संकल्प के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

जो फसल बीमा की बात है, जो मुद्दे यहां पर श्री राकेश सिंघा जी ने रखे हैं, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। मैं केवल उनका समर्थन करता हूं। जहां तक यहां पर "प्रधानमंत्री राष्ट्रीय फसल बीमा योजना" की बात हुई है, यह इस समय मोदी सरकार का महा

घोटाला है। जैसे यहां बताया गया कि इसमें 15 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा इकट्ठा होता है और इसमें कम्पनियां कौन हैं? वही हमारे मोदी जी के दोस्त रिलायंस, अंबानी और अदानी तथा क्लेम कितना किया गया, वह भी 5 हजार करोड़ रुपये से कम का क्लेम तो एक इन्श्योरेंस कम्पनी को, ...(व्यवधान)...इसमें पैसा भी प्रदेश की सरकारों द्वारा दिया जा रहा है।

उपाध्यक्षः मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि कृपया बीच में न बोलें। माननीय मंत्री जी ने भी उत्तर देना है।

श्री जगत सिंह नेगीः मेरा यह कहना है कि यह जो "फसल बीमा योजना" है इससे देश के सबसे गरीब किसान को कोई फायदा नहीं हो रहा है। अगर इसको कारगर बनाना है तो हमारा किसान जो आर्थिकी की रीढ़ की हड्डी है, उसको अगर सक्षम बनाना है

8.2.2019/1255/जेके/वाईके/1

तो हमें मिल-बैठ कर जो फसल बीमा योजना है, इसको एक अच्छी नीति देने की जरूरत है। इसको पारदर्शी बनाने की जरूरत है। जैसे कि श्री राकेश सिंघा जी ने कहा कि इसके टर्म्ज़ एण्ड कंडिशन्ज़ होने चाहिए। किसानों के पास कोई टर्म्ज़ एण्ड कंडिशन्ज़ नहीं है। बीमा कम्पनी का किसान का पैसा के0सी0सी0 के लोन के साथ ही चला जाता है बाकि उसमें स्टेट गवर्नमैंट उसमें अपना शेयर दे रही है और सारे-का-सारा पैसा इकट्ठा हो करके कहां जा रहा है, बड़े-बड़े अरबपतियों की जेब में जा रहा है। इससे बचने की जरूरत है, इसमें सोचने की जरूरत है, इसको सुधारने की जरूरत है और इस पर हमें काम करने की जरूरत है। इसके साथ जो यह फसल बीमा है, आज बन्दरों द्वारा जो हमारी खेती उजड़ रही है, जो आवारा पशुओं के द्वारा हमारी खेती उजड़ रही है, उसको भी इसमें शामिल करने की जरूरत है। इलाके की बात है, वैदर कंडिशन्ज़ की बात है सारी जगह पर इसको एक ही पैमाने से नहीं आंका जा सकता । हर इलाके की अपनी-अपनी स्थिति और परिस्थिति होती है। उन सभी बातों को ध्यान में रख कर मेरा तो आपसे यही निवेदन रहेगा,

यही सुझाव रहेगा कि इस बारे में अलग से जो हमारा कृषि विभाग है, वह एक सेमिनार आयोजित करें, जिसमें माननीय सदन के सभी माननीय सदस्यों को भी आमंत्रित करें। एक्सपर्ट्स के साथ बैठ कर, किस किस्म के टर्म्ज़ एण्ड कंडिशन्ज़ हों, किस किस्म का फसल बीमा हो, उसके लिए हमें कोशिश करने की जरूरत है। मैं यहां पर यही कहता हूं और जो यहां पर प्रस्ताव आया है उसका समर्थन करता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्षः श्री जगत सिंह नेगी जी आपका भी धन्यवाद। यदि इस तरह से ही सभी माननीय सदस्य अपना विषय रखेंगे तो समय की बचत होगी। अब माननीय सदस्य, श्री राकेश पठानिया जी चर्चा में भाग लेंगे। राकेश पठानिया जी समय का ध्यान रखेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है।

श्री राकेश पठानिया (नूरपुर): माननीय उपाध्यक्ष जी, हम समय का ध्यान भी रखेंगे और विषय का ध्यान भी रखेंगे। विषय हिमाचल प्रदेश के किसानों से जुड़ा हुआ है। हिमाचल प्रदेश में 72 परसेंट से ज्यादा लोग खेती-बाड़ी करते हैं। मैं बधाई दूंगा और राकेश सिंघा जी का धन्यवाद करूंगा कि ये एक अहम् विषय हाउस के अन्दर ले करके आए हैं। यह विषय हम सभी से सीधा जुड़ा हुआ है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपसे भी यह विषय जुड़ा हुआ है। जब तक इसमें यह पॉलिसी क्लीयर नहीं होगी और बलबीर जी ने ठीक कहा कि किसी ने इसकी तरफ सोचा और बिल्कुल सही कहा कि एक यशस्वी प्रधान मंत्री ने इसके बारे में ख्याल किया, इसके बारे में कोई ध्यान किया और इसके बारे में कदम उठाए। यह बात भी ठीक है कि हर प्रदेश की अपनी भौगोलिक परिस्थिति है। Himachal Pradesh will vary from district to district. हमारा जमींदार जिस प्रकार से एक्सप्लॉयट हो रहा है, मैं अपने क्षेत्र कांगड़ा की बात करूंगा। जो कांगड़ा के विधायक हैं वे मेरे से सहमत होंगे, हमीरपुर और ऊना के विधायक भी मुझसे सहमत होंगे। हमारे वहां पर जंगली जानवर हैं। हमारे वहां पर धान लगता है उसको धानी इलाका कहते हैं। अब जो सूअर है, इनके परिवार को हम बाण बोलते हैं, जो फीमेल होती है उसको डड बोलते हैं, उसके पीछे

जो बड़ा सूअर होता है उसको एगल बोलते हैं और जो इनके पीछे बच्चे होते हैं उनको रेचड़ा बोला जाता है। अगर एक बाण रात को किसी एक धान के खेत में आ जाए तो 8-10 कनाल धान को एक रात में ही वह स्वाह कर जाते हैं। अब उसकी आइडैंटिफिकेशन कौन करेगा, उसको वैरिफाई कौन करेगा? वहां पर पटवारी कौन जाएगा, एग्रीकल्चर का अधिकारी वहां पर कौन जाएगा और वे फिर उससे क्या सर्टिफिकेट मांगेंगे? वह किसान कहां-कहां जा करके धक्के खाएगा, वह किस के दरवाजें खटखटाएगा?

अब हम लोग बीमार होते हैं, हमारा परिवार बीमार होता है, स्वास्थ्य विभाग ने एक बहुत बढ़िया स्कीम बना दी हिम केयर और आप एक हजार रुपये साल का दो और पांच लाख की इन्श्योरैंस लो लेकिन जमींदार कहां जाएगा, उसकी इन्श्योरैंस की कैसे आइडैंटिफिकेशन होगी? वहां तो हमने एक हजार रुपये दे दिए। एक हजार से मेरा पूरा परिवार इन्श्योर्ड हो गया। मुझे बीमारी लगी, मैं हॉस्पिटल में गया और मेरा डाइग्नॉज़ हुआ कि मुझे खांसी है, जुकाम है और मेरा इलाज हो गया। उस जमींदार का इलाज कौन करवाएगा? उस जमींदार के नुकसान का मुआवज़ा करने के लिए मंत्री जी आपका कौन सा अधिकारी जाएगा? श्री राकेश सिंघा जी ने पीछे एक प्रश्न भी किया था वर्ष 2017-18 के दौरान, जिसमें वैदर भी कवर्ड है, 19, 40,000 रुपये का इन्श्योरैंस कम्पनी ने प्रीमियम का अमाउंट इकट्ठा किया और जो क्लेम मिले वह 18 लाख रुपये के मिले।

08-02-2019/1300/SS-AG/1

आपने साढ़े 19 लाख रुपये का प्रीमियम 1300 फार्मर्ज़ से इकट्ठा कर लिया। क्या पूरे जिला शिमला में 1300 फार्मर्ज़ हैं? उपाध्यक्ष महोदय, एक बात तो बड़ी स्पष्ट है। We have to make a policy on this and the policy has to vary from district to district. अब मंत्री जी ने डिस्ट्रिक्ट-वाइज क्रॉप का ब्योरा दिया है। मैं कांगड़ा की बात करूंगा तो प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना में मेज़, पैडी, व्हीट इत्यादि हैं और वैदर बेसड में केवल आलू व टमाटर हैं। क्या ये चार फसलें लगाकर मंत्री जी कांगड़ा में जमींदार की आमदन को दुगुना कर लेंगे? Can we double up the income? ये जो सब्जियां आपने बाकी जिलों में कवर

की हैं then why not in Kangra. हमारा जमींदार तो सब कुछ लगाता है। हमारा जमींदार तो करेला भी लगाता है। हमारा बॉर्डर में एरिया है तो एक-एक गांव से चार-चार ट्रालियां शाम को करेले और खीरे की आती हैं। अब इश्यु है कि you have to verify a policy from district to district. हर जिले का फसल लगाने का अपना एक क्रॉप पैटर्न है। उस क्रॉप पैटर्न के अंदर हमारी क्रॉप का तो वैसे ही बेड़ागर्क हो गया। अब हमने अपने गांव में यह भी देखा है कि कनक की हम फसल लगाकर जाते हैं और सुबह 200 से 500 बन्दर कनक जो थोड़ी बहुत अंकुरित हुई होती है उनको निकाल-निकाल कर खा रहे होते हैं। हमने यह दृश्य एक बार नहीं बल्कि 100 बार देख लिया है। अब आप मुझे बताईये कि वहां पर कौन-सी बीमा कम्पनी आयेगी? Who will cover that farmer? उसका रिजल्ट क्या हो रहा है कि जमींदार ने खेत में जाना बंद कर दिया है। मेरे भाई बलबीर जी ने कहा, जो पुराने जमाने की कहावत थी, वह कहावत अब खत्म हो गई है। क्यों खत्म हो गई क्योंकि हमने कोई ऐसा इनीशियेटिव नहीं लिया कि हम उस फार्मर को प्रोटैक्शन दे सकें। उसका एंड रिजल्ट क्या हुआ कि हमारे जमींदार ने खेत में जाना बंद कर दिया। फिर नरेगा आ गया और उसके बाद किशन कपूर जी की सब्सिडाइज स्कीम आ गई। अब चूंकि 200 रुपये में राशन मिलना शुरू हो गया, हर चीज़ सब्सिडाइज आ गई तो जमींदार ने खेत में जाना बंद कर दिया। उपाध्यक्ष महोदय, आप जितनी मर्जी घंटियां मार लीजिए, but this issue is related to the farmer of the State. यह फार्मर हमारी रीढ़ की हड्डी है। जिस तरीके के निर्णय आदरणीय जय राम ठाकुर जी ने लिये हैं, इस सरकार ने लिये हैं, मेरा यह मानना है कि अब नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा। इसलिए जैसे प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना आई। Weather Based Crop Protection आई है। वैसे मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि आप हिमाचल प्रदेश में एक टेलर मेड इंश्योरैंस पॉलिसी बनाएं। उसमें पहले हमारे जमींदार को बता दिया जाए कि आपकी ये-ये चीज़ कवर होगी और इस तरीके से कवर होगी और अगर उसका नुकसान होगा तो उसको मुआवजा मिलेगा। अब मुझे मंत्री जी यह बताएं कि एग्रीकल्चर में एक सब-डिवीजन में आपके पास कितने अफसर हैं? कितना आपके पास स्टाफ है? अब चार दिन पहले इतने ओले पड़े, इतनी ऐन पड़ी, अगर मैं चार निर्वाचन क्षेत्र की बात करूं तो इंदौरा, ज्वाली, फतेहपुर और नूरपुर में बहुत ऐन (ओलावृष्टि) पड़ी है जबकि अधिकारी एक है। अब उसने कहां जाकर अपने प्राण देने हैं। उस जमींदार का लॉस असैसमैंट कौन करेगा? Which is an agency that will identify the loss of that farmer? अब हमारे

पास क्या मैकेनिज्म है जिसमें उस जमींदार के घर पर जाकर राहत दे सकते हैं? अब उसमें पटवारी, कानूनगो बुलाते हैं। रेवेन्यू ऑफिसर इंवोल्व होते हैं, एग्रीकल्चर वाले इंवोल्व होते हैं और हॉर्टिकल्चर वाले आते नहीं हैं। एक आदमी दूसरे आदमी को कागज़ टॉस करता है। आपने बैडमिंटन खेला होगा। एक यहां से चिड़ी (Shuttle) को मारता है और दूसरा वहां से उसे वापिस भेजता है। यह हाल डिपार्टमैंट और जमींदार के साथ होता है। जमींदार का हाल भी चिड़िया (Shuttle) वाला होता है जैसे बैडमिंटन में शटल कॉक होती है। He shuttles from one department to other and nobody gives heed to him. इसलिए मेरा मंत्री जी और सरकार से निवेदन रहेगा कि let us formulate a policy which is tailor-made and suits the farmer और जमींदार के घर में जाकर उसकी समस्या को सुने और हमारे जिलावाइज एक पैटर्न का मैकेनिज्म डिवैल्प हो कि क्या-क्या फसल हम कैसे-कैसे लगाते हैं। इस बात को ध्यान में रखा जाए कि आने वाले दिनों में लोगों ने कनक लगानी बंद कर देनी है। लोग रूटीन फसलें नहीं लगायेंगे। लोग कॉमर्शियल क्रॉप पर जा रहे हैं। क्रॉप पैटर्निंग चेंज हो रही है। उसके लिए आपको पानी का इंतजाम करना पड़ेगा। अब बड़ी-बड़ी स्कीमें यहां पर आ रहीं हैं। वर्ल्ड होर्टिकल्चर मिशन यहां पर आ रहा है। बड़े-बड़े प्रोग्राम भारत सरकार की तरफ से आ रहे हैं जहां पर जमींदार को बहुत-सी सुविधाएं मिलने वाली हैं। जब वे सुविधाएं घरद्वार पर मिलेंगी तो क्रॉप पैटर्निंग भी चेंज होगी। जब क्रॉप पैटर्निंग चेंज होगी तो उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी भी उसी हिसाब से बने। I very seriously and very firmly support the resolution which Shri Rakesh Singhaji has brought. वह बात अलग है कि श्री राकेश सिंघा जी के भाषण के अंदाज में आपको कम्युनिज्म नज़र आयेगा। परन्तु ऑवरऑल अगर आप उससे थोड़ा आगे जायेंगे तो फार्मर्ज़ का हित नज़र आयेगा। फार्मर्ज़ के हित के लिए हम सब सदन की तरफ से यह निवेदन करना चाहेंगे कि kindly formulate a policy which goes and suits the farmer in a tailor-made form. उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

08.02.2019/1305/केएस/एजी/1

उपाध्यक्षः धन्यवाद, राकेश पठानिया जी। अब क्योंकि लंच का समय हुआ है इसलिए अब इस माननीय सदन की बैठक दोपहर के भोजनावकाश के लिए अपराह्न 2.05 बजे तक स्थगित की जाती है।

8.2.2019/1410/av/dc/1

(सदन की बैठक दोपहर के भोजनोपरांत 2.10 बजे अपराह्न पुनः आरम्भ हुई।)

उपाध्यक्ष : चर्चा को जारी रखते हुए अब मैं माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र शौरी जी को बोलने के लिए आमन्त्रित करता हूं।

श्री सुरेन्द्र शौरी (बन्जार) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक राकेश सिंघा जी द्वारा प्रस्तुत संकल्प कि हिमाचल प्रदेश के किसानों की फसल का बीमा कवर हो और उसके लिए सरकार द्वारा कोई नीति बनाई जाए; की चर्चा पर भाग लेने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक अभी भी हिमाचल प्रदेश में लगभग 62 प्रतिशत लोग कृषि एवं कृषि से सम्बंधित कार्यों में जुटे हैं और यहां ज्यादातर लोगों की आजीविका का मुख्य साधन कृषि और पशु पालन ही है। हम देखते हैं कि अगर किसान खेती करता है और मौसम ठीक रहे व किसी तरह की समस्या न आए तो एक परिवार आसानी से अपना गुजारा कर लेता है। वह अपनी आजीविका ठीक से कमा लेता है। लेकिन अचानक कभी बर्फबारी हो जाए, भूस्खलन हो जाए या सूखा पड़ जाए तो उसको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन कारणों से उसकी फसल तबाह हो जाती है और ऐसी परिस्थिति में इस प्रदेश का किसान कहीं का नहीं रहता। हम देखते हैं कि जब किसान अपनी फसल व खेती में इस तरह के नुकसान देखता है तो वह आत्महत्या जैसे कदम उठा लेता है। हम इस देश के प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं कि

उन्होंने 13 फरवरी, 2016 को इस दिशा में एक बेहतरीन पहल की और 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' की शुरूआत की। जिसके तहत इस देश के किसानों को खरीफ़ की फसल में 2 प्रतिशत और रबी की फसल में डेढ़ प्रतिशत प्रीमियम राशि ली जाती है। इसके अलावा जो अन्य कैश क्रॉप है-जैसे सेब इत्यादि उसमें 5 प्रतिशत प्रीमियम जमा करना पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि हमारा किसान इस योजना को ठीक से समझ नहीं पा रहा है और बहुत से किसान अपनी फसल की इंश्योरेंस नहीं करवा पा रहे हैं। मुझे लगता है कि उसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार अवश्य एक अच्छी नीति बनाएं और उसमें संबंधित विभाग को जागरूकता भी पैदा करनी पड़ेगी। इंश्योरेंस के अधिकारियों के साथ सरकारी अधिकारियों को भी पंचायत स्तर पर जाना पड़ेगा ताकि किसानों के अंदर एक विश्वास पैदा हो कि उनको उनकी इंश्योरेंस का पैसा अवश्य मिलेगा। उनके अंदर विश्वास पैदा करना पड़ेगा, उनको इसके फायदे गिनाने पड़ेंगे। जैसाकि माननीय सदस्य श्री राकेश पठानिया जी ने कहा कि किसानों को हम इस बात की गारंटी दें, जब आपकी फसल का नुकसान होगा तो इसके लिए सर्वेयर, पटवारी समय पर आएंगे और आपका जो लॉस होगा उसको समय पर असैस करेंगे। वे इसके लिए एक समय-सीमा तय करेंगे कि निश्चित समय-सीमा के अंदर इंश्योरेंस का पूरा पैसा मिल जाएगा। यदि कभी किसान का लॉस होता है तो उसकी अदायगी हम समय पर करें, उसको इस बात की गारंटी देनी पड़ेगी। हम प्रदेश के अंदर किसानों की इंश्योरेंस कर रहे हैं। इस योजना के तहत शुरू में एक जागरूता पैदा करने के लिए इंश्योरेंस का प्रीमियम कम रखना चाहिए। यदि यह प्रीमियम हम कम रखेंगे तो इसका हमें निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। मैं स्वयं एक किसान हूं। मैं प्रदेश के अंदर और अपनी विधान सभा के अंदर देखता हूं कि बहुत-सारी नकदी फसलें हैं लेकिन किसान उसमें रिसक इसलिए नहीं लेता है कि यदि उसमें नुकसान हो जाएगा तो वह उसकी भरपाई कैसे करेगा? हम किसानों की आय दोगुनी करने की बात करते हैं। मुझे लगता है कि किसान द्वारा मक्की और गेहूं बीजने से किसानों की आय

दोगुनी नहीं हो सकती। उसके लिए हमें कैश क्रॉप की ओर बढ़ना पड़ेगा और किसानों को गारंटी देनी पड़ेगी कि आप रिसक उठाईए, हम आपको फसल का पूरा इंश्योरेंस देंगे। इस प्रकार की एक नीति बनानी पड़ेगी, जिसके कारण प्रदेश के किसानों का हौंसला बढ़े और किसान अच्छे से खेती करें। निश्चित तौर पर किसान जब खेती की ओर आगे बढ़ेगा तो प्रदेश के अंदर बेरोज़गारी में भी कमी आएगी। आज प्रदेश के अंदर एक युवा कहीं प्राइवेट कम्पनी या आउटसोर्स में 7-8 हजार रुपये महीने पर काम कर रहा है। जब उसको कृषि के अंदर ज्यादा संभावनाएं दिखेगी तो वह अवश्य कृषि की ओर ध्यान देगा। इस नाते मैं चाहूंगा कि एक अच्छी नीति इस प्रदेश के अंदर बने, जिसके कारण प्रदेश का किसान मजबूत हों और इस प्रदेश के किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ हो। मैं आपका तहदिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मेरा प्रदेश सरकार से निवेदन है कि किसानों की चिंता करते हुए, उनको एक अच्छी पॉलिसी, अच्छा इंश्योरेंस कवर मिले जिससे प्रदेश का किसान आगे बढ़े।

उपाध्यक्षः अब चर्चा में माननीय सदस्य श्री बिक्रम सिंह जरयाल जी भाग लेंगे।

श्री विक्रम सिंह जरयाल (भटियात): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हाउस में माननीय सदस्य श्री राकेश सिंघा जी ने कृषि के ऊपर जो प्रस्ताव लाया है, उसके ऊपर बोलने के लिए मैं भी खड़ा हुआ हूं। हम यहां पर बड़ी-बड़ी बातें कर रहे है कि कृषि को बढ़ावा देने के लिए ये सरकार कुछ नहीं कर रही है और किसान मर रहे हैं।

08-02-2019/1420/NS/HK/1

आजकल के नौज़वान खेतों में नहीं जा रहे हैं, उनको किसी से कोई लगाव नहीं है। मेरा सरकार और सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि पहले हमें इन युवाओं को जागरूक करना पड़ेगा और इससे बेरोज़गारी भी दूर होगी। जब हम खुद खेत में जाएंगे तो हमारी

आने वाली पीढ़ी भी खेत में जाएगी। जब हमारे कृषि और बागवनी विभाग खेतों में जाएं और किसानों को बताएं कि इस फसल की पैदावार करने के लिए किस प्रकार की मिट्टी चाहिए, किस प्रकार का मौसम चाहिए, कितना पानी चाहिए और कब यह फसल लगाई जाएगी? जब तक हम इन सब बातों पर गौर नहीं करेंगे, तब तक कृषि में सुधार होने वाला नहीं है। सरकार चाहे कितना भी पैसा दे, कृषि में इस प्रकार से सुधार नहीं होगा। विभाग जब किसान के साथ खेत में जाएगा, स्वायल टैस्ट करेगा कि यहां पर कौन-सी फसल ज्यादा उत्पन्न हो सकती है? तब जा करके उनका भरोसा जागेगा और उनको पता लगेगा कि मेरे खेत में सबसे अच्छी पैदावार किस फसल की होगी? उनके खेत में कौन-सी क्रैश क्रोप और फसल हो सकती है? मुझे लगता है तब जा करके कृषि में थोड़ा सुधार होगा। यह मानने वाली बात है, चाहे हम यहां पर जितनी भी बड़ी बातें करते रहें। देश में प्रधानमंत्री जी ने कई योजनाएं चलाई हैं। "प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना", "मुख्यमंत्री कृषि बीमा योजना, "प्रधानमंत्री सिंचाई योजना" और "प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना" कृषि के लिए ऐसी बहुत सारी योजनाएं चली हुई हैं। किसानों को बीज़ मुफ्त दिए जाते हैं। कई स्थानों पर खाद भी मुफ्त दी जाती है। सिंचाई के लिए बड़ी-बड़ी कूहलें बनाई हैं, लिफ्ट इरीगेशन के लिए कई स्कीमें बनाई गई हैं। लेकिन इनका फायदा हम लोग तभी उठा सकते हैं जब हम लोग खेतों में जाएंगे। मैं इस माननीय सदन को बताना चाहता हूं कि मैंने आज तक एक भी दाना राशन का नहीं खरीदा है। मेरी उम्र 58 साल हो गई है। जब मैं खेत में जाउंगा तो मेरा लड़का या परिवार खेत में क्यों नहीं जाएगा? जब मैं जाउंगा तो वे सब भी जाएंगे। यह सुनिश्चित करना पड़ेगा। यहां पर अधिकारी वर्ग भी बैठा हुआ और अगर ये लोग विभाग को निर्देश देंगे कि जब किसान फसल बीज़ने लगता है तो विभाग के अधिकारी/कर्मचारी उनको जा करके बताएं। किसानों को मक्की, गेहूं और धान के अलावा किसी अन्य फसल का पता ही नहीं है। अभी यहां पर माननीय सदस्य, श्री सुरेन्द्र शौरी जी ठीक बोल रहे थे। किसान को क्रैश क्रोप के बारे में बताया जाए और उससे किसान की आय भी ठीक होती है। लेकिन किसान को क्रैश क्रोप के बारे में जागरूक करने के लिए विभाग को कैंप लगाने चाहिए। लेकिन ये कैंप शहरों में नहीं बल्कि खेतों के नजदीक लगने चाहिए। किसानों को खेतों में जा करके बताया जाए या एक्सपेरीमैंट किया जाए कि इस फसल को ऐसे लगाना है और इससे यह फायदा होगा। आज सरकार क्या नहीं कर रही है? सरकार मनरेगा में लैंड डिवेल्पमैंट के लिए पैसा दे रही है, स्वायल कंजरवेशन में लैंड डिवेल्पमैंट के लिए पैसा

दे रही है। जिमींदार की फसल को आवारा पशुओं और जंगली जानवरों से बचाने के लिए सोलर फैंसिंग को सरकार 80 प्रतिशत सबसिडी दे रही है और स्वायल टेस्टिंग भी कर रही है। मैं कहना चाहूंगा कि जब तक हम इन सारी बातों की तरफ ध्यान नहीं देंगे, तब तक हमारा कृषक समृद्ध नहीं बन सकता है।

सब्जियां क्रैश क्रोप है। सरकार हरेक चीज़ पर सबसिडी दे रही है। कोल्ड स्टोर्ज़ खोले हुए हैं। माननीय सिंघा जी भी बोल रहे थे कि खेती पर भी इश्योरैंस हो रही है। सरकार इश्योरैंस कवर देती है। जैसे माननीय सदस्य यहां पर बता रहे थे कि इश्योरैंस की गई है लेकिन किसानों को पैसा नहीं मिला है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उन किसानों ने बताया कि हमने इस कंपनी में फसल की इश्योरैंस की थी? जब तक हम इन सारी बातों को सरकार को नहीं बताएंगे और जागरूक नहीं करेंगे तब तक हमारा सुधार नहीं होगा। मैं यहां एक और बात बताना चाहता हूं। अगर किसी व्यक्ति की बस दुर्घटना में अचानक मृत्यु हो जाती है तो आदरणीय मोदी जी ने ऐज़ की कोई लिमिट नहीं रखी है और इसके लिए 2 लाख का बीमा रखा हुआ है। लेकिन इसके लिए लोगों को जागरूक किसने करना है? यह हमारा काम है।

08.02.2019/1425/RKS/HK-1

एक महीने में 12 रुपये कुछ भी नहीं होते हैं। एक दूसरा बीमा जोकि 330 रुपये का है उस बीमे के तहत यदि किसी बीमारी से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो 50 वर्ष से नीचे के व्यक्ति उस बीमे के अनुरूप लाभ उठा सकते हैं। सरकार इंश्यारैंस दे रही है लेकिन लोगों को जागरूक करना हमारा काम है। मैं माननीय सदस्य, श्री राकेश सिंघा जी से कहना चाहूंगा कि हमें यह बताना होगा कि इस-इस बीमा से यह-यह फायदा होता है। कृषि को बढ़ावा देने और किसान को समृद्ध करने के लिए युवाओं को जागरूक करना आवश्यक है। सब्जी हमारी नकदी फसल है। जो फलदार पौधे हैं, वे कहां लगेंगे, उनकी परवरिश कैसे होगी, कौन-सी दवाई कब इस्तेमाल की जाएगी, इन चीजों के बारे में जब तक हम लोगों को नहीं बताएंगे तब तक हमारा किसान समृद्ध नहीं हो सकता। मेरी सत्तापक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों से गुजारिश है कि हमारे किसानों की आय

दोगुनी कैसे हो, हमें इस तरफ ध्यान देना होगा । यदि हम इस तरफ ध्यान देंगे तो माननीय मोदी जी का स्वप्न पूर्ण होगा। इसके लिए हम सभी को प्रयास करना होगा। जो संबंधित अधिकारी यहां पर बैठे हैं उनको मैं यह कहना चाहूंगा कि वे भी इसके लिए किसानों को जागरूक करें। माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्षः अब माननीय कृषि मंत्री इस चर्चा का उत्तर देंगे।

कृषि मंत्रीः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियम-101 के अंतर्गत आदरणीय श्री राकेश सिंघा, श्री बलबीर सिंह, श्री राकेश पठानिया, श्री सुरेन्द्र शौरी, श्री बिक्रम सिंह जरयाल और श्री जगत सिंह नेगी जी ने चर्चा में भाग लिया। हिमाचल प्रदेश में लगभग 80 प्रतिशत किसान हैं। हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2016 में केंद्र सरकार द्वारा दो प्रकार की फसल बीमा योजना शुरू की गई। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि यह नीति भारत सरकार की नीति है। हिमाचल प्रदेश में ' प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना' और Restructured Weather Based Crop Insurance Scheme (R-WBCIS) शुरू की गई हैं।

'प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना' में खरीफ की फसलें बीजी जाती हैं जिसमें मक्की और धान की खेती होती है तथा रबी की फसलों में गेहूं और जौ की खेती होती है। इसी तरह Restructured Weather Based Crop Insurance Scheme में मुख्य तौर से खरीफ और रबी की दोनों फसलों को कवर किया गया है जिसमें- आलू, टमाटर, मटर, बंदगोभी, फुलगोभी, लहसून, अदरक और शिमला मिर्च की खेती की जाती है। मैं मानता हूं कि आदरणीय राकेश सिंघा जी का विषय बहुत महत्वपूर्ण है । मैंने स्पष्ट किया है कि यह दोनों पोलिसिज केंद्र सरकार की हैं और इनमें केंद्र सरकार द्वारा ही नीति निर्धारित की गई है।

मैं इसकी रूपरेखा के बारे में बताना चाहता हूं। यहां पर जो भाषण माननीय सदस्यों द्वारा दिया गया उसमें जो प्रश्न किए गए हैं उनका उत्तर भी देना चाहूंगा। इसमें यह स्पष्ट कहा गया है, (1) Prevented Sowing/Planting Risk: Insured area is prevented from sowing/planting due to deficit rainfall or adverse seasonal conditions.
(2) Standing Crop (Sowing to Harvesting): Comprehensive risk insurance is provided to cover yield losses due to non-preventable risks, viz. Drought, Dry spells, Flood, Inundation, Pests and Diseases, Landslides, Natural Fire and Lightening, Strom, Hailstorm, आदरणीय सिंघा साहब इसमें हेलस्ट्रोम भी इसमें शामिल है। Cyclone, Typhoon, Tempest, Hurricane and Tornado.
(3) Post-Harvest Losses: coverage is available only up to a maximum period of two weeks from harvesting for those crops which are allowed to dry in cut and spread condition in the field after harvesting against specific perils of cyclone and cyclonic rains and unseasonal rains.
(4) Localized Calamities: Loss/damage resulting from occurrence of identified localized risks of hailstorm, landslide, and Inundation affecting isolated farms in the notified area. इन सारी इफैक्टिड एरिया को हम इंश्योरेंस में कवर करते हैं। माननीय सदस्यों ने बहुत सारे विषय उठाए हैं। विशेष कर माननीय सिंघा साहब ने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाया है।

माननीय उपध्यक्ष महोदय, यह सच्चाई है कि आज 40 पंचायतों के लिए एक मौसम कार्यालय स्थापित किया गया है। हमारे जो मौसम पर आधारित इंश्योरेंस है वहां पर जो यंत्र लगे हैं वह एक ही यंत्र 5000 फिट क्षेत्र को भी कवर कर रहा है और वही यंत्र 12000 फुट की ऊंचाई वाले एरिया को भी कवर करना है। जिस व्यक्ति ने इंश्योरेंस किया है उन्हें वह पैसा नहीं मिलता है और यह सच्चाई है। हमने भारत सरकार से इस संबंध में आग्रह

किया है । हमने दो बार भारत सरकार को पत्र भेजा है मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम चाहते हैं कि हर पंचायत के अंदर दो-दो यंत्र लगे ताकि मौसम की प्रोपर रिपोटिंग हो सके और लोगों को इंश्योरेंस का पूरा पैसा मिले। ऐसा मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं। माननीय सिंघा साहब ने उद्यान विभाग से संबंधित बात कही है । हम भी चिलिंग अवर के विषय में केन्द्र सरकार को लिख चुके हैं और अब फिर कहेंगे। यह उद्यान विभाग का विषय है परंतु इंश्योरेंस दोनों विभागों को कवर करती है। हमने भारत सरकार को इस बारे में लिखा है कि इसमें चिलिंग अवर का नार्म्ज है उसे कंपनी निर्धारित न करें। उन कंपनीज को यह निर्धारित करने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरी बात माननीय माननीय सदस्यों ने कही वह मेरी समझ में नहीं आती कि मेरे मित्रों को माननीय प्रधान मंत्री जी के नाम का डर क्यों हो गया है। आज भी इन्होंने एक बात कही, किस कारण से कही मुझे नहीं पता, किस प्रकार की राजनीति वे करने लगे हैं। यहां कहा दिया गया कि यह जो कंपनीज हैं यह आदरणीय मोदी जी की कंपनियां हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि इन कंपनियों ने वर्ष 2016 में कार्य आरंभ कर दिया था। उस वक्त आपकी सरकार प्रदेश में थी। हम टैंडर काल करते हैं तब कंपनियां आती हैं।

8.2.2019/1435/डीटी/वाईके/1

माननीय कृषि मंत्री जारी....

मैं परसों बात कर रहा था कि इन्होंने कहा कि माननीय सदस्य का नाम लिया **जो** विधान सभा के अन्दर नहीं है। माननीय विधायक श्रीमती आशा कुमारी ने कहा कि रिलायंस कंपनी वाले पैसे खा रहे हैं। मैंने उसका जवाब देना उस दिन मुनासिब नहीं समझा क्योंकि जब भारत सरकार की बड़ी-बड़ी बातें हो रही है। लेकिन दूसरे दिन अखबार में छप गया। मैंने इसलिए स्पष्ट किया कि 68,886 किसानों को जो 74 करोड़ रूपये का प्रिमियम इंश्योरेनस दिया गया है। मैंने इस पर स्पष्टीकरण किया तो यहां पर कहा कि जो चुने हुए माननीय सदस्य है तो उसको लाभ देने में उपाध्यक्ष महोदय कानून के दायरे में कोई

उल्लंघन नहीं हैं। इस ढंग से मुझे कहा कि तब मैने ज्यादा नाम नहीं लिया। उपाध्यक्ष महोदय जो कांग्रेस के समय में यहां पर जो दो कंपनिया हैं चाहे एस.बी.आई. या ए.सी.सी. हो टैंडर में वही लोग थे और आज भी वही लोग हैं वही लोग 2016 से हैं। आपका ई.आई.सी.सी. है हम टैंडर कॉल करते हैं। उस टैंडर में लोग आते हैं। परंतु इसी तरह से कहना ठीक नहीं है और उपाध्यक्ष महोदय मैं आज बहुत से फीगर ले के आया हूं। माननीय सदस्य राकेश पठानिया जी ने कहा और बलबीर जी ने कहा कि इनका विषय बहुत जरूरी है। मैं आप सब के ध्यान में लाना चाहता हूं, भारत सरकार ने उसमें विषय बड़ा क्लीयर कहा है। इस साल हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के दिशा पर हमारे विधायकों के निवेदन पर बहुत से एरियाज को हमने इसमें समलित किया है। ये कौन-कौन सी फसल है इसमें हम कवर करते हैं। बिलासपुर जिला के अंदर मक्का, धान, गेहूं ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कवर करते हैं । आपका वैदर बेस्ड इंश्योरेंस में आलू, अदरक और चंबा जिला के अंदर मक्का, धान, गेहूं और जौ और आपका वैदर बेस्ड में आलू और मटर और हमीरपुर के अंदर मक्का, धान, गेहूं और आपका वैदर बेस्ड एरिया के अंदर कोई भी फसल कवरड नहीं करते हैं। कांगड़ा के अंदर मक्का, धान, गेहूं और जौ और वैदर बेस्ड में आलू और टमाटर कवर किए जाते है। किन्नौर जिला के अंदर गेहूं और जौ और वैदर बेस्ड में आलू और मटर। कुल्लू जिला के अंदर मक्का, धान, गेहूं और जौ और वैदर बेस्ड में आलू, टमाटर, मटर, गोभी और लहसुन। लाहौल-स्पिति

8.2.2019/1435/डीटी/वाईके/2

जिला में कोई भी फसल नहीं है, कोई भी फसल कवर नहीं की गई है और उपाध्यक्ष महोदय आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि लाहौल-स्पिति में माननीय मुख्यमंत्री के आर्शीवाद से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में गेहूं और जौ ले रहे हैं और वैदर बेस्ड में आलू, मटर और बंदगोभी को 2019 में कवर कर रहे हैं। मण्डी जिला के अंदर मक्का, धान, गेहूं और जौ और वैदर बेस्ड में आलू, टमाटर और मटर ले रहे हैं। शिमला जिला के अंदर मक्का, धान, गेहूं और जौ और वैदर बेस्ट में आलू, टमाटर, मटर, गोभी और बंदगोभी कर

रहे हैं। सिरमौर जिला के अंदर मक्का, धान, गेहूं और जौ और वैदर बेस्ड में हम आलू, अदरक, टमाटर और लहसुन कर रहे हैं। सोलन जिला के अंदर मक्का, धान, गेहूं और जौ और वैदर बेस्ड में आलू, अदरक और शिमला मिर्च कर रहे हैं। ऊना जिला के अंदर हम मक्का, धान और गेहूं और वैदर बेस्ड में हम आलू कर रहे हैं। और फसलों के बारे में कहा कि हम कवर करेंगें और कितनी ऐड करेंगें हमने कुल्लू और सिरमौर जिला में लहसुन इसमें डाला है। श्री राकेश सिंघा साहब आपका स्पेशल एरिया 2018 में Cabbage in all the Blocks of Kullu District and in Theog Block of Shimla District हमने इस बार आपका गोभी इसमें डाला है और इसके साथ-साथ हमने इसको बैदर बेस्ड पर डाला है। आपका उसके आगे बंदगोभी ठियोग में डाला है। इस बार हमने उसी तरह से बल्ह और सुन्दरनगर में टमाटर बैदर बेस्ड में डाला है।

08/02/2019/1440/RG/AG/1

माननीय उपाध्यक्ष जी, जहां तक माननीय सदस्य बलबीर सिंह जी ने कहा तो हम इस साल ऊना का पोटेटो वर्ष 2019 में weather based में डाल रहे हैं और मैं सभी माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा क्योंकि यहां दोनों पक्ष के सदस्य बैठे हैं। इसमें शर्त है यह कि कम-से-कम 300 से 400 हैक्टेयर जमीन होनी चाहिए। परन्तु यह पहाड़ी इलाका है। आपके इलाके में जहां कोई भी फसल होती हो, उसको weather based में डालना चाहेंगे, तो आप हमें रिपोर्ट दीजिए, हम सर्वे कराएंगे। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने भी यह स्पष्ट कहा है कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए हम किस तरह से किसानों को फायदा दे सकते हैं, तो वह दिया जाना चाहिए। श्री राकेश पठानिया जी ने कहा कि मेरे इलाकों में बहुत फसलें होती हैं। अगर फसल की क्वान्टिटी कम होती है या ऐरिया कम होता है तो इन्श्योरेंस कम्पनी के लोग वहां नहीं जाते हैं। मैं इसमें सिरमौर का उदाहरण देना चाहूंगा कि सिरमौर में हमने जिन्जर को इसमें डाल तो दिया और जब इन्श्योरेंस करने लगे, तो 700/-रुपये प्रिमियम देना पड़ा और उनको पैसा ही नहीं मिला या बहुत कम मिला। मैं इस सदन में माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि आपके इलाके में जो भी फसल हो, अगर ऐसा लगता है कि उसको weather based में कवर नहीं कर रहे हैं,

'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' में कवर नहीं हो रही है तो निश्चित तौर आप विधान सभा सत्र के समय ही लिखकर दे दें, मैं सर्वे करवा लूंगा। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने यह स्पष्ट कहा है कि जितनी भी फसल हैं, हम जितना अधिक-से-अधिक उन्हें बीमा के अन्तर्गत ला सकते हैं, चाहे weather based में डालें या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में डालें, तो हम इसके लिए पूरी कोशिश करेंगे कि हम सभी फसलों को इसमें induct करें। माननीय उपाध्यक्ष जी, आदरणीय सिंघा जी ने बार-बार Crony Capitalism की बात की। सिंघा साहब जब भी भाषण देते हैं तो कैपिटलिज्म की बात जरूर करते हैं। मुझे सिंघा साहब का उनकी अपनी विचारधारा पर चलना अच्छा लगता है। परन्तु यहां विचारधारा की बात नहीं है। यहां एक आम और साधारण व्यक्ति की बात है, यहां हम सब विधायक बैठे हैं और आप बैठे हैं। हम अपने-अपने चुनाव क्षेत्रों की समस्याओं को यहां उठाते हैं और सिंघा साहब यदि कोई विषय अच्छा हो, तो निश्चित तौर पर हम उसका सम्मान करेंगे और जो कार्रवाई कर सकते हैं, करेंगे।

जैसा मैंने शुरू में कहा कि यह पौलिसी केन्द्र सरकार की है। हमने समय-समय पर इसके लिए पत्र भी लिखा है और हमने जो चेन्ज कराना चाहा, हम उसमें सफल भी हुए हैं। जो भी आज आपने इसमें सुझाव दिए हैं, **हम निश्चित तौर पर केन्द्र सरकार को लिखने वाले हैं, लिखा भी है और दुबारा भी लिखेंगे कि उन चीजों को इन्ट्रोडियूज किया जाए या उनको चेन्ज किया जाए।**

माननीय उपाध्यक्ष जी, जो एरिया की बात की और जहां तक कम्पनियों का सवाल है। हमारे टैण्डर्ज में बड़ी-बड़ी बहुत कम कम्पनियां आ रही हैं, दो-दो ही आ रही हैं। मैं शौरी जी का जवाब दे रहा था। वैसे हम समय-समय पर इसके लिए प्रचार करते रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो हमने जितने भी किसान मेले लगाए तो मैं अपने साथ दोनों ही इन्श्योरेंस कम्पनियों को ले गया, चाहे वह घणाहटी की बात हो, अभी विक्रमादित्य जी यहां नहीं हैं, तो जब हमने वहां किसान मेले का आयोजन किया, मैं कुफरी, कांगड़ा व अन्य स्थानों पर गया हूं, तो मैं दोनों कम्पनियों को अपने साथ ले गया। वहां कम्पनी के अधिकारी इस पर दस मिनट भाषण दें और किसान मेले में लोगों को बताएं कि इन्श्योरेंस कम्पनी का क्या फायदा है और इसको हम कैसे करा सकते हैं। यह सच्चाई है कि फसल बीमा में जिस

प्रकार से लोगों की संख्या होनी चाहिए, वह कम है। हम चाहते हैं कि यह संख्या बढ़े और हमने इसके लिए समय-समय पर समाचार-पत्र, टी.वी. व रेडियो के माध्यम से प्रचार-प्रसार भी किया है और हम चाहेंगे कि भविष्य में भी जितने किसान मेले हों, हम उन कम्पनियों को साथ में ले जाएं ताकि इसका प्रचार-प्रसार बहुत ही व्यापक रूप से हो सके। माननीय उपाध्यक्ष जी, यहां क्लेम की बात हुई है तो मैं यहां सदन में एक बात बहुत ही स्पष्ट करना चाहूंगा कि मैंने यहां फसलों के नाम भी बताएं कि इसमें कौन-कौन सी फसलें कवर की जाती हैं। मैं एक और जानकारी यहां देना चाहूंगा। मैंने एक शब्द यहां कहा, शायद आप लोगों ने उसको गंभीरता सुना या नहीं? उसमें बहुत ही स्पष्ट लिखा गया है, जो मैंने लास्ट में कहा था 'post harvesting losses.' जब हम फसल काट लेते हैं, तो कोई आगजनी या अन्य कोई घटना हो जाए और 24 घण्टे में हमें रिपोर्टिंग हो जाए, तो हम राजस्व विभाग, कृषि विभाग व इन्श्योरेंस वाले वहां पहुंचते हैं। जो भी रिपोर्टिंग टाइम पर हुईं, हमने सभी सौ प्रतिशत लोगों का क्लेम सैटल किया है। आज तक कोई भी ऐसा क्लेम नहीं है जो हमने सैटल न किया हो या जो हमारे ध्यान में आया हो। अभी तक कोई भी क्लेम ऑऊटस्टैण्डिग नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, सिंघा साहब ने यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाया है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि यह भारत सरकार की पॉलिसी है

08/02/2019/1445/MS/DC/1

उसी को हम इम्प्लीमैंट करते हैं और हिमाचल प्रदेश की समस्याओं को देखते हुए समय-समय पर हमने कुछ चेन्जिज भी करवाए हैं और हमने पत्र भी लिखा है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो भी विषय आपने मेरे ध्यान में लाए हैं, जैसे हिमाचल के किसानों को हम किस तरह से फायदा पहुंचा सकते हैं, किस तरह से किसानों की आय को दोगुना कर सकते हैं और किस तरह से किसानों तक हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री जी की पॉलिसी को पहुंचाया जाए, इसको समय-समय पर हमने इम्प्लीमैंट किया है। माननीय सदस्य राकेश सिंघी जी आपने सब ठीक कहा लेकिन यह पॉलिसी भारत सरकार की है। अगर यह पॉलिसी हिमाचल प्रदेश सरकार की होती तो अलग बात थी लेकिन हम कोशिश

करेंगे। ये दोनों नीतियां भारत सरकार की हैं और इन्हें यहां हमने केवल इम्प्लीमैंट किया है। इसलिए माननीय सदस्य से निवेदन है कि वे अपना संकल्प वापिस लें।

उपाध्यक्षः क्या माननीय सदस्य माननीय मंत्री जी के उत्तर को ध्यान में रखते हुए अपना संकल्प वापिस लेंगे?

श्री राकेश सिंघाः माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं तो जिस समय चर्चा कर रहा था, मैंने उसी समय कह दिया था कि मेरा दायित्व इस विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करवाना है। मैंने अपना दायित्व पूरा कर दिया है। अब सरकार का प्रेरोगेटिव है। ये दो पॉलिसीज नहीं हैं बल्कि सात पॉलिसीज हैं और यही कन्फ्यूजन है। जो ओलावृष्टि है, यह वैदर बेस्ड क्रॉप इन्श्योरेंस है। यह उसमें ऐड-ऑन है। आप ऐड करेंगे तब होगा, वे अपनी तरफ से ऐड नहीं करते हैं। उसमें हवा की स्पीड भी ऐसी रखी है कि अगर उतनी हवा आ जाएगी तो हमारा विधान सभा भी नहीं बचेगा, फिर पेड़ कहां से बचेंगे। इसलिए ये सारी बातें बेकार हैं। मैं आपका सम्मान करते हुए, आप इस कुर्सी पर लम्बे समय के लिए बैठे हैं इसलिए जैसा आप हुक्म करेंगे, मुझे मान्य है।

उपाध्यक्षः प्रश्न यही है कि क्या आप अपना संकल्प वापिस लेंगे?

श्री राकेश सिंघाः मेरे पास संकल्प को वापिस लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। मैंने मंत्री जी के ध्यान में जरूरी बातें ला दी हैं।

उपाध्यक्षः प्रश्न यह है कि क्या माननीय सदन की अनुमति है कि संकल्प वापिस किया जाए?

संकल्प वापिस हुआ

उपाध्यक्षः अब माननीय सदस्य श्री अनिरूद्ध सिंह जी अपना संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

श्री अनिरूद्ध सिंहः माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि "यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश में विकास- खण्डों द्वारा निर्मित सड़कों का एक-मुश्त निपटारा करने हेतु नीति बनाने पर विचार करें"।

उपाध्यक्षः संकल्प प्रस्तुत हुआ कि "यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश में विकास-खण्डों द्वारा निर्मित सड़कों का एक-मुश्त निपटारा करने हेतु नीति बनाने पर विचार करें"।

इसमें हमने 60 मिनट का समय निर्धारित किया है। मैं चाहूंगा कि श्री अनिरूद्ध सिंह जी पहले अपना विषय रखें। मेरा सभी माननीय सदस्यों से भी निवेदन रहेगा कि वे समय का ध्यान रखें ताकि मंत्री जी का उत्तर भी आ जाए और एक अन्य संकल्प को भी हम सम्मिलित कर लें।

श्री अनिरूद्ध सिंहः माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश में 3243 पंचायतें हैं और हरेक पंचायत में लगभग 20 से 80 किलोमीटर तक की सड़कें या ब्लॉक द्वारा बनाई गई हैं या 30:70 की सहभागिता से बनाई गई हैं। इसके अलावा एम0एल0ए0, एम0पी0 लैड और डी0सी0 हैड द्वारा या स्वयं सहायता समूह द्वारा या किसी ने अपने पैसे से भी सड़कें बनाई हैं। यह विषय न केवल हमारी विधान सभा का है बल्कि सभी विधायकों का है। ये सभी कच्ची सड़कें हैं जोकि जे0सी0बी0 द्वारा निकाली गई हैं। पिछली सरकार के समय में भी एक प्रोसैस शुरु किया था कि इन सड़कों को हम किसी-न-किसी ढंग से पक्का करें। जब ये फाइलिंग के लिए आई तो पहले ब्लॉक्स ने या लोक निर्माण विभाग ने पूरा डाटा लिया परन्तु एक बिन्दु आने पर ऑफिशियल्स ने, चाहे वह फॉरैस्ट डिपार्टमैंट ने ऑब्जैक्शन लगाया कि सड़क के बीच में फॉरैस्ट लैण्ड है इसलिए यह सड़क किस समय बनाई गई है यानी वॉयलेशन ऑफ फॉरैस्ट लैण्ड किस अधिकारी के समय में हुआ है। इसलिए यह पूरा-का-पूरा केस अधिकारियों द्वारा डम्प कर दिया गया।

8.2.2019/1450/जेके/डीसी/1

आज तक ये सड़कें कच्ची हैं। मेंटिनेंस के लिए इसमें कोई पैसे नहीं है। क्योंकि जो एम0एल0ए0 निधि है, उसमें अगर हम रिपेयर ऑफ रोड्ज़ डालते हैं तो वह बहुत कम अलाउ होता है। तुक्के से कई बार हो गया तो ठीक है लेकिन यह अलाउड नहीं है, इसमें

केवल कन्स्ट्रक्शन के लिए है। कोई एक्सिडैंट हो जाए उसमें भी क्लेम नहीं मिलता। लगभग 1,65,000 किलोमीटर की सड़कों का अनुमान है जो पूरे हिमाचल प्रदेश में इस तरह की बनाई गई है। मेरा सरकार से निवेदन है कि एक स्कीम मुख्य मंत्री के नाम से लाई जाए। वैसे भी 30 स्कीमें तो लाई हैं एक और लाई गई तो 31 हो जाएंगी लेकिन लोगों का इसमें काफी भला होगा। इसकी मैटलिंग-टारिंग के लिए विधान सभा वाइज़ जो ऐच्छिक निधि है, वैसे इसमें एक अमाउंट रखा जाए क्योंकि 12 लाख रुपये के करीब पी0डब्ल्यु0डी0 मैटलिंग-टारिंग के लिए देती है और सोलिंग-बीयरिंग के लिए भी 12 लाख रुपये देती है यानि पांच मीटर चौड़ाई और प्रति किलो- मीटर पर 24 लाख रुपये का खर्चा आता है। अगर हम 3 मीटर लेंगे और गांवों की सड़कों की सिंगल सोलिंग करेंगे जिसको पी.डब्ल्यू.डी. के शब्दों में बी.सी. कहते है, अगर हम वह करेंगे तो 12 लाख रुपये प्रति किलोमीटर के खर्चे से हमारे गांवों की सड़कें पक्की हो सकती हैं। साथ-ही-साथ इसमें ग्रेड की प्रॉब्लम भी रहती है। आपने शिमला-जाखू की सड़क देखी होगी या होलीलॉज की सड़क देखी है जो कि बहुत स्टीप है परन्तु पक्की होने के बाद जो आजकल की गाड़ियां हैं, वे काफी पॉवरफुल हैं, वे उसमें आसानी से चढ़ जाती हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध रहेगा कि इसमें एक स्कीम लाई जाए और इन सड़कों को पक्का किया जाए। इनमें ड्रेनेज बनाई जाए, इनमें कल्वर्ट बनाए जाए । आखिरकार हम सब लोग किसके लिए हैं? हम जनता की सुविधा के लिए हैं। लोगों को सुविधा मिले, गड्ढों व धूल-मिट्टी से पूरे प्रदेश को निजात मिले और हमारी ये सड़कें पक्की हों। जब मैं जिला परिषद में था तब भी हम लोगों ने इसके बारे में आवाज़ उठाई थी कि जो ब्लॉक के रोड़ज़ हैं, उनको एम्बुलैंस रोड़ पास किया जाए परन्तु हम लोग तो बोलते हैं लेकिन पेपर्ज़ के अन्दर वह कुछ भी नहीं रहता एक्सल के हिसाब से पास होती है होती है। ट्रांसपोर्ट विभाग या ब्लॉक जो रोड़ पास करता है तो व्हील बेस के हिसाब से पास करता है। पक्की होने के बाद ये सड़कें पास हो सकें ताकि कोई एक्सिडैंट हो तो उनको क्लेम मिल सकें, चाहे गाड़ी का क्लेम है, चाहे इंसान की जान-माल का क्लेम है, उनको यह मिल सके

और उनका परिवार अपने आपको सेफ महसूस कर सके। माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्षः माननीय अनिरूद्ध सिंह जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अब श्री इन्द्र सिंह जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री इन्द्र सिंह (सरकाघाट): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संकल्प के माध्यम से प्रस्ताव माननीय सदस्य, श्री अनिरूद्ध सिंह जी ने लाया है, उस पर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। आपने समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है और ग्रामीण क्षेत्र की जनता के साथ यह सीधा जुड़ा हुआ इशू है। हिमाचल प्रदेश में आवागमन का साधन केवल सड़कें ही हैं। सड़कें ठीक होंगी तो ये हमारी भाग्य रेखाएं हैं। यदि ये ठीक होंगी तो सारे काम ठीक चलेंगे। सड़कें ठीक न हो तो इनका एडवर्स इफैक्ट हमारी आर्थिकी में पड़ता है। वाहनों का यदि वियर एण्ड टीयर ज्यादा होता है जिससे अवाइडेबल बर्डन हमारे रिर्सोसिज पर पड़ता है। इसलिए हमारी चाहे ग्रामीण सड़कें हों, चाहे दूसरी अन्य सड़कें हों, वे ठीक होनी चाहिए, दुरुस्त होनी चाहिए मैं ऐसा समझता हूं

और जय राम ठाकुर जी की सरकार में इस बात के लिए प्राथमिकता दी गई है कि हमारी सड़कों पर युद्धस्तर पर काम होना चाहिए और आज हो भी रहा है। प्रदेश में तकरीबन 30 हजार वाहन योग्य सड़कें हैं, जिनमें से लगभग 60 परसैंट सड़कें मैटल्ड हैं। जो सड़कें बजटिड हैं उनका रख-रखाव तो लोक निर्माण विभाग करता है। परन्तु जो सड़कें, जैसा माननीय अनिरूद्ध सिंह जी ने कहा कि विधायक निधि से बनी हैं, एम0पी0 लैड से बनी हैं, जन-सहयोग से बनी हैं, डी0सी0 हैड से बनी हैं या लोगों ने खुद बनाई हैं, प्रॉब्लम उन सड़कों की मैंटीनेंस की है। हमारी इकोलॉजी बहुत कमजोर है। पहाड़ कच्चे हैं। इसलिए जब कच्ची सड़क बनती है तो उसको सैटल होने में तीन-चार साल लगते हैं। जब तीन-चार साल लगते हैं तो बरसात के बाद में लैंडस-स्लाइड होते हैं और सड़कें अवरूद्ध हो

जाती हैं। उन सड़कों पर से डैबरीज़ को हटाने व साफ करने के लिए पैसा चाहिए, उस पैसे का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए माननीय सदस्य, श्री अनिरूद्ध सिंह जी ने जो बात उठाई है वह बिल्कुल सामयिक है। मैं समझता हूं कि समय आ गया है कि इसके बारे में हमें कदम उठाने चाहिएं। हमारी सड़कें बनी हैं, पक्की हैं या कच्ची हैं लेकिन वाहन योग्य हैं। हर ग्रामीण चाहता है कि उसके घर तक सड़क पहुंचे और विशेष रूप से विधायकों ने इस दिशा में बहुत काम किया है। हमने भी हर गांव को सड़क से जोड़ने का प्रयत्न किया है। लेकिन जब सड़क अवरूद्ध हो जाती है तब प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कि उसको ठीक कैसे करें।

माननीय उपाध्यक्ष जी, जब सड़क कच्ची होती है तो उसको पक्का करने के लिए ब्लैक-टॉप करते हैं। पक्का करने की प्रक्रिया भी अजीब-सी है। पहले सोलिंग होती है। फिर दो-चार साल के बाद उस पर बीयरिंग होती है। जब बीयरिंग का नम्बर आता है तब तक सोलिंग खत्म हो गई होती है। बीयरिंग के बाद जब मैटलिंग होती है तब तक बीयरिंग भी खत्म हो गई होती है इसलिए जो भी ठेकेदार उसको पक्का करने के लिए ब्लैक-टॉप करता है तो वह गुणवत्ता बनाने में असमर्थ होता है। इसलिए इस दिशा में भी सोचने की गुंजाइश है, मैं ऐसा समझता हूं। सोलिंग के लिए जो पत्थर यूज़ होता है उसके लिए कोई क्वैरी तो रजिस्टर्ड नहीं है जो मेरे ज्ञान में हो। इसलिए खड्डों से पत्थर आता है वह भी अवैध खनन ही होता है या सड़क की कटिंग करने के बाद जो पत्थर निकलता है उसी

के साथ ठेकेदार सोलिंग करते हैं, whether that stone is fit or unfit for soling. वह बिलो स्पैसिफिकेशन होता है और विभाग भी मजबूर होता है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में क्वैरी का कोई बंदोबस्त नहीं है, मैं ऐसा समझता हूं। इसलिए क्वालिटी कम्प्रोमाइज होती है जो नहीं होनी चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष जी, टैक्नोलॉजी बढ़ी है। गाड़ियों, मोबाईल डिवाइसिज़ की टैक्नोलॉजी बढ़ी है। लोड बीयरिंग कैपेसिटी व्हिकल्ज़ की बढ़ी है लेकिन सड़कों की टैक्नोलॉजी में कोई इम्प्रूवमैंट नज़र नहीं आती है। मल्टी-एक्सल गाड़ियां हैं जोकि टनों लोड ले जाती हैं। ट्रैक्टर की थम्पिंग भी रोड को डैमेज करती है लेकिन रोड को पक्का करने के जो मानक हैं वे पुराने ही चले हुए हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि पी0डब्ल्यू0डी0

अथोरिटी को उसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। पानी के लिए जो ड्रेनेज सिस्टम है वह भी उतना सही नहीं है। कितना पानी सड़क पर गिरेगा, उस पानी को रोकने की व्यवस्था नहीं है। जहां "यू टाइप" की ड्रेनेज बननी चाहिए, वहां "बी टाइप" की बना देते हैं। सारा पानी उसमें न आकर सड़कों पर आता है। जनता में भी जागरुकता नहीं है। हमने गांव में देखा है कि जितना भी पानी होगा, वह सड़क पर आयेगा। कार वाशिंग सड़क पर होगी, भैंस नहलानी है तो भी सड़क पर होगी। मतलब यह है कि सड़कों को ऐसे गिना जाता है कि सरकारी सड़क है और जनता ने इस पर चलना नहीं है। लोगों में जागरुकता लाने की भी ज़रूरत है। सड़कों में वाटर लॉगिंग जहां-जहां है, मैं समझता हूं कि वहां पर कंकरीट की सड़कें बननी चाहिए या उस पर टाइल्ज़ लगनी चाहिएं ताकि सड़क लौंग लास्टिंग हो

08.02.2019/1500/केएस/एचके/1

कर्नल इन्द्र सिंह जारी----

मैं ऐसा समझता हूं। हम फोटोज़ में देखते हैं कि चाइना-पाकिस्तान कॉरिडोर बना है। वह कैसे-कैसे बना होगा? अधिकतर वह फ्लाई ओवर्ज़ पर बना है तो जो परवाणू से हम फोरलेन बना रहे हैं, उस पहाड़ की इकोलॉजी कमज़ोर है तो अगर वहां पर हम फ्लाई ओवर बनाएं तो that will be cost effective. ये कुछ बातें मैंने करनी थी। इसके अलावा सड़क की साइड पर जो कच्ची सड़कें होती हैं, पर्यावरण को बचाने के लिए अगर उनको भी पक्का करते हैं तो 70 परसेंट धूल नहीं उड़ेगी और उससे स्थिति ठीक होगी, ऐसा मैं महसूस करता हूं।

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, वाइंड अप करें।

Col. Inder Singh: Hon'ble Deputy Speaker, Sir, I will just take your one minute. हमारी सड़कों के खराब होने का सबसे बड़ा कारण भ्रष्टाचार है। अगर हम भ्रष्टाचार को खत्म कर दें तो मैं समझता हूं कि सड़कों की हालत काफी इम्प्रूव होगी। ठेकेदार ठेका ले लेते हैं, उसको सबलैट करते हैं । उसमें कुछ कमिशन ठेकेदार लेता है तो कुछ सबलैट

वाला ठेकेदार ले लेता है तो सड़क में पैसा प्रॉपर नहीं लगता। इस बारे में सोचने की जरूरत है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं। वर्ष 2015-16 में मेरे चुनाव क्षेत्र में एक ठकेदार ने एक साल में 34 ठेके ले लिए और उसने 34 ठेके एग्ज़िक्यूट भी किए। उसको फुल पेमेंट भी हो गई। He didn't have enough machinery and manpower तो वह कागजों में बने? मैं समझता हूं कि इसको बन्द करने की आवश्यकता है और एक छोटी सी 14 किलोमीटर सड़क पर 78 लाख रुपया खर्च हुआ। अगर उस सड़क पर उस रुपये को बिछा भी देते तो भी वह कवर हो जाती । वह पैसा कहां गया, इस बारे में हमने पिछली सरकार से रिक्वेस्ट भी की थी कि इसकी इन्क्वायरी करवाइए। कोई भी सड़क है, उसके लिए जितना पैसा आए, वह लगना चाहिए, यह मैं समझता हूं। ये जो सड़के बनाते हैं, मैं समझता हूं कि अगर सड़क का प्रॉपर ग्रेड बनाना है तो सड़क बनाने से पहले हम सर्वेयर का इस्तेमाल करें। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि ग्रेड ठीक नहीं होता, जहां भी जमीन मिली, लोग सड़क निकाल लेते हैं और बाद में उस सड़क का भी सही इस्तेमाल नहीं हो पाता इसलिए सर्वेयर की भी आवश्यकता है। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं मुख्य मंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने इसी सदन में कहा है कि 17 सीटर गाड़ी इन सड़कों पर चलेगी और ये सड़कें पी.डब्ल्यू.डी. विभाग टेक ओवर करें तो बेहतर होगा क्योंकि इन सड़कों को मेंटेंन करने का और कोई तरीका नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि अनिरुद्ध सिंह जी का प्रस्ताव वर्थ टेकिंग है लेकिन इस प्रस्ताव के मध्यनज़र मैं इसको अडॉप्ट करने की आवश्यकता नहीं समझता क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री जी पहले ही मान चुके हैं कि इन सड़कों पर हम 27 सीटर गाड़ियां चलाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, आपका धन्यवाद।

उपाध्यक्षः मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि संकल्प पर ही बोलें तो चार-पांच मिनट में विषय रखा जा सकता है। अब माननीय सदस्य श्री राम लाल ठाकुर जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री राम लाल ठाकुर (**श्री नैना देवी जी**)ः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री अनिरुद्ध सिंह जी ने जो संकल्प यहां पर रखा है, मैं उसके ऊपर अपने विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि जिस दिन हमारी प्लानिंग की मीटिंग थी तो जो पुरानी सड़कें पंचायतों द्वारा बनाई गई हैं, चाहे वह हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लॉक के माध्यम से बनीं, कुछ सड़कें विधायक निधि से भी बनीं और कुछ सड़कें जो एम.पीज़. ने पैसा दिया, उससे भी बनीं । उन सड़कों के लिए मैंने निवेदन किया था और मुख्य मंत्री जी ने जब प्लानिंग की मीटिंग समाप्त होने पर आई तो उन्होंने कहा कि यह बहुत अच्छा सुझाव है ।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

8.2.2019/1505/av/hk/1

श्री राम लाल ठाकुर---- जारी

हमारी जो पुरानी सड़कें हैं या जो आजकल भी बन रही हैं; अगर वास्तव में देखा जाए तो ये सड़कें हमारी भाग्य रेखाएं हैं। सड़कों को भाग्य रेखाएं मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी भी हमारे काफी गांव सड़कों से दूर हैं। गांवों को मेन सड़कों से जोड़ने के लिए या तो पंचायतों द्वारा या फिर जैसे मैंने कहा कि जो सड़कें ब्लॉक के माध्यम से बनी हैं उनके बारे में मेरा निवेदन रहेगा। मैंने इस बारे में मुख्य मंत्री जी से भी कहा था कि इसके लिए कोई एक अलग से हैड क्रिएट किया जाए। उनको एम्बुलैंस रोड के नाम से या फिर जो दो या तीन किलोमीटर की जो हमारी सड़कें हैं तो उसमें फोरैस्ट की भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। हिमाचल प्रदेश में जब सरकार यह कह रही है कि 1 हैक्टेयर से कम एरिया में जो सड़क आयेगी वे सड़कें डी0एफ0ओ0 लैवल या गांव की फोरैस्ट कमेटी की रिकमैंडेशन के बाद बन सकती हैं। यहां पर जैसे कर्नल साहब ने कहा कि ये सड़कें हमारे

डिफिकल्ट टेरैन में बनी हैं। गांव में मान लो कोई बीमार हो जाता है तो उसको आज भी पालकी में उठाकर सड़क तक पहुंचाना पड़ता है। गर्भावस्था में किसी महिला को अस्पताल ले जाने के लिए गांव के लोग इकट्ठा होकर पालकी से मुख्य सड़क मार्ग तक लाते हैं और वहां से फिर आगे किसी गाड़ी या टैक्सी से उसको अस्पताल पहुंचाया जाता है। बीच में जो दो-ढाई किलोमीटर का सफर है जिसके ऊपर लोगों को पैदल जाना पड़ता है उसमें लोगों को दिक्कत आ रही है। मैं कहूंगा कि यह मसला बड़ा संवेदनशील है और समय के अनुसार माननीय सदस्य ने इस मसले को इस मान्य सदन में रखा है। लेकिन जैसे यहां पर कर्नल साहब ने कहा कि इस संकल्प को मान्य सदन में रखा है मगर इसको एक्सैप्ट करने की जरुरत नहीं है तो कर्नल साहब ने तो यहां पर मुख्य मंत्री महोदय की पावर्ज को भी यूज़ कर दिया। हमारे कहने का मतलब यह है कि जब यहां पर माननीय मुख्य मंत्री जी नहीं हैं तो दूसरे सीनियर मंत्री बैठे हैं और सरकार इसके बारे में कोई जवाब भी देगी। इन सड़कों के बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी ने जब खुद चिन्ता जाहिर की थी और खुद कहा था कि यह बहुत अच्छा सुझाव है तो सरकार इस बारे में कुछ-न-कुछ करे। अगर सड़कों को पक्का नहीं तो सेमी पक्का करने का प्रावधान किया जाए। इसमें कोई फोरैस्ट कन्जर्वेशन ऐक्ट की भी दिक्कत नहीं आयेगी क्योंकि ये दो किलोमीटर का एरिया कुछ लोगों की जमीन के तहत आ जाता है और कुछ सरकारी जमीन होती है तथा यह सड़क एक हैक्टेयर से कम एरिया में कवरअप हो जायेगी। हर बरसात में ये सड़कें टूटती हैं और फिर इनको दोबारा बनाना मुश्किल होता है। कुछ पंचायतें तो कर रही है मगर सड़क बनाना और सड़क बनाने के बाद उनका रख-रखाव जरूरी है। अभी पीछे जो वर्षा हुई तो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में रत्नापुर में लगभग 6-7 सड़कों को लोगों ने अपने आप पैसा इकट्ठा करके ठीक किया। मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर हमारी सड़कें पक्की होंगी तो उससे हम पर्यावरण की भी रक्षा करेंगे। गांवों में कच्ची सड़कों पर जब गाड़ियां चलती हैं तो उससे धूल उड़ती है और उससे हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। अगर हम इनकी दशा को सुधारेंगे तो पर्यावरण को पहुंचने वाली दिक्कतें भी दूर होंगी। मैं आपसे यह भी

कहना चाहूंगा कि अगर गांव के लोग खुश रहेंगे तो आपका फोरैस्ट भी बढ़ेगा। अगर लोगों को दिक्कत खड़ी करके फोरैस्ट डिपार्टमैंट यह कहे कि हम तो नहीं मानते तो इससे कोई समाधान नहीं निकलेगा। फोरैस्ट की ग्रीनरी बढ़ाने के लिए अगर लोगों में इस प्रकार की भावना नहीं आयेगी तो जंगल भी नहीं बचेंगे।

08/02/2019/1510/टी0सी0वी0/वाई0के0/1

इसलिए इसमें विभाग को भी मदद करनी चाहिए और जो लोग गांव में रहते हैं, यदि उनको सड़क का प्रावधान हो जाए, जिसके बारे में सरकार भी चिंतित है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वयं भी इन सड़कों की बात की है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक सड़क को पास करने के लिए एस0डी0एम0, लोक निर्माण विभाग और परिवहन विभाग के अधिकारी मौके पर जाते हैं और तब जाकर वह सड़क पास होती है। लेकिन इन छोटी सड़कों को पास करने के लिए कोई अलग से प्रोसिजर बनाना पड़ेगा। इनको छोटी सड़कों के रूप में पास कर लिया जाए ताकि यदि कोई दुर्घटना हो जाए या और कोई दिक्कत आ जाए, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी उसको कवर नहीं करती है। वे यह कहते हैं कि सड़क पास नहीं है, मान लो अगर कोई दुर्घटना हो गई तो उस दुर्घटना के बाद उस व्यक्ति के परिवार को मदद नहीं मिलती। मेरा सरकार से निवेदन है कि कांग्रेस के सदस्य (श्री अनिरूद्ध सिंह) ने इस संकल्प को रखा है लेकिन ये गांव के साथ जुड़ा हुआ मसला है। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत है। इन सड़कों को पास करने के मापदण्ड ऐसे होने चाहिए ताकि 6-7 फुट सड़क पास हो जाए और गांव के लोगों को इससे मदद मिलें। मेरा निवेदन है कि ये जो गांव की सड़कें हैं इनके बारे में नई सोच से हम आगे आएं और ये जो छोटी सड़कें हैं, इनको एम्बुलेंस रोड घोषित कर दिया जाए क्योंकि हर गांव में हमें एम्बुलेंस देनी है तो उस सड़क को ठीक करना हमारा उत्तरदायित्व है। माननीय सदस्य ने जो संकल्प यहां रखा है, इसमें यह नहीं होना चाहिए कि इसका उत्तर दे दिया और उसके बाद संकल्प वापिस कर दिया। यदि संकल्प अच्छा है तो इस हाउस को राजनीतिक

दृष्टिकोण से ऊपर उठकर मानना चाहिए कि यह संकल्प गांव के लोगों के बारे में है। इसलिए सरकार इसके बारे में सोचें और इस संकल्प को एडोप्ट किया जाए। आपने समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्षः अब माननीय श्री रमेश चंद ध्वाला से आग्रह है कि वह प्रस्तुत संकल्प पर अपने विचार रखें।

श्री रमेश चंद ध्वाला (ज्वालामुखी)ः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री अनिरूद्ध सिंह जी ने जो यहां ग्रामीण सड़कों के संबंध संकल्प रखा है, मैं भी इसके ऊपर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरे से पूर्व माननीय सदस्यों ने इस पर बड़े विस्तार से चर्चा की और मैं भी यह कहना चाहूंगा कि सड़कें हमारे भाग्य की रेखा होती हैं। हर व्यक्ति अपने गांव में गाड़ी ले जाने का प्रयास करता है। मैं तो इसका भुक्तभोगी हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में लगभग 200 किलोमीटर सड़कें ऐसी थी और इनको रिस्टोर करने में 3 महीने का समय लगा। लोक निर्माण विभाग उसी सड़क पर काम करेगा जिसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूव्ल मिली होगी। लेकिन मेरे एक गुज़ारिश है, इसके नौज़वान मंत्री है, इनकी बड़ी अच्छी सोच है, आप इस विभाग को स्ट्रेंथन करने का प्रयास करें। इनके पास एक टेक्निकल विंग होना चाहिए। यदि सड़क का सर्वे करना है तो क्या वह गांव के लोग करेंगे? अगर वहां पर कोई सर्वेयर होगा तो वह वहां पर सर्वे करने का कार्य करें। आपने पिछली बार सोशल ऑडिट के लिए 500 रूपये डेली पर हर ब्लॉक में कर्मचारी रखे। आज वे प्रधानों को भी तंग कर हैं। उनको कोई सुटेबल काम दे दिया जाए। लेकिन इस विभाग में सर्वेयर जरूर होना चाहिए ताकि सड़क का सर्वे करें और उसका ग्रेड देखें। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि इस विभाग को स्ट्रेंथन करने के लिए

टेक्नीकल स्टॉफ जरुर चाहिए। अब पहले वाली बात नहीं है कि हम ये सारी सीढ़ियां चढ़ करके आए हैं, प्रधान रहे हैं, चेयरमैन, वाईस चेयरमैन रहे हैं या जिला परिषद के सदस्य

रहे हैं तो उस समय 5,000 रुपये ग्रांट मिलती थी। मेरे विधान सभा क्षेत्र की दो पंचायतें ऐसी हैं, जिनमें कम-से-कम 6 हज़ार मतदाता हैं और वहां पर ब्लॉक में लगभग 25 करोड़ रुपये अनस्पैंट पड़े हुए हैं।

(माननीय सभापति (कर्नल इन्द्र सिंह जी) पदासीन हुए)

मैं इस बात को मानता हूं कि लोगों की सहभागिता के बिना कोई काम नहीं हो सकता है। अगर लोक निर्माण विभाग वाले गांव में किसी काम को करने के लिए जाएंगे तो वहां पर लोग रुकावट पैदा करेंगे। लेकिन अगर गांव के लोग खुद इकट्ठा हो करके काम करेंगे तो वह ठीक होगा। मेरे विकास खंड में लगभग 25 करोड़ रुपये अनस्पैंट पड़े हुए हैं। वहां पर अगर लोग खुद मिल करके आधा किलोमीटर सड़क इस साल और आधा किलोमीटर अगले साल बनाएंगे तो यह धनराशि खर्च भी हो जाएगी। अगर ये धनराशि खर्च नहीं हो रही है तो इस राशि को लोक निर्माण विभाग के पास डिपोजिट करवायें। कम-से-कम वहां पर टैंडरिंग सिस्टम तो होगा और सड़कें भी बनेंगी। आज क्वालिटी कंट्रोल का कोई मतलब नहीं है। छोटे से उपकरण को खरीद करके वहां पर हम क्वालिटी कंट्रोल को देख सकते हैं। पिछले साल जो सड़क बनाई गई है, वह अगले साल खत्म हो जाती है। अगले साल दोबारा फिर उसी काम को शुरू करो और फिर उसी काम पर पैसा खर्च हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि क्वालिटी कंट्रोल को देखने के लिए वहां पर किसी कर्मचारी को रखा जाना चाहिए। अगर कहीं पर कोई रास्ता, लिंक रोड या एंबुलैंस रोड बन रहा है और अगर इसमें सीमेंट कंकरीट किया जा रहा है तो इसकी क्वालिटी चैक होनी चाहिए।

जब भी माननीय सदस्यों के मुखारबिंद से कोई बात निकलती है तो माननीय मंत्री जी पूरा करने का प्रयास करते हैं। लेकिन विकास खंडों में फाइनैंशियल लोग बहुत ज्यादा रखे हुए हैं और इनमें से कुछ लोग तो कोई काम नहीं करते हैं तथा पैसे ले रहे हैं। वे तो टेक्नीकली ट्रेंड भी नहीं हैं और वे क्या असेस्मैंट करेंगे? मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर सर्वेयर रखे जाएं ताकि वे प्रोपरली एस्टिमेट और प्लान बनाएं। तब जा करके ये काम अच्छे होंगे। आज कल जिला परिषद से भी धनराशि मिलती है और 14वें वित्तायोग और विधायक निधि से भी धनराशि मिल रही है। सांसदो और जिलाधीश से, अनुसूचित जाति कंपोनैंट प्लान से भी पैसे मिल रहे हैं, इतने ज्यादा पैसे मिल रहे हैं लेकिन वहां पर कोई काम नहीं हो रहा है। इसलिए उनकी जिम्मेवारी फिक्स कीजिए और इस विभाग को स्ट्रैंथन करने के लिए

टेक्नीकल स्टॉफ जरुर होना चाहिए। इसमें विशेष तौर से पहली प्राथमिकता सर्वेयर को रखने की होनी चाहिए। अगर एक विकास खंड में दो सर्वेयर भी होंगे तब भी वे सड़कों का सर्वे करेंगें और लोगों से जानेंगे कि वे कैसी सड़क बनाना चाहते हैं या लोक निर्माण विभाग को देना चाहते हैं, इन सबके बारे में जानेंगे। विकास खंड के पास भी जे0ई0 और तकनीकी सहायक होते हैं लेकिन सर्वे का कोई सिस्टम नहीं है। उनको ग्रेडिंग के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए मैं कहूंगा कि अगर आपके पास स्टॉफ नहीं है तो कृपा करके 5-10 लाख रुपये की राशि लोक निर्माण विभाग के पास डिपोज़िट करवा कर जो लोग चाह रहे हैं कि हमारी सड़क बननी चाहिए तो इसके लिए धनराशि जमा होगी तभी सड़क बनेगी या खुद प्रयास कीजिए। लेकिन खुद के प्रयास तभी हो सकते हैं, अगर आपके पास टेक्नीकल विंग होगा। यहां पर मेरे माननीय मित्रों ने यहां पर जो संकल्प लाया है,

08.02.2019/1520/RKS/AG-1

यह संकल्प बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए इसके ऊपर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए क्योंकि यह लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हर वर्ष सड़कों की मरम्मत की जाती है। इस तरीके से लाखों-करोंड़ों रुपये मरम्मत पर खर्च किए जा रहे हैं। इसलिए इन सड़कों को आधा-आधा किलोमीटर या समर्थता के हिसाब से बनाया जाए। यहां तक की इन सड़को के निर्माण कार्य के लिए स्थानीय लोग भी योगदान करने को तैयार हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो काम किए जाते हैं उन कार्यों की गुणवत्ता अच्छी होती है। यदि यह कार्य किसी ठेकेदार को दे दिया जाए तो उस कार्य में इतनी ज्यादा गुणवत्ता नहीं आती। माननीय सभापति जी आपने मुझे बोलने का समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापतिः अब माननीय सदस्य, श्री सुन्दर सिंह ठाकुर जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री सुन्दर सिंह ठाकुरः माननीय सभापति महादेय, जो संकल्प माननीय सदस्य, श्री अनिरूद्ध सिंह जी ने प्रस्तुत किया कि 'यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश में विकास खंडों द्वारा निर्मित सड़कों का एकमुश्त निपटारा होना चाहिए' एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आज के समय में लोगों को इतना उत्साह है कि जो काम सरकारें नहीं

कर पाती उन कार्यों को वे आपसी सांझेदारी से करवा लेते हैं। आजकल बड़ी-बड़ी मशीनें आ गई हैं। जे.सी.बी. वालों ने किलोमीटर के हिसाब से अपने रेट फिक्स किए हैं और वे कहते हैं कि हम आपसे एक किलोमीटर का इतना पैसा लेंगे। अगर ऐसे वक्त में आप ग्रेड की बात करेंगे, मरम्मत की बात करेंगे तो उनको यह लगता है कि उनके प्रतिनिधि उस सड़क को बनाने के हक में नहीं है। जबकि सच्चाई यह है कि वे जोश-जोश में उस सड़क को बनवा देंगे लेकिन जब पहली बरसात होगी तो उसके बाद उस सड़क का क्या हाल होगा यह उन्हें मालूम ही नहीं। हमें इस चीज का प्रधान और जिला परिषद् से लेकर अब तक काफी तजुर्बा है। माननीय ध्वाला जी तो अपने आपको सबसे ज्यादा रइस पंचायत समिति के चेयरमैन मानते थे। देहरा ब्लॉक को आप सबसे ज्यादा अमीर मानते थे की वहां पर बागीचे इत्यादि हैं। यह बहुत पुरानी बात है लेकिन हकीकत यह है कि आप लोगों को प्रैक्टिकल चीजें बताएंगे तो वे आपको अपना विरोधी मानते हैं। मेरे क्षेत्र में तो देवता से दिहाड़ा निकालकर काम शुरू करवा दिया जाता है। गांव वाले प्रति व्यक्ति 10-10 हजार रुपये पैसे जमा करते हैं और जे.सी.बी. हायर कर लेते हैं। जे.सी.बी. वाला कहता है कि 3 लाख रुपये में एक किलोमीटर सड़क निकाल कर दूंगा। गांव वाले वहां पर रोज तमाशा देखने चले जाते हैं। यह काम तब होते हैं जब फसल का काम बंद होता है और वे पूरी तरह फ्री होते हैं। मैं यह मानता हूं कि हमें ऐसी बातों को प्रोत्साहन देना पड़ेगा क्योंकि यह काम लोगों की सांझेदारी से हो रहें हैं। पंचायत, ग्राम समूह, गांव कमेटी में एक उत्साह है और वे लोग सड़कें बनवा रहे हैं। माननीय सदस्य, श्री राम लाल ठाकुर जी ने बहुत अच्छी बात कही कि इसमें रेक्रिंग खर्चा होगा। उस वक्त सभी लोग जोश-जोश में जमीन दे देते हैं, शपथ पत्र का भी कोई रफड़ा नहीं होता और वह सड़क बन जाती है। लेकिन जब वह सड़क पी.डब्ल्यू.डी. को ट्रांसफर करनी होगी तो यह बात आएगी कि गिफ्ट डीड लाई जाए।

08.02.2019/1525/बी0एस0/ए0जी0-1

लोग कहते हैं कि कई साल पहले हमने जमीन दी और आज इतने सालों के बाद के लोग आ रहे हैं जब एक परिवार के चार-चार परिवार बन गए हैं। इन सब बातों पर नीति लानी पड़ेगी और इन लोगों को प्रोत्साहित भी करना पड़ेगा। बाद में यह कैसे टेकओवर होगी उस

बारे में भी हमें आगे बात करनी पड़ेगी। लोक निर्माण विभाग इसे टेक ओवर करे। यह भी ठीक नहीं है कि जो लोक निमार्ण विभाग सड़कें बनाता है उसके ग्रेड अच्छे होते हैं परंतु जो गांव के लोगों ने सड़के बनाई हैं उनकी ग्रेड उनसे अच्छी हैं।

एक और बात कहना चाहूंगा कि कुछ एक स्थानों पर एग्जिक्यूटिव ऐजेंसियों को ले करके मसला है। किसी गांव की कमेटी बनती है उन लोगों ने 10-10 हजार रुपये इकट्ठा किया और माननीय विधायक के पास आए और विधायक ने इस कार्य के लिए 5 लाख रूपये और दे दिए लेकिन वह पैसा किसको जा रहा है? वह पंचायत को जा रहा है और अगर उस गांव के लोगों ने उस प्रंचायत प्रधान को वोट नहीं दिया है तो उस पैसे को रोक देगा वह कहेगा कि इस रोड़ की कलियरेंस लाओ। आज पंचायत सचिव भी प्रधान से ऊपर हो गए हैं, कई स्थानों पर पंचायतें भंग हैं। किसी के खिलाफ जांच चल रही है। उस ग्राम समिति को कार्य करने का जजबा है कि वह अपने योगदान से कुछ करना चाहती है तो जिस प्रकार युवा मंडल और महिला मंडल रजिस्टर्ड होता है उसी प्रकार से एक रजिस्टर्ड सभा बना कर उनको एग्जिक्यूटिव ऐजेंसी बनाया जाना चाहिए। यहां पर माननीय मंत्री जी बैठे हैं यह सब कुछ जानते हैं। माननीय मंत्री जी मेरा आपसे एक ही अनुरोध है, कृपया 31 मार्च, 2019 से पहले आप हर ब्लॉक से हर पंचायत से एक ब्यौरा ले लीजिए कि कितना पैसा विधायक निधि का आपके पास पैंडिग है। यह उत्तर आ जाना चाहिए। वैसे तो यह प्रोविजन है कि एक वर्ष से अधिक के समय से जो भी पैसा है वह जिला निधि में जाना चाहिए परंतु ऐसा नहीं हो रहा है।

सभापति : माननीय सदस्य कृपया समाप्त कीजिए।

श्री सुन्दर सिंह ठाकुर : सभापति महोदय, मैं समाप्त करने जा रहा हूं परंतु यह एक महत्वपूर्ण विषय है और आगे इस पर चर्चा के लिए समय नहीं मिलेगा। माननीय मंत्री जी आप समयबद्ध तरीके से इस कार्य को कीजिए। इसके अलावा यह सड़कें पास भी होनी चाहिए। हमने देखा के कई मौतें इन सड़कों पर हो जाती है। सबसे पहले पिकअप गाड़ियां

ऐसी सड़कों पर सामान भी ढोती है और लोगों को भी ढोती हैं। हमारे पहाड़ों में पिकअप गाड़ियां भी वर्दान सिद्ध हुई हैं। परंतु उनके लिए भी सड़के अच्छी होनी चाहिए। इसमें ब्लॉक का बी.डी.ओ., एस.डी.एम. से बात करे कि उन्हे एम्बुलैंस या जीप के लिए पास रोड़ माना जाए । मैं आपसे अनुरोध करूंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। यह संकल्प बहुत ही अच्छा है और इसे स्वीकार किया जाना चाहिए। धन्यवाद।

08.02.2019/1530/DT/DC/-1

सभापति : माननीय सदस्य श्री सुरेश कुमार कश्यप जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री सुरेश कुमार कश्यप : माननीय सभापति महोदय, गैर सरकारी दिवस में आज बहुत ही महत्वपूर्ण संकल्प माननीय विधायक श्री अनिरूद्ध सिंह जी इस माननीय सदन में ले करके आए हैं, मैं भी इस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी प्रदेश है और लगभग 55,673 वर्ग किलामीटर में फैला हुआ है। इसमें लगभग 17,862 गांव हैं और करीब 38 हजार किलोमीटर सड़कें बनी हुई हैं। जैसा सभी जानते हैं कि सड़कें हमारी भाग्य रेखाएं हैं और जिस प्रकार से हमारी 80 प्रतिशत जनसंख्या हिमाचल प्रदेश के गांव में रहती है और वे मुख्य रूप से खेती बाड़ी करते हैं। यहां पर छोटी-छोटी ब्लॉक की सड़कें है, पंचायतों की सड़के हैं क्योंकि खेती बाड़ी ट्रैडिशन से हटकर कैश क्रोप की तरफ लोगों का रूझान हुआ है । इन छोटी-छोटी सड़कों के माध्यम से ही हमारे गांव के लोगो की कृषि उपज होती है उनको बाज़ार तक पहुंचाते हैं और निश्चित रूप से इन सड़कों का महत्व है। आज विभिन्न मद्दों से चाहे हम विधायक निधि की बात करें, सांसद निधि की बात करें, एस.टी.पी.की बात करें विकास में जन सहयोग के माध्यम से और इसके साथ-साथ बहुत सारी हमारी जो सड़कें हैं लोग स्वयं भी उनका निर्माण करे रहे हैं ताकि अधिक से अधिक रोड की हमारी कनेक्टिविटी हो। हम देखते हैं कि जिस प्रकार का हमारा पहाड़ी क्षेत्र है जैसे बरसात का समय आता है और बरसात के समय में बारिश के कारण सड़कें खराब हो जाती हैं। प्रतिवर्ष इन सड़कों के

लिए बजट की आवश्यकता होती है। किस प्रकार से हम इन सड़कों को जारी रख सकें और सरकार विभिन्न माध्यमों से इन सड़कों के रख-रखाव के लिए धन का प्रावधान भी करती है। उसमे चाहे एन.सी.आर.एफ. माध्यम से हो और आज के समय में तो मनरेगा हमारे पास एक ऐसा फण्ड है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। चाहे पंचायतें कितना भी पैसा इन सड़कों के रख- रखाव पर खर्च कर सकती हैं लेकिन हम देखते है कि हमारे चुने हुए जो प्रधानगण हैं मनरेगा में उनका इतना रूझान नहीं होता है। वह चाहते हैं की ज्यादा से ज्यादा पैसा दूसरे माध्यमों से आए लेकिन मनरेगा के माध्यम से इन सड़कों को पक्का किया जाए क्योंकि मनरेगा में फण्ड की कोई लिमिट नहीं है। आप कितना भी पैसा उसके लिए ले सकते हैं। विधायक अपनी निधि से सड़कों के लिए इतना पैसा नही दे सकता। ज्यादा से ज्यादा 5 लाख से ज्यादा नहीं दे सकता। लेकिन मनरेगा में इन सड़कों को पक्का किया जाए क्योकि मनरेगा में फण्ड की कोई लिमिट नहीं है लेकिन इसमें जो हमारे चुने हुए प्रधानगण हैं वह रूचि दिखाए तो निश्चित रूप से इन सड़कों को पक्का किया जा सकता है। इसके अलावा माननीय मंत्री जी भी यहां पर हैं मेरा इनसे आग्रह रहेगा कि सड़कों को बनाने के लिए विधायक निधि से पैसा देते है अगर कुछ पैसे का ऐसा भी प्रावधान किया जाए कि कुछ पैसा सड़कों के रख- रखाब के लिए विधायक निधि में भी रखा जाए क्योंकि जब बरसात होती है एकदम से उस समय कोई और फंड नही होता है तो अगर विधायक निधि से केवल मात्र सड़को के रख रखाव के लिए दे सके और फिर उस हैड से सड़को को खोल सके ताकि हमारी कनेक्टिविटी विशेष रूप से बरसात के समय में अवरूद्ध ना हो। माननीय मुख्यमंत्री जी भी सदन में है मेरा उनसे आग्रह है कि हमारा ज्यादा से ज्यादा प्रयास होना चाहिए कि इन सड़को को हम मनरेगा के तहत दुरूस्त करें।

08/02/2019/1535/RG/DC/1

बाकी जैसा भाई सुन्दर जी भी कह रहे थे कि आज भारी-भरकम बजट आ रहा है। जो 14वां वित्त आयोग है, हर पंचायत को उसके तहत 80,00,000/-रुपये आ रहा है और आज

लाखों रुपयों का बजट पंचायतों में पड़ा हुआ है। यदि उस पैसे को समय पर लगाया जाए तो अच्छा रहेगा। क्योंकि 14वें वित्त आयोग के तहत भी हम सड़कों का रख-रखाव कर सकते हैं। उसमें भी प्रावधान है।

उपाध्यक्ष : कृपया वाइन्ड अप करें।

श्री सुरेश कुमार कश्यप : तो ऐसा प्रयास होना चाहिए। बाकी जैसा कि मुझसे पूर्व सदस्यों ने भी यहां कहा कि एक महत्वपूर्ण संकल्प इस सदन में माननीय सदस्य लेकर आए हैं। जैसा माननीय मुख्य मंत्री जी ने सड़कों के बारे में कहा है, वैसा किया भी है। पिछले एक वर्ष के दौरान जिस प्रकार से काम किया गया है, चाहे वे हमारी ग्रामीण सड़कें हों, जिनका निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा किया गया है, वह बहुत अच्छा है। सड़कों का रख-रखाव और विशेष रूप से उनकी क्वालिटी अच्छी हो, इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद भी करना चाहूंगा। अगर मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करूं, तो पिछले वर्ष के दौरान जितनी भी री-टारिंग मेरे विधान सभा क्षेत्र में हुई है, उसमें क्वालिटी वर्क हुआ, नहीं तो जब भी सड़कों की री-टारिंग होती थी, तीन महीने में उनमें घास जम जाती थी। लेकिन जिस प्रकार से माननीय मुख्य मंत्री जी ने आदेश किए थे, वैसा काम हो रहा है और ये स्वयं सड़कों के रख-रखाव को मॉनीटर कर रहे हैं। यदि मैं लोक निर्माण विभाग की सड़कों की बात करूं, तो पिछले साल मेरे चुनाव क्षेत्र में लगभग 56 किलोमीटर सड़कों की री-टारिंग हुई थी और सभी-की-सभी सड़कें पर बहुत ही बेहतर काम हुआ है और वे तीन महीने में खराब नहीं हुईं। बरसात भी निकल गई, लेकिन आज भी उन सड़कों की हालत बहुत अच्छी है। माननीय मुख्य मंत्री जी लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, मैं इसके लिए इनका धन्यवाद करना चाहूंगा और साथ ही जो संकल्प इस विधान सभा में आया है, निश्चित रूप से सरकार इसके प्रति गंभीर है और माननीय मुख्य मंत्री जी शीघ्र ही इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। इतना कहते हुए मैं समाप्त करुंगा। माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया। धन्यवाद।

उपाध्यक्ष : अब 4 से 5 मिनट में कृपया श्री राकेश जम्वाल जी अपनी बात रखेंगे।

श्री राकेश जम्वाल(सुन्दरनगर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य श्री अनिरूद्ध सिंह जी ने जो संकल्प यहां प्रस्तुत किया है, मैं उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ

हूं। आदरणीय श्री अनिरूद्ध सिंह जी ने कहा कि सरकार तीस नई योजनाएं लेकर आई है और एक और योजना लेकर आ जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। इस बात को हमारे विपक्ष के साथी भी मान रहे हैं कि वर्तमान में जय राम ठाकुर जी के नेतृत्व में सरकार किस प्रकार से काम कर रही है। हिमाचल प्रदेश में 80 विकास खण्ड हैं, अनेकों सड़कें वहां पंचायतों के माध्यम से बनी हैं और निश्चित तौर उनको बनाने के लिए चाहे वह विधायक क्षेत्र विकास निधि हो या चाहे सांसद निधि हो, हम उसके लिए पैसा देते हैं और वह सड़क निकल जाती है। लेकिन उसके बाद जैसी चिन्ता की गई कि बरसात के मौसम के बाद उनकी हालत दयनीय हो जाती है और उनको ठीक करने के लिए लोक निर्माण विभाग को कहा जाता है। लेकिन उसके साथ-साथ हिमाचल प्रदेश में गांवों में अनेकों सड़कें ऐसी हैं जो न ब्लॉक, न पंचायत, न विधायक और न ही सांसद ने बनाईं। क्योंकि यह क्रान्ति इस देश और प्रदेश में कब आई? जब यह जे.सी.बी. मशीन आई, उसके बाद हमने देखा कि पूरे देश में किस प्रकार से सड़कें निकलीं। उससे पहले एक साल में कितनी सड़क निकलती थी, यह हम सब लोग जानते हैं। लेकिन सड़कों की क्रान्ति इस देश में अगर आई तो वह तब आई जब आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व की एन.डी.ए. की सरकार केन्द्र में बनी थी। उस समय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरूआत हुई। उसी के अन्तर्गत पूरे देश और प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया गया और आज यहां पर

08/02/2019/1540/MS/DC/1

आदरणीय राम लाल ठाकुर जी ने ठीक कहा कि प्लानिंग की बैठक में इन्होंने इस विषय को उठाया था और माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी कहा कि सरकार इस पर विचार कर रही है। सड़क निकालने के बाद अगर उसको रिपेयर करना है, जैसे बरसात में सड़क खराब हो जाती है तो ऐसी सड़क की रिपेयर के लिए पैसा हम विधायक निधि से भी नहीं दे सकते हैं। आज प्रदेश की अधिकतर आबादी गांव में रहती है। जो सड़क पंचायत के द्वारा या किसानों के द्वारा अपने आप निकाली गई होती हैं, गांव का किसान/बागवान उसी सड़क के माध्यम से अपनी फसल को जीप इत्यादि के द्वारा मार्किट तक ले जाता है। लेकिन हमारी वर्तमान जय राम ठाकुर जी के नेतृत्व वाली सरकार इसके प्रति गम्भीर है। विभिन्न गांवों को सड़को से जोड़ने के लिए "मुख्य मंत्री ग्राम पथ योजना" के माध्यम से बजट का

प्रावधान किया जा रहा है और गांवों को सड़कों से जोड़ा जा रहा है। जब पंचायत को हम विधायक निधि या सांसद निधि से पैसे देते हैं तो वहां पर फॉरैस्ट क्लीयरैंस लेने के बाद एफ0आर0ए0 में एक हैक्टेयर से कम ज़मीन की डी0एफ0ओ0 के पास पावर होती है कि वे उसको परमिशन दे सकते हैं। पंचायतों ने बहुत सी ऐसी सड़कें सारी फॉरमेलिटीज पूरी करने के बाद निकाली भी हैं। ऐसी भी बहुत सी सड़कें हैं जो अवैध तरीके से निकाली गई हैं और जिनमें अवैध कटान हुआ है। इन सारी बातों को लेकर मेरा यह मानना है कि जो सड़कें पंचायत के द्वारा ब्लॉक के माध्यम से गांवों में निकाली गई हैं, वे सड़कें गांव के उस किसान/बागवान के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अनिरूद्ध सिंह जी आप पिछली बार भी इस सदन में विधायक थे और उस समय आपकी सरकार थी लेकिन आज आपने यह अच्छा संकल्प यहां प्रस्तुत किया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी पहले से ही इस बात के लिए गम्भीर हैं और माननीय मंत्री जी भी सदन में बैठे हैं। मेरा इनसे भी निवेदन है कि कुछ-न-कुछ कदम सरकार इसके लिए उठाए। अनिरूद्ध सिंह जी ने जो संकल्प यहां पर लाया है, मुझे लगता है कि इसको एडॉप्ट करने की जरुरत नहीं है क्योंकि वर्तमान सरकार इन सारी बातों को लेकर गम्भीर है। ...(घण्टी)... और कुछ-न-कुछ इसके लिए जरूर करेगी। माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्षः अब चर्चा में माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र राणा जी भाग लेंगे। माननीय सदस्य कृपया 4-5 मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र राणा(सुजानपुर): माननीय उपाध्यक्ष जी, नियम-101 के तहत हमारे माननीय सदस्य श्री अनिरूद्ध सिंह जी जो संकल्प लेकर आए हैं, उस पर हो रही चर्चा में शामिल होने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपका धन्यवाद।
हमारे सभी साथी जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया, उन सभी ने कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है और हम भी कहते हैं कि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है तथा इस विषय पर यह संकल्प पास भी होना चाहिए। इस बात को सभी कह रहे हैं और जब चर्चा खत्म हो जाती है तो सभी कहते हैं कि इसको वापिस ले लिया जाए। उपाध्यक्ष जी, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है जोकि गांव से जुड़ा हुआ है। आज हमारे प्रदेश की लगभग 80 प्रतिशत

आबादी गांव में रहती है और हम यह भी कह रहे हैं कि लोगों का गांवों से शहरों की ओर जो पलायन हो रहा है उसको रोका जाए ताकि शहरों की आबादी पर ज्यादा दबाव न पड़े। लेकिन जब तक हम गांव में लोगों को ज्यादा-से-ज्यादा सुविधा नहीं देंगे, तब तक लोग गांव में नहीं रूकेंगे। जो गांवों की सड़कों वाला विषय लेकर आए हैं इसमें जरूरी है कि इनकी मैंटीनैंस कैसे हो, इन्हें कैसे बनाया जाए और इनमें कैसे सुदृढ़ीपन हम लेकर आएं। इस पर जो चर्चा हो रही है, उस पर हमें गम्भीरता से चिन्तन करने की जरुरत है। हालांकि विधायक निधि, एम0पी0 लैड और डी0सी0 हैड से पैसा जाता है लेकिन होता क्या है? सड़क बना दी जाती है और जब बरसात होती है तो सड़क टूट जाती है। इस तरह लोगों के रास्ते रुक जाते हैं। यदि कोई बीमार हो जाता है और उसे शहर ले जाना है तो वह कैसे जाएगा? राम लाल ठाकुर जी ने सही कहा कि इसके लिए कोई ठोस नीति बनाई जाए और इसके लिए बजट में भी कोई योजना बनाकर प्रोविज़न किया जाए।

8.2.2019/1545/जेके/एचके/1

मैं कहना चाहता हूं कि इसमें सरकार गम्भीरता से विचार करें। ये जो सड़कें बनाई जा रही हैं इनको ठीक कैसे किया जा सकता है, जैसे पी.डब्ल्यु.डी. को अन्य सड़कों के लिए बजट का प्रोविज़न दिया जाता है, उनके लिए भी इसी तरह का प्रोविज़न होना चाहिए। जो सड़कें लम्बी हैं, स्पैसिफिकेशन पूरी करती हैं, उनको पी.डब्ल्यु.डी. को हेंडओवर कर दिया जाए। सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है, जैसा मेरे दूसरे साथियों ने भी कहा कि आज हम लोग विधायक निधि से बी.डी.ओ. को पैसा ब्लॉक में भेजते हैं और वह पैसा खर्च नहीं हो रहा है। जब उनको पूछा जाता है कि ये पैसा खर्च क्यों नहीं हो रहा है, माननीय मंत्री जी को मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो पंचायती राज विभाग है उसमें सबसे बड़ी बी.डी.ओ. को समस्या आ रही है, क्योंकि जब हम लोग पैसा देते हैं तो हम बी.डी.ओ. से चर्चा करते हैं कि हमारा काम क्यों नहीं हो रहा है? एक-एक साल गुज़र जाता है, वह काम शुरू ही नहीं हो पाता है और वह पैसा उस काम में ही नहीं लगता है। जब सरकार पैसा दे रही है तो काम क्यों नहीं हो रहा है? उसकी वजह यह है कि कहीं पर सेक्रेटरीज़ की कमी

है, कहीं पर टैक्निकल लोगों की कमी है । इसलिए पंचायती राज डिपार्टमैंट में जो यह स्टाफ की कमी है उसको सरकार गम्भीरता से लें । जब तक आपके पास स्टाफ नहीं होगा, चाहे एम0एल0ए0 से पैसा जाए या सरकार पैसा दे और चाहे डी.सी. हैड से पैसा जाए, वह पैसा खर्च होने वाला नहीं है। जो स्टाफ की भर्ती है उस पर भी सरकार काम करें। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि सरकार इसको गम्भीरता से लें। क्योंकि माननीय उपाध्यक्ष जी, आप बार-बार घंटियां बजा रहे हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं कन्क्लूड में ही कहना चाहूंगा कि इस संकल्प को पास किया जाए क्योंकि इस तरह की समस्या यहां पर अपोजिशन के सदस्यों की भी है और रूलिंग के सदस्यों की भी रही है क्योंकि गांवों में काम नहीं हो रहा है। गांवों को मजबूत करने के लिए, गांवों को विकसित करने के लिए जो कदम उठाए जाएंगे वे पंचायती राज डिपार्टमैंट उठाता है। पंचायती राज डिपार्टमैंट में जो कमियां हैं, उनमें सुधार की जरूरत है, नई पॉलिसी की जरूरत है क्योंकि हम लोग सदन में बैठे हैं।

हमारी लोक सभा चलती है, वह इसलिए चलती है कि जहां-जहां कमियां आती हैं वहां पर सुधार किया जाए। हम सब लोग मिल-बैठ कर चर्चा करके उनमें सुधार करें और समय-समय पर अमैंडमैंट की जाए। इसलिए समय की पुकार है कि इस समय गांवों को मजबूत करने के लिए गांवों में जो डवैल्पमैंट है, उसको और गति देने के लिए नई पॉलिसीज़ पर विचार किया जाए। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं और सरकार से निवेदन करता हूं कि इस संकल्प को मंजूर किया जाए। जो-जो सुझाव हमारे माननीय सदस्यों ने दिए हैं और हमारे भाई अनिरूद्ध सिंह जी जो संकल्प ले करके आए हैं, उसको पास किया जाए और जो भी सुझाव आए हैं, उन पर सरकार विचार करें। धन्यवाद।

उपाध्यक्षः अब माननीय सदस्य, श्री बलबीर सिंह वर्मा जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री बलबीर सिंह वर्मा (चौपाल)ः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री अनिरूद्ध सिंह जी ने गैर सरकारी संकल्प आज यहां पर लाया है और आपने मुझे उस पर बोलने का मौका दिया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के अन्दर बहुत सारी सड़कें ऐसी हैं, जो फोरैस्ट कंजरवेशन एक्ट 1980 से पहले की बनी हुई हैं। रेवन्यू रिकार्ड में वे सड़कें आई हुई हैं। रेवन्यू रिकार्ड में ततीमा कटा हुआ है और जमाबन्दी उस सड़क की है। उसके बावजूद भी उन सड़कों में पैसा खर्च नहीं हो रहा है। मैं यहां पर अपने चुनाव क्षेत्र की बात करता हूं कि मेरे चुनाव क्षेत्र में मैक्सिमम सड़कें फोरैस्ट में हैं और वहां से लकड़ी की ट्रांसपोर्टेशन के लिए फोरैस्ट ने बहुत सारी सड़कें वर्ष 1970,1972 और 1975 में बनाई थी। बहुत सारी सड़कें बहुत चौड़ी हैं जिनमें बस भी जा सकती है और ट्राला भी जा सकता है। वे बहुत ही चौड़ी व लम्बी सड़कें हैं। वे 8-8 से लेकर 10-10 किलो- मीटर तक की सड़कें हैं। रेवन्यू रिकॉर्ड में सड़क लिखी हुई है और उनका ततीमा कटा हुआ है। उसके बावजूद भी कुछ पोर्शन में फोरैस्ट वाले उनमें यह कह कर काम नहीं करने देते कि ये फोरैस्ट की रोड़ज हैं जबकि ये रेवन्यू रिकार्ड में नहीं है। हिमाचल प्रदेश के अन्दर वर्ष 2006 से पहले पी.डब्ल्यु.डी. में 2100 सड़कें ऐसी बनी थी जिनकी फोरैस्ट क्लीयरैंस नहीं थी। हाई कोर्ट ने एकमुश्त सभी सड़कों के लिए कहा था कि इसकी एफ.सी.ए. ली जाए और उनको पास भी किया जाए।

08-02-2019/1550/SS-YK/1

उसी तरह से जब उस समय एक-साथ 2100 सड़कें गई थी, अगर ये जो पंचायतों से सड़कें बनी हैं, हर निर्वाचन क्षेत्र में ऐसी 600-700 सड़कें बनी हैं, पूरे हिमाचल प्रदेश में ऐसी 40000 से ऊपर सड़कों की गिनती है, अगर ये सभी सड़कें जोकि बन गई हैं, जिसमें कोई पेड़ नहीं कटना और जमाबंदी व ततीमे में सड़क है तो उनका एकमुश्त निपटारा करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उनको पास करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो पंचायती राज में सड़कें बनी हैं और पूरी बसेबल है उनको पी0डब्ल्यू0डी0 को हैंडऑवर करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि इसमें ज़रूर आप कुछ ऐसे स्टैप उठाएं कि जो सड़कें रेवेन्यू रिकॉर्ड में हैं, जिसकी जमाबंदी और ततीमें में एंटरी है, उसके लिए ब्लॉक वाले एन0ओ0सी0 दें और उसे पी0डब्ल्यू0डी0 को हैंडऑवर कर सकें। मुझे लगता है कि उसमें कोई दिक्कत नहीं

होनी चाहिए। इसमें बहुत सारी सड़कें ऐसी हैं जैसे इंटीरियर एरिया है जहां पर बर्फ और बरसात बहुत ज्यादा होती है इसके लिए कोई भी बजट का प्रावधान नहीं होता। मान लो आपने सड़क पंचायत से बना दी, एम0एल0ए0 फंड से बना दी, डी0सी0पी0 से बना दी, एम0पी0 फंड से बना दी। लेकिन जैसे अभी मेरे निर्वाचन क्षेत्र में लिंक रोड 600 से ऊपर बंद हैं उनको खोलने के लिए सरकार के पास कोई भी बजट का प्रावधान नहीं है। हमको बड़ी मुश्किल से प्राइवेट मशीनरी लगाकर इमरजैंसी के लिए सड़कें खोलनी पड़ती हैं। जबकि आपके विभाग में उनको खोलने का कोई प्रोविजन नहीं है। जैसे पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग में रिपेयर का प्रोविजन होता है, बरसात और बर्फ में सड़क के बंद होने पर उसे खोलने के लिए प्रोविजन होता है, आपके विभाग में भी वैसा कोई प्रोविजन होना चाहिए कि जो ब्लॉक ने सड़क बनाई है उसे बरसात व बर्फ में बंद होने पर खोला जाए। मेरी आपसे विनती है कि इसमें आप प्रोविजन ज़रूर रखें। मेरी आपसे एक और विनती है कि जो पी0डब्ल्यू0डी0 एफ0आर0ए0 केस बनाती है उसमें पेड़ों के लिए कोई पैसा जमा नहीं करवाना पड़ता है। लेकिन अगर ब्लॉक बनाती है तो उसमें पैसे जमा करवाने पड़ते हैं। यह एक अहम् मसला है। दोनों ही सरकारी एजैंसियां हैं और गांव के लिए सड़क बननी है। लेकिन दोनों जगह फ़र्क यह है कि जहां ब्लॉक सड़क बनायेगा, अगर हमने वहां पर दो लाख रुपये दिए हैं तो 10 लाख रुपया फॉरैस्ट वाले एफ0आर0ए0 केस का जमा करवाने के लिए बोल देते हैं। मेरा आग्रह है कि जब पी0डब्ल्यू0डी0 के अंदर एफ0आर0ए0 केस का कोई पैसा जमा नहीं करवाना पड़ता तो ब्लॉक द्वारा भी कोई पैसा जमा न करवाना पड़े। ब्लॉक में पहले ही कम पैसा होता है। मेरा यह बहुत ही वैलिड प्वाइंट है, इस पर सरकार ज़रूर गौर करे।

माननीय सदस्य, अनिरूद्ध सिंह जी ने जो यहां संकल्प लाया है, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने पहले ही विधायक प्राथमिकता में यह आश्वासन दिया है कि इस पर ज़रूर गौर किया जायेगा इसलिए मैं समझता हूं कि इसको एडॉप्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, धन्यवाद।

उपाध्यक्षः अब चर्चा में भाग लेने के लिए मैं माननीय सदस्य, श्री बिक्रम सिंह जरयाल को आमंत्रित करता हूं।

श्री बिक्रम सिंह जरयाल (भटियात)ः आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जो आज अनिरूद्ध सिंह जी सदन में प्रस्ताव लाए हैं कि प्रदेश में विकास खण्डों द्वारा निर्मित सड़कों का एक मुश्त निपटारा होना चाहिए, मैं भी इस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

जैसे कि कर्नल इन्द्र सिंह जी ने बोला है कि सड़कें हमारी भाग्य रेखाएं हैं, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण इश्यु है। मैं काफी लम्बे समय से पंचायती राज से जुड़ा हूं। मैं एक मर्तबा प्रधान रहा हूं और दो मर्तबा जिला परिषद् में रहा हूं। यह समस्या गम्भीर है क्योंकि मेरा यह मानना है कि जितना पैसा आज तक हिमाचल प्रदेश ने ब्लॉक में सड़कों व रास्ते के लिए खर्च किया है अगर यह पैसा रेलवे लाइन के लिए खर्च करते तो हरेक गांव रेलवे से जुड़ जाता। परन्तु अब इतनी गम्भीरता नहीं है क्योंकि अब पंचायतों में काफी पैसा आ रहा है। मैं यह बताना चाहता हूं कि पंचायतों में पैसा विभिन्न डिपार्टमैंटस से आता है जैसे मनरेगा, वी0के0वी0एन0वाई0, बैकवर्ड एरिया सब-प्लान, डी0सी0 हैड, एम0पी0 लैड इत्यादि से पैसा आता है। यहां पर संबंधित मंत्री महोदय भी बैठे हुए हैं मैं इनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि जो पीछे हुआ उसको तो सुधारना पड़ेगा लेकिन आज के बाद जो भी सड़क हम पंचायत/ब्लॉक के माध्यम से गांव में डालते हैं क्योंकि मजबूरी होती है गांव में उतनी ही जगह उपलब्ध होती है कि एक जीप या एम्बुलैंस जा सके और ज़रूरी भी है

08.02.2019/1555/केएस/वाईके/1

गांव को सड़कों से जोड़ेंगे नहीं तो गांव पिछड़ जाएंगे। सभी को यह मालूम है कि हमारी 90 परसेंट जनता गांव में ही रहती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बहुत अच्छा सुझाव है और मैंने तो अपने ब्लॉक में भी और जिला में भी चलाया है, आदरणीय मोदी जी चौदहवें वित्तायोग के बहुत पैसे दे रहे हैं, पंचायतों में सीधा पैसा आ रहा है। वी.के.वी.एन.वाई. का पैसा आता है, एम.पी.लैड का पैसा आता है, बैकवर्ड सब प्लान का पैसा आता है, एस.सी./एस.टी. सब प्लान का पैसा आता है। क्यों न हम सड़क बनाने के लिए कन्वर्जेंस में मनरेगा प्लस अनटाइड मनी का पैसा डाले और उस सड़क को एक मुश्त पक्का कर दें। ऐसा प्रोविज़न बत्रा जी भी बैठे हैं और आदरणीय मंत्री जी भी बैठे हैं, ऐसे निर्देश ब्लॉक्स और डी.सी. को दिए जाएं ताकि

आने वाले समय में यह समस्या पैदा न हो। ...(व्यवधान)... उसको भी डाल सकते हैं। मैं पूरी स्टडी करने के बाद बोल रहा हूं। यहां तक कि वित्तायोग के पैसे को जो पुरानी सड़कें बनी हैं, उनको पक्का करने के लिए भी आप लोग डाल सकते हैं।

उपाध्यक्षः कृपया माननीय सदस्य बीच में न बोलें।

श्री बिक्रम सिंह जरयालः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो यह हमारी सड़क बनती है, जैसे कर्नल इन्द्र सिंह जी भी बोल रहे थे, हमारे ब्लॉकों में जो टैक्निकल हैंड हैं, सर्वेयर एक बार सर्वे कर लें ताकि ऐसी सड़क बनें कि आने वाले समय में वहां कोई दुर्घटना न हो। मैं मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि मेरे चुनाव क्षेत्र की एक सड़क है, मैंने वह मेन रोड़ से कुडी तक बनाई थी। परन्तु वहां पर बीच में से जाने के लिए कोई स्पेस नहीं है। प्रधान ने रिक्वेस्ट की, बना दी । अब कुडी से मठोलू-द्रमण को बना रहे हैं परन्तु वह फिज़िबल नहीं है। मैंने उस प्रधान को मना कर दिया था कि आने वाले समय में इसमें एक्सिडैंट्स हो सकते हैं । तीन किलोमीटर की लैंथ है और क्रॉसिंग-वे कहीं नहीं है तो उसको चैक कराएं। डी.सी. को लिखें। यह कुडी टू मठोलू-द्रमण सड़क है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, जो फोरैस्ट डिपार्टमैंट सड़कें बनाता है, वह कच्ची सड़कें बनाता है। फोरैस्ट में भी ऐसा प्रावधान हो कि जो फोरैस्ट डिपार्टमैंट जीपेबल या एम्बुलैंस रोड़ बनाता है, वह पक्का बना सके। अगर हम पैसा देते हैं तो फोरैस्ट वाले ब्राइडल पाथ बनाते हैं। जीपेबल या एम्बुलैंस रोड़ भी नहीं बनाते। ऐसा भी प्रावधान होना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष जी, इसमें एक महत्वपूर्ण इशू है जैसे कि काफी माननीय सदस्यों ने भी कहा है। जो पुरानी सड़कें बन चुकी हैं, उनको अगर हम पी.डब्ल्यू.डी. के हैंडओवर कर दें । लोक निर्माण विभाग उसको टेक ओवर करें और उसकी मेंटिनेंस करें। एक बार पक्का कर दें क्योंकि लोक निर्माण विभाग को देने से बहुत फायदे होंगे। पुरानी सड़कें बनी हैं उससे एक तो यह फायदा होगा कि गांव वाले ऑब्जैक्शन नहीं करेंगे क्योंकि कई जगह बोलते हैं कि पुल ही नहीं बनना चाहिए। पानी यहां डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। मैं

आर.सी.सी. की ही बात कर रहा हूं, टारिंग की नहीं कर रहा हूं। ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा जिला पिछड़ा जिला है। मैं आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद करता हूं । मेरी चार पंचायतों के लिए पचास करोड़ रुपये आ गया है। 11 करोड़ रुपये आ गए हैं। यहां पर बत्रा जी बैठे हैं, मंत्री जी भी बैठे हैं।

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य से निवेदन है कि ऑफिसर गैलरी में बैठे हुए किसी भी अधिकारी को इंगित न करें।

श्री बिक्रम सिंह जरयालः माननीय उपाध्यक्ष जी, बी.डी.ओ., ए.डी.सी. ने आ कर मीटिंग की है। पता नहीं उस बजट का कहां आबंटन किया है। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी निर्देश दें कि जो पैसा आता है, उसके बारे में जन-प्रतिनिधि को भी बताएं । उनके साथ बैठकर मीटिंग करें, लोगों को भी बिठाएं ।

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, कृपया वाइंड अप करिए।

श्री बिक्रम सिंह जरयालः लोगों को भी बिठाएं। अन्त में यह बताना बहुत जरूरी है कि जो प्रधान के ऊपर जिम्मेदारी खड़ी कर देते हैं कि यह काम हुआ है। मेरा अनुरोध रहेगा, चैक के ऊपर बी.डी.ओ. साइन करता है, एस.डी.ओ. टैस्ट रिपोर्ट डालता है, जे.ई. काम चैक करता है, टैक्निकल असिस्टैंट वहां पर 24 घंटे खड़ा रहता है, फिर क्यों कमी रहे। इसलिए काम की जिम्मेवारी इन सभी पर होनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, यह इशू बहुत महत्वपूर्ण था, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष : अन्त में श्री राकेश सिंघा जी दो मिनट में अपनी बात रखेंगें।

श्री राकेश सिंघा (ठियोग) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय अनिरुद्ध सिंह जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण संकल्प लाया है और मैं इस पर अपनी पूरी-की-पूरी मोहर लगाता हूं तथा उम्मीद करता हूं कि सरकार भी इस पर अपनी मोहर लगायेगी।

मैं इस विषय पर एक ऐसी बात रखना चाहता हूं जो कि अभी तक चर्चा में नहीं आई है। मैं समझता हूं कि कोई भी कानून हो उसको मैकेनिकली नहीं देखा जा सकता है। वास्तव में गांवों में जो ये सड़कें बनी हैं उसमें लोगों की भागीदारी सबसे ज्यादा है और लोगों को इन सड़कों से बहुत ज्यादा प्यार भी है क्योंकि ये सड़कें सीधे उनके गांव को जोड़ती हैं। हम इसको क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मैं समझता हूं कि इसमें फोरैस्ट कन्जर्वेशन ऐक्ट एक बहुत बड़ी बाधा है जिसका जिक्र यहां पर माननीय सदस्य श्री बलबीर जी ने भी किया है। अगर हम फोरैस्ट कन्जर्वेशन ऐक्ट का ठीक से अध्ययन करें तो पायेंगे कि इस ऐक्ट की कहीं पर भी ऐसी मन्शा नहीं रही है कि इस तरीके की ब्यूरोक्रेटिक बाधाएं औरे अड़चनें हम लाएं जो लाई जा रही है। मैं समझता हूं कि समय के साथ और सही नज़रिए से देखते हुए जो अड़चनें फोरैस्ट कन्जर्वेशन ऐक्ट ला रहा है उसको सरकार के ऐडमिनिस्ट्रेटिव तौर-तरीकों से हटा देना चाहिए। इसको इसलिए हटा देना चाहिए क्योंकि इसके साथ मानवता का प्रश्न भी जुड़ा हुआ है। गांव में हमारी जो गैस की गाड़ियां चलती हैं, सब्जियों की चलती हैं या पेशैंट की चलती हैं और खुदा न खास्ता अगर कोई ऐक्सिडैंट हो जाता है व उसमें किसी की डैथ हो जाती है तो क्लेम तक नहीं मिलता है। अब आप समझिए कि किसी फैमिली के हैड या अर्न करने वाले व्यक्ति की यदि उस ऐक्सिडैंट में मृत्यु हो जाती है तो उसको सरकार कम्पनसेशन तक नहीं दे सकती जबकि यह एक मानवता का प्रश्न है। प्रश्न केवल यह नहीं है कि पब्लिक मनी इनवॉल्व्ड है। पब्लिक मनी है and it must be put to best use तथा यह भी देखा जाना चाहिए कि ब्यूरोक्रेटिक हिंड्रैंसिज को किस तरीके से दूर किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि आप निश्चित रूप से सरकार को आज ही इसको पारित करने के लिए अपील करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपका सम्मान रखते हुए मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और इस संकल्प का मैं दोबारा से पुरजोर समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष : अब माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जी उत्तर देंगे।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज माननीय सदस्य श्री अनिरुद्ध सिंह जी नियम-101 के अंतर्गत बहुत ही गम्भीर विषय लेकर आए हैं। इसकी गम्भीरता इस बात से भी लगती है कि इसमें 11 सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया है और सभी ने इसमें बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं। वास्तव में हिमाचल प्रदेश के 90 प्रतिशत लोग गांव में रहते हैं और हमारे गांव भी बड़े दूर-दराज में हैं। लोग गरीब हैं और लैंड होल्डिंग कम है, जिसको जहां-जहां पर जमीन मिली उसने वहां-वहां पर मकान बना लिया। आज यह सुविधा वहां तक पहुंचाना थोड़ा मुश्किल भी है। लेकिन मैं पूर्व प्रधान मंत्री श्रद्धेय अटल जी का धन्यवाद करता हूं जो कि प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना लेकर आए और ढाई सौ तक की आबादी वाले सभी गांवों को सड़क के साथ जोड़ा गया तथा जोड़ने के प्रयास हुए हैं। आज लगभग बहुत सारी सड़कें ऐसी रह गई हैं जहां पर एफ0सी0ए0 की प्रोब्लम है। हमारे बहुत सारे सदियों से चले आ रहे लिंक रोड हैं जो गांवों के लोगों ने सहभागिता से बनाये हैं। लेकिन जब उनको पक्का करने की बात आती है तो फोरैस्ट बीच में आ जाता है। यहां पर जैसे माननीय सदस्य श्री अनिरुद्ध सिंह जी ने कहा कि 35000 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कें हैं

और उनके रखरखाव की चिंता सरकार को करनी चाहिए। माननीय सदस्य श्री (कर्नल) इन्द्र सिंह जी ने भी कहा कि इसमें क्वालिटी के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। आदरणीय राम लाल ठाकुर जी ने भी बड़े विस्तृत रूप से अपने सुझाव दिए हैं। माननीय सदस्य श्री रमेश चंद ध्वाला जी ने भी कहा कि टेक्निकल विंग बनना चाहिए क्योंकि जो

सड़कें बनी है, उनकी कोई ग्रेडिंग नहीं है और वे ग्रेड में आती ही नहीं हैं। इसी तरह से माननीय सदस्य श्री सुन्दर सिंह ठाकुर, श्री सुरेश कश्यप, श्री राकेश कुमार जम्बाल जी ने भी बहुत महत्वपूर्ण सुझाव इसके बारे में दिए हैं। स्टॉफ की कमी को लेकर माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र राणा जी ने भी इसमें अपने विचार व्यक्त किए हैं। माननीय सदस्य श्री बलबीर सिंह वर्मा जी ने कहा कि ये जो हमारी सड़कें हैं ये लम्बी हैं और ग्रामीण विकास विभाग इनका रखरखाव नहीं कर पाता है। लेकिन ये राजस्व रिकॉर्ड में है और ये 6-6 या 7-7 किलोमीटर की सड़कें हैं। हमें इनमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अपनी विधायक प्राथमिकता में किसी सड़क को डालते हैं तो लोक निर्माण विभाग निश्चित रूप में उस सड़क को बनाएगा। हमें लोक निर्माण विभाग से कोई आपत्ति नहीं है। इसी तरह से माननीय विधायक श्री विक्रम जरयाल जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि बहुत-सारा पैसा आ रहा है, उसको कंवर्जेंस में खर्च किया जाना चाहिए और इससे लम्बी सड़कें बन सकती हैं। माननीय सदस्य श्री राकेश सिंघा जी ने भी यहां अपने विचार रखें। आज हमारे गांव सड़कों के साथ जुड़े हैं। जब से मनरेगा का काम शुरू हुआ, कभी 200, 400 करोड़ और वर्ष 2017-18 में हमने इसके ऊपर 560 करोड़ रुपये खर्च किए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 13वें और 14वें वित्तायोग में सीधे तौर पर पंचायतों को पैसा दिया है। आज हम अपनी विधायक निधि से पैसा खर्च कर रहे हैं। आज हम सांसद निधि के माध्यम से भी पैसा खर्च कर रहे हैं और हमने पिछले साल ऐसा 45 करोड़ रुपया जिला परिषदों और ब्लॉक समितियों को दिया। ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों को इससे प्राथमिकता मिली। इसके अलावा हम डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग के तहत भी पैसा खर्च करते हैं यानि इतना पैसा खर्च करने के बावजूद भी हम जनप्रतिनिधि क्यों अपनी प्राथमिकता तय नहीं कर पाते हैं। आज पंचायतों के अंदर एक ही काम हो रहा है-भूमि सुधार, भूमि सुधार। आज गांव में ड़गे लग रहे हैं और दीवारे लगाई जा रही है। यदि हम इन कार्यों को देखें तो यह समस्या हमें आनी ही नहीं चाहिए थी। लेकिन आज हमें यह समस्या आ रही है। सभी माननीय सदस्यों ने सदन में अपनी मंशा जाहिर की है कि गांव तक पक्की सड़क पहुंचे, गांव तक एंबुलेंस रोड पहुंचना चाहिए। ताकि गांव का

जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, वह शहर तक पहुंच सके और किसान को उसका ठीक लाभ मिल सके। उसी तरह से अगर कोई भाई-बहन या बुजुर्ग बीमार हो जाता है तो उसको कंधे के ऊपर उठाकर अस्पताल तक न लाना पड़े। आखिर ये हमारी चिंता है। प्लानिंग की मीटिंग में माननीय मंख्य मंत्री जी ने इस चिंता को जाहिर किया है।

08-02-2019/1610/NS/AG /1

सड़कें हमारी भाग्य रेखाएं हैं और हमें इस भाग्य को बदलना है। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहले ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय रहा है और वे ऐसी जगह से जुड़े हैं, जहां मीलों-मील पैदल चलना पड़ता है तथा वे इस कष्ट को समझते हैं। मैं समझता हूं कि सड़कें हमारी प्राथमिकताएं हैं। लेकिन हम पहले छोटे-छोटे काम करते रहे। आज हम सब यहां पर चिंता तो बहुत कर रहे हैं तो क्या हम कभी महीने में एक बार विकास खंड में बैठे, क्या कभी पूछा कि पंचायतों ने कौन-सा शैल्फ डाल करके भेजा है, क्या हम पंचायतों की ग्राम सभा में जा करके गांव के लोगों से यह पूछते हैं कि उनकी क्या प्राथमिकता है? क्या दीवार, डंगा, भूमि सुधार या सबसे पहली प्राथमिकता गांव की सड़क है? जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। 14वें वित्तायोग को देखें तो 13वें और 14वें वित्तायोग में लगभग 1809 करोड़ रुपये आए हैं। इसमें से हमने लगभग 1176 करोड़ रुपये सीधे तौर पर पंचायतों को दिए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पंचायतों के अंदर क्या होता है? पंचायतों के अंदर 5 से 7 वार्ड होते हैं और जब सब बैठते हैं तो एक वार्ड वाले बोलते हैं कि 50,000 रुपये मेरे वार्ड को दे दो, 25,000 रुपये दूसरे वार्ड को दे दो और 40,000 रुपये तीसरे वार्ड को दे दो। इस तरीके से धनराशि का दुरूपयोग होता है। क्योंकि ये धनराशि हमें दिखती नहीं है। लेकिन सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशानिर्देश के अनुसार इसमें थोड़ा परिवर्तन किया गया है। मनरेगा का मतलब हम यह समझते हैं कि सिर्फ भूमि सुधार ही हो। इसमें 160 एक्टिविटीज़ हैं। अब माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने 100 एक्टिविटीज़ और बढ़ा दी हैं और अब ये एक्टिविटीज़ 260 हो गई हैं। हमने कहा कि हम 60:40 को पंचायत स्तर या वार्ड स्तर के ऊपर नहीं मानेंगे और हमने इसमें परिवर्तन लाया है। हमने कहा कि हम इसका जिला स्तर पर अवलोकन करेंगे और आप बड़े काम कीजिए। मुझे लगता है कि गांव के लिंक रोड के लिए अगर 50.00 लाख रुपये की आवश्यकता है तो हम 50.00 लाख रुपये का शैल्फ मनरेगा में डाल सकते हैं। हम इसका

14वें वित्तायोग के साथ कंवर्जेंस करेंगे। हम जिस लिंक रोड को पैसे देंगे, इसके लिए हम पहले पंचायत प्रधान को कहेंगे कि इसको अपने शैल्फ में डालें। फिर इस शैल्फ को विधायक निधि के साथ कंवर्जेंस करके मैंने 80 या 60 लाख रुपये की सड़कों के उद्घाटन और भूमि पूजन भी किया है। मैं अभी हाल ही में चीलबंगला (चंबा) में एक लोक भवन का शिलान्यास करने के लिए गया था। वहां पर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, जब उन्होंने कहा कि इस भवन की कीमत लगभग 01.00 करोड़ रुपये है। उन्होंने कहा कि 30.00 लाख रुपये लोक भवन का, 30.00 लाख रुपये मनरेगा में डाले और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग से कुछ धनराशि ली, पंचायत घर व आंगनबाड़ी का पैसा मिलना था तथा इस कंवर्जेंस से 01.00 करोड़ के भवन का शुभारंभ किया है। आगे हम ऐसे अनेकों काम कर सकते हैं। इस तरीके से हम गांव की तकदीर बदल सकते हैं। हमने पिछली बार कहा था कि हम गांव में कच्चे काम नहीं करेंगे। हम कच्चे काम उतने ही करेंगे जितनी हमें आवश्यकता है। हम गांव के अंदर बड़े-बड़े पक्के काम करेंगे। हम गांव के अंदर लिंक रोड भी बनाएंगे जो गांव की प्राथमिकता है। अगर गांव में पीने के पानी की समस्या है तो हम वहां पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर भी बनाएंगे। वहां पर पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए तालाब भी बनाएंगे और गांव के अंदर मोक्षधाम भी बनाएंगे। इसके लिए हम मनरेगा और

08.02.2019/1615/RKS/dc-1

और 14वें वित्तायोग का कन्वर्जेंस कर 10-10 लाख रुपये में यह बनाएंगे। हम सारे कार्य एक छत के नीचे करेंगे। हमने कहा कि हम भारत निर्माण सेवा केंद्र भी बनाएंगे और इसके लिए प्राथमिकता दी गई है। हमने वर्ष 2017-18 में 560 करोड़ रुपये खर्च किए थे लेकिन जो मेरे पास आंकड़े हैं उनके अनुसार पहली फरवरी तक 560 करोड़ रुपये की जगह 718 करोड़ मनरेगा के माध्यम से खर्च किए गए हैं। इसके माध्यम से पक्के लिंक रोड और लगभग 308 किलोमीटर पक्के रास्ते तैयार किए गए हैं। 10 हजार वाटर टैंक गांव के अंदर बनाए गए हैं। मनरेगा के माध्यम से 1 लाख पौधरोपण गांव के अंदर किया गया है। हम अगले वर्ष इसमें नए आयाम के साथ कार्य करेंगे। मान लो हमारे गांव के अंदर सात वार्ड है और उन सात वार्डों में लिंक रोड की आवश्यकता है तो इसके लिए हम हर पंचायत से प्राथमिकता लेंगे कि वे दो लिंक रोड या एम्बुलैंस रोड अपनी प्राथमिकता में डालें। मैं सभी जन प्रतिनिधियों

से अनुरोध करता हूं कि आप भी विधायक निधि और सांसद निधि के माध्यम से इसमें अपना सहयोग दें। हमारी जितनी भी 3243 पंचायतें हैं, हम हर पंचायत से प्राथमिकता लेंगे और इस चीज को क्वार्टरली रिव्यू किया जाएगा। हर कार्य की क्वालिटी और ग्रेडिंग का ध्यान रखा जाएगा और एक प्रोपर सर्वे करवा कर इसको बनाने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही छोटे-छोटे कार्य भी किए जाएंगे जिसमें भूमि सुधार इत्यादि के कार्य शामिल हैं। मनरेगा के माध्यम से पोल्ट्री फार्म भी बनाए जाएंगे। इस देश के अंदर बेटियों को प्राथमिकता दी जाएगी और इसके लिए 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान की शुरूआत माननीय मोदी जी ने की है और हम इस अभियान को माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाएंगे। हमने तय किया है कि जब रक्षा बंधन के दिन बेटियां अपने भाइयों को राखी बांधने अपने माइके आएंगी तो उस दिन उस परिवार से एक पौधा बेटी के नाम लगवाया जाएगा। इस तरह इस योजना के तहत 15 लाख पौधे हिमाचल प्रदेश के अंदर लगाए जाएंगे। जितना पैसा हम 14 वें वित्तायोग में खर्च कर रहे हैं इसके कंवर्जेंस से भारत निर्माण सेवा केंद्र, मोक्ष धाम, ग्राम सरोवर, तथा बेटी के नाम पौधरोपण करेंगे। माननीय मुख्य मंत्री जी के नए विज़न के ऊपर हमारा विभाग काम कर रहा है। सरकार बनते ही हमने कहा था कि जो सचिव, सहायक सचिव हैं उनके लिए रेग्यूलर पॉलिसी बनाई जाएगी। वर्तमान में

जो पंचायत सचिवों के 300 पद खाली है, आने वाले समय में हम पंचायत सचिवों के 300 पद भरेंगे। हम आने वाले समय में जितने भी जी.आर.एस. के पद हैं उनको भी हमने एक पॉलिसी के तहत लाया है। हम उनको भी 5 वर्ष के बाद नियमित करेंगे। जो खाली पद हैं हम उन्हें भी भरेंगे। माननीय मुख्य मंत्री जी की सोच बहुत अग्रणी है। हमने खाखा तैयार कर लिया है। हम इसे कैबिनेट में लाएंगे और इसे मंजूरी भी देंगे और साथ में जो खाली पद हैं उनको भी भरेंगे। हम तकनीकी विंग बना रहे हैं। ...(व्यवधान)... मैं उसी पर आ रहा हूं।

श्री अनिरूद्ध सिंह : माननीय मंत्री जी विषय पर नहीं बोल रहे हैं बल्कि इधर-उधर की बातें कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष : माननीय अनिरूद्ध जी, माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं कृपया शांत रहिए।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : इस बारे में बात हुई है कि गांव के रास्ते बहुत टेढ़े-मेढ़े हैं इसके लिए तकनीकी विंग बनाइए। वहां पर परोपर स्टाफ नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी कहा कि हम हर गांव को प्राथमिकता के तौर पर रोगी वाहन के लिए सड़क देंगे और यह कच्चे रोड़ नहीं बल्कि हम पक्के रोड़ बना करके देंगे और इसके लिए यदि अतिरिक्त पैसे की आवश्यकता होगी तो उसे भी किया जाएगा। मैं ज्यादा न कहते हुए माननीय सदस्य श्री अनिरूद्ध सिंह जी से निवेदन करूंगा कि जो आपकी चिंता है वह सरकार की भी चिंता है। हम इसके लिए कार्य कर रहें और योजना ला रहे हैं । इसलिए मेरा निवेदन रहेगा कि आप संकल्प को वापिस ले लें। धन्यवाद।

श्री राम लाल ठाकुर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी प्रदेश भर की बातें करते करते अंत में ग्रामीण सड़कों की ओर पहुंचे हैं। हमारा विषय बड़ा साधारण सा था। हमने इसमें कोई भाषण-बाजी की इसमें बात नहीं की। यह जो जवाब माननीय मंत्री जी ने दिया वह सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य बोले हैं उनकी बातों का जवाब दिया है। यहां पूरब की बात हो रही थी और ये पश्चिम की ओर जा रहे थे।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया संक्षेप में अपनी बात कहिए।

श्री राम लाल ठाकुर : हमने माननीय मुख्य मंत्री जी से प्लानिंग की बैठक में इस बारे में बात की थी और मुख्य मंत्री जी ने खुद बोला कि इन सड़कों को पास करने के लिए हम रोगी वाहन रोड के तौर पर पास करवाने के आदेश करेंगे। यह विषय आपका नहीं है । माननीय मुख्य मंत्री जी यहां से उठ करके चले गए। अगर ये सड़कें पास नहीं होगी और कोई दुर्घटना इनमें होगी तो वह कवरेज नही होगा। मेरा निवेदन यह है कि इसे हम प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाएं। सरकार कह रही है कि गांव की सड़कों को पक्का किया जाना चाहिए। छोटी सड़कों की पासिंग भी होनी चाहिए। लेकिन वह पासिंग ये खुद नहीं करेंगे परंतु इसके लिए वाकायदा कमेटी गठित होगी।

उपध्यक्ष : संकल्प पर माननीय मंत्री जी ने अपनी बात कह दी है। माननीय अनिरूद्ध सिंह जी बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। क्या माननीय मंत्री जी फिर से कुछ बोलना चहेंगे। ...(व्यवधान)...माननीय ठाकुर साहब आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। कृपया बैठ जाइए।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने विस्तार से उत्तर दे दिया है कि विभाग इस विषय पर क्या करने जा रहा है। मैंने माननीय सदस्यों को वही बताया है। मैंने पहले भी कह दिया है कि माननीय मुख्य मंत्री जी प्रत्येक गांव में रोगी वाहन सड़के बनाएंगे।

08.02.2019/1625/dt/hk-1

यह हमारी प्राथमिकता है और मैंसमझता हूं कि आजकल ठाकुर साहब जी कि पौधे लगाने की बात कर रहे हैं वह कभी भी लग जाते हैं उसके लिए स्रदी या गर्मी का कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा माननीय अनिरूद्ध जी से निवेदन है कि वह इस संकल्प को वापिस लें क्योंकि श्री जय राम ठाकुर जी की प्राथमिकता है और हम प्राथमिकता के ऊपर ही काम करेंगे।

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, श्री अनिरूद्ध सिंह जी।

श्री अनिरूद्ध सिंहः माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि जो सत्तापक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्य हैं सबने यही कहा कि यह संकल्प बहुत अच्छा है और इसे वापिस लिया जाए और पास न हो। दिल में कुछ ओर है, परंतु राजनितिक मजबूरी ऐसी है कि वह खुलकर बोल नहीं पा रहे। मेरा मंत्री जी एक बिल्कुल सिम्पल सा सकंल्प था। आपने बात की कि हमारे ऐजेंडे में है, सरकार के ऐजेंडे में है। हम उन सड़कों की बात कर रहें हैं जो ऑलरेडी बन चुकी हैं। जो आगे बनेगी उसकी बात नहीं कर रहे हैं।

उपाध्यक्षः माननीय अनिरूद्ध सिंह जी आप यह बताईये कि आप यह सकंल्प वापिस ले रहे है या नहीं? ---(व्यवधान)---

श्री अनिरूद्ध सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट। यहां पर एक और बात आई---(व्यवधान)---यहां पर यह बात हुई थी कि लीगल तरीके से बनाई गई थी या इल्लीगल

तरीके से बनाई गई थी। इल्लीगल तरीका मतलब violation of forest. हम सब लोग पहाड़ के लोग हैं, पहाड़ से मतलब हिमाचल पहाड़ में है। कोई भी सड़क बनती है उसमें वायलेशन होती ही होती है।

उपाध्यक्षः आप यह सकंल्प वापिस कर रहे हैं?

श्री अनिरूद्ध सिंह : वह सड़क हमने पक्की कैसे करनी है इसके लिए यह सकंल्प है। क्योंकि उसमें बीग बजट नहीं था या डिपार्टमेंट से क्लीयरेंस नहीं मिली।...व्यवधान...

उपाध्यक्षः मुझे लगता है माननीय सदस्य आपने भी विस्तृत विवरण दे दिया है और माननीय सदस्यों ने भी रखा हुआ है। आप कृपया करके माननीय सदन में यह कहें कि जो आपने सकंल्प लाया है उसे आप वापिस लेते है या नहीं लेते हैं।---(व्यवधान)---आप बीच में मत कहें जम्वाल जी।

श्री अनिरूद्ध सिंह : उपाध्यक्ष जी, मैं सकंल्प पर आता हूं। चिंता सबकी यही है, हमारी भी है और इनकी भी यही चिंता है। अगर यह चिंता करते हैं कि जो सड़कें पंचायतों द्वारा या ब्लॉक द्वारा बनाई गई हैं तो सकंल्प को अडोप्ट करेंगें और मैं इस सकंल्प को वापिस नहीं ले रहा हूं।

उपाध्यक्षः तो प्रश्न यह है कि "यह माननीय सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश में विकास खण्डों द्वारा निर्मित सड़कों का एक मुश्त निपटारा करने हेतु नीति बनाने पर विचार करे"।

संकल्प अस्वीकार।

अब एक अन्य सकंल्प, अब श्री लखविन्द्र सिंह राणा जी अपना संकल्प प्रस्तुत करेंगें। मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि अन्य सकंल्प आ गया है इसलिए विषय को गम्भीरता से लें।

श्री लखविन्द्र सिंह राणाः माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, मैं नियम 101 के तहत मैं आपकी अनुमति से सकंल्प प्रस्तुत करता हूं "यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि बढ़ती बिजली की खपत को देखते हुए सौर ऊर्जा नीति पर विचार करें ।"

उपाध्यक्षः संकल्प प्रस्तुत हुआ कि "यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि बढ़ती बिजली की खपत को देखते हुए सौर ऊर्जा नीति पर विचार करें ।"

08/02/2019/1630/RG/HK/1

श्री लखविन्द्र सिंह राणा : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आज देश व प्रदेश में बिजली की खपत दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन बिजली की आपूर्ति करना सभी जगह असंभव है, बिजली सबको चाहिए और हमारे प्रदेश में 80% ग्रामीण व 20% शहरी क्षेत्र हैं। अब बिजली सबको चाहिए, चाहे अमीर हो या गरीब, लेकिन आने वाले समय में हमारे पास सबको बिजली मुहैया करवाना बहुत मुश्किल है। इसके लिए हमें सौर ऊर्जा नीति को अपनाने की आवश्यकता है। आज हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति को पूरा करने के लिए ट्रांसफामर्ज लगा रहे हैं, थ्री फेस लाईनें, एल.टी. लाईनें, टू फेस लाईनें आदि बिछा रहे हैं। लेकिन फिर भी बिजली की आपूर्ति पूरी नहीं की जा सकती। प्रदेश के कई जिलों में औद्योगिकरण भी हुआ है, चाहे सोलन जिले के बद्दी-बरोटीवाला, सिरमौर में कालाअम्ब या चाहे ऊना क्षेत्र की बात करें, हिमाचल प्रदेश के अन्य जिलों में तेजी से औद्योगिकरण हुआ है। अब उसके लिए भी बिजली की आवश्यकता है। वैसे भी हमारे प्रदेश को एक बिजली राज्य माना जाता है। लेकिन आने वाले समय में बिजली का विकल्प सौर ऊर्जा हो सकता है क्योंकि सबको बिजली नहीं दी जा सकती। इसलिए हमें सौर ऊर्जा को अपनाने की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी सौर ऊर्जा बिजली की दरें इस बिजली की अपेक्षा सस्ती पड़ती हैं। हमारे गरीब लोगों को भी इस सौर ऊर्जा से लाभ प्राप्त हो सकता है क्योंकि हर समय हम देखते है कि हर साल बिजली की दरें बढ़ती जा रही हैं। इसमें सरकार की भी कुछ मजबूरी होती है इसलिए बिजली की दरें बढ़ानी पड़ती हैं। लेकिन उसके लिए एक बहुत अच्छा विकल्प सौर ऊर्जा हो सकता है। हमारी सरकार को बिजली

की खपत को देखते हुए प्रदेश की जनता को सौर ऊर्जा को अपनाने के लिए आकर्षित करना चाहिए ताकि बिजली की बढ़ती खपत को देखते हुए इसे ही अपनाया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष जी, इसी तरह बढ़ती बिजली की खपत को देखते हुए आने वाला समय आर्थिक आधार पर देश के सामने कई मुश्किलें खड़ी कर सकता है। आज महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, पैट्रौल और डीजल की कीमतें दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही हैं, महंगाई से लोग परेशान हैं और दूसरी तरफ हमारे पैट्रोल-डीजल की कीमतों से परिवहन भी प्रभावित हो रहा है। इसके अतिरिक्त हमारी भारतीय करेंसी में लगातार हो रही गिरावट हमारे लिए चिन्ता का विषय बना हुआ है। भविष्य की परिस्थितियों से मुकाबला करने के लिए हमें आज से तैयारी करनी होगी और---(व्यवधान)---

उपाध्यक्ष : कृपया बीच में न बोलें। आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री लखविन्द्र सिंह राणा : वैज्ञानिक आधार पर भी भविष्य की चुनौतियों का सामना करना होगा और विकासशील अर्थ-व्यवस्था से विकसित अर्थ-व्यवस्था की ओर बढ़ते कदमों के लिए क्रान्तिकारी तथा वैज्ञानिक सोच की आवश्यकता है। प्रकृति ने हमें ऐसे अनेक उपहार दिए हैं जो हमारे लिए वरदान साबित हो सकते हैं। जरूरत है तो उनका सही ढंग से इस्तेमाल करने की। सोलर ऊर्जा प्रकृति द्वारा दिया गया एक नायाब तोहफा है जिसको पाकर हम अपने सभी बिजली से सम्बन्धित मसले हल सकते हैं। हालांकि हमारी सरकारों द्वारा भी सौर ऊर्जा को महत्व दिया जा रहा है। परन्तु हमारी जनता इसमें ज्यादा रुचि नहीं दिखा रही। इसलिए हमें इस योजना को जन-जन तक पहुंचाने के लिए एक विशेष रणनीति बनानी चाहिए ताकि सरकार की इस योजना का हर व्यक्ति लाभ उठा सके। प्रकृति के इस उपहार का हम सही रूप से दोहन करके अपने घरों व व्यापारिक स्थलों में ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। वहीं अतिरिक्त उत्पादन विद्युत विभाग को भी बेचा जा सकता है जिससे हमारी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी, सरकार द्वारा उत्पादित विद्युत को अन्य राज्यों को देने पर भी हमारी सरकार को आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है। हमारे बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां बिजली नहीं पहुंच पाई है। ऐसे कस्बों के लिए हम सौर ऊर्जा देकर उनके लिए एक तोहफा दे सकते हैं। भारतवर्ष में विद्युत की कुल उत्पादन

क्षमता साढ़े तीन लाख मेगावाट से भी अधिक है। राज्य सरकारों की उत्पादन क्षमता 80,677 मेगावाट है और केन्द्रीय कम्पनियों का योगदान 1,03,058 मेगावाट है,

08/02/2019/1635/MS/DC/1

निजी क्षेत्र की कम्पनियों की उत्पादन क्षमता सबसे अधिक 147.125 मेगावाट है और देश के कुल विद्युत उत्पादन में थर्मल ऊर्जा की हिस्सेदारी लगभग 73 प्रतिशत है। देश में जल विद्युत उत्पादन क्षमता 37,414 मेगावाट है। फिलहाल 22 परमाणु ऊर्जा इकाइयों की विद्युत उत्पादन क्षमता 6780 मेगावाट है। देश में 44,217 मेगावाट से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। वर्ष 2035 तक देश में सौर ऊर्जा की मांग सात गुना तक बढ़ने की संभावना है। सौर ऊर्जा का कृषि में भी हमें बहुत लाभ हो सकता है यानी कृषि कार्यों में भी सौर ऊर्जा के इस्तेमाल में वृद्धि हो रही है जोकि भारत में परम्परागत तौर पर भारी मात्रा में बिजली की खपत की एक बड़ी वजह है। सौर खेती में कृषि उपकरणों के लिए सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमारे ट्रैक्टर, सिंचाई प्रणाली, रोटेटर, रोलर, प्लांटर, स्प्रेयर और ब्रॉडकास्ट सीडर आदि बैटरी या पेट्रोलियम ईंधन पर काम करते हैं और ये सारे उपकरण सौर ऊर्जा से चलाए जा सकते हैं। कृषि विशेषज्ञ भी किसानों को सौर ऊर्जा के बारे में निर्देश देकर उन्हें प्रोत्साहित करने की बात हमेशा करते हैं।

भारत में विगत एक दशक के दौरान बढ़ती आबादी, आधुनिक सेवाओं तक पहुंच, विद्युतीकरण की दर तेज होने और जी0डी0पी0 में वृद्धि की वजह से ऊर्जा की मांग तेजी से बढ़ी है और माना जाता है कि इसे पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के बजाय सौर ऊर्जा के जरिए आसानी से पूरा किया जा सकता है। लेकिन देश में 30 करोड़ लोगों तक अभी भी बिजली नहीं पहुंची है। देश की ऊर्जा जरुरतों को पूरा करने के लिए न केवल बुनियादी ढांचा मजबूत करने की जरुरत है बल्कि ऊर्जा के नए स्रोत तलाशना भी जरूरी है। ऐसे में सौर ऊर्जा क्षेत्र भारत के ऊर्जा उत्पादन और मांगों के बीच की बढ़ती खाई को बहुत हद तक पाट सकते हैं। वर्षभर में भारत में औसतन 300 दिन सूर्य चमकता है और इस कारण यहां सौर ऊर्जा दोहन की प्रबल संभावनाएं हैं। मैं सदन के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि जो हमने यह संकल्प सौर ऊर्जा का यहां रखा है, इसमें मेरा यही कहना है कि सौर ऊर्जा हमें बिजली से कहीं अधिक सस्ती पड़ती है। जो उद्योग हमारे प्रदेश में भविष्य में लगने हैं

उनमें हमें विद्युत की बहुत आवश्यकता है। अभी ऐसी बहुत सी जगहें हैं जहां पर अभी भी बिजली नहीं पहुंच पाई है। अगर हम सौर ऊर्जा की तरफ जनता को आकर्षित करेंगे तो मैं समझता हूं कि समस्या का समाधान हो सकता है। मैंने जो संकल्प यहां पर रखा है, मुझे आशा है कि यह सदन उसको जरूर स्वीकार करेगा। उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, धन्यवाद।

उपाध्यक्षः क्योंकि समय की कमी है और माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने जवाब भी देना है। अभी चार और माननीय सदस्यों के यहां बोलने के लिए नाम आए हुए हैं। मैं समझता हूं कि एक-एक माननीय सदस्य दोनों ओर से दो-दो मिनट बोले लें और उसके बाद माननीय ऊर्जा मंत्री जी जवाब देंगे। अब चर्चा में श्री किशोरी लाल जी भाग लेंगे।

श्री किशोरी लाल(आनी)ः माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य श्री लखविन्द्र सिंह राणा जी ने जो यह महत्वपूर्ण संकल्प यहां रखा है कि यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि बढ़ती बिजली की खपत को देखते हुए सौर ऊर्जा नीति पर विचार करें, लाया है, मैं इस विषय पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

माननीय उपाध्यक्ष जी, हमारा हिमाचल प्रदेश एक ऊर्जा राज्य के नाम से भी जाना जाता है। हमारा प्रदेश सौर ऊर्जा के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ सकता है उस दृष्टि से हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्य मंत्री आदरणीय श्री जय राम ठाकुर जी के नेतृत्व में बहुत सारे कार्य शुरु हुए हैं। हमारे हिमाचल प्रदेश में अभी हाल ही में पांच प्रोजैक्ट स्वीकृत किए गए हैं जिनसे 17 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। उनमें एक हमीरपुर के जाहू में, दूसरा बिलासपुर में, तीसरा कालाअम्ब में, चौथा राम शहर में और एक ऊना में है। आज हिमाचल प्रदेश में जलवायु के कारण पानी का स्तर बहुत ज्यादा कम हो गया है। बर्फ नहीं पड़ रही है, उस कारण हमें सौर ऊर्जा की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। इसके अलावा हमारे हिमाचल प्रदेश में बिजली की खपत भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है

क्योंकि इस प्रदेश के अन्दर जैसे कि विभिन्न कारखाने और उसके साथ बहुत सारी सिंचाई की योजनाएं आई हैं। उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश के अन्दर सरकार की ओर से बहुत से कदम उठाए जा रहे हैं । सोलर रूफ टॉप ग्रिड से जुड़े हुए पावर प्लांट के लिए हमारी सरकार 4 हजार रुपये की सबसिडी प्रति किलोवाट की दर से दे रही है। जो स्ट्रीट लाइट है उसमें भारत सरकार 90 परसेंट तक सबसिडी दे रही है। हम चाहेंगे हमारे प्रदेश की सरकार उसमें 10 परसेंट दें। आने वाले समय में गांवों में स्ट्रीट लाइट की बहुत जरूरत होगी क्योंकि गांवों में जब रात का समय होता है उस समय जंगली जानवरों के आने का बहुत खतरा होता है। उस दृष्टि से गांवों में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा जैसे कि भारत सरकार द्वारा दूसरे प्रदेशों में सोलर स्टडी लैम्पस प्रदान किए जाते हैं, हम चाहते हैं कि केन्द्र सरकार से आग्रह किया जाए कि इस प्रकार के सोलर स्टडी लैम्पस हिमाचल प्रदेश के दूर-दराज़ के एरियाज़ में भी प्रदान किए जाएं। जो यह प्रस्ताव यहां पर लाया गया है, हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री, श्री जय राम ठाकुर जी इसके लिए पहले ही प्रयासरत्त हैं, इसलिए इसको अडॉप्ट करने में असमर्थ हूं।

उपाध्यक्षः अब माननीय सदस्य, श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू जी चर्चा में भाग लेंगे। माननीय सदस्य केवल दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खूः (नादौन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लखविन्द्र राणा जी ने जो नियम-101 के तहत प्रस्ताव लाया है, उस संकल्प के सन्दर्भ में कुछ बातें माननीय बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री के ध्यान में लाना चाहता हूं। भविष्य की ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा एक बेहतर विकल्प है। अभी पिछले दिनों एक सौर ऊर्जा की नीति सरकार द्वारा लागू की गई। सरकार द्वारा जो नीति लाई गई, एक अच्छा प्रयास था लेकिन उसमें कुछ कमियां हैं। आपने पारदर्शिता अपनाते हुए 20 मैगावाट के सोलर पावर प्रोजैक्ट्स लगाने के लिए लोगों से आवेदन मांगे, हिमाचली युवाओं से आवेदन मांगे। निश्चित रूप से जो आपकी फर्स्ट-कम-फर्स्ट सर्व की नीति थी उसमें काफी आवेदन भी आए। अब सवाल यह आता है कि जब हम हाइड्रो पावर लगाते हैं, सोलर पावर लगाते हैं और प्रोजैक्ट्स अलॉट हो जाता है। हाइड्रो पावर की जैनरेशन twenty for hours होती है और जो सोलर पावर है उसकी जनरेशन जब धूप निकलेगी तभी हो सकती है। अब एक प्रोजैक्ट एक मैगावाट में लगाने में अगर इस नीति में थोड़ा और सुधार किया जाए तो उससे हिमाचल के युवाओं को रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं। कारण बड़ा स्पष्ट है, क्योंकि एक मैगावाट लगाने के लिए 25 कनाल यानि कि साढ़े 12 बीघे जमीन की जरूरत होती है। साढ़े 12 बीघे जगह जब वह अपनी देगा उसके बाद उसके सोलर पैनल और जो सोलर का पूरा प्रोजैक्ट लगेगा, उसमें कम-से-कम एक मैगावाट लगाने में 5 करोड़ रुपये का खर्च आता है। प्रोजैक्ट सफल क्यों नहीं होते, क्योंकि जो हमारे डेज़ हैं, 275 से 300 डेज़ के बीच में सोलर पावर जनरेशन हो सकती है। जब हम लोन लेने जाते हैं, एक मैगावाट का प्रोजैक्ट किसी ने लगाना है, उस लोन में अगर एक करोड़ रुपया कोई हिमाचली खर्च करता है तो 4 करोड़ रुपया वह बैंक से लोन लेता है। 4 करोड़ के हिसाब से एक मैगावाट में पर-डे जनरेशन 60 लाख रुपया प्रति मैगावाट के हिसाब से एक साल की होती है और जो इंट्रस्ट है, 4 करोड़ रुपये पर 12 परसेंट के साथ इंट्रस्ट बैंक लेता है 48 लाख रुपया। 48 लाख रुपया तो उसका पहले साल में इंट्रस्ट चला गया और जो इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड से आज की डेट में जो पावर परचेज एग्रीमैंट हो रहा है वह 4 रुपये 20 पैसे के हिसाब से हो रहा है। अगर 4 रुपये 20 पैसे के हिसाब से पावर परचेज़ एग्रीमैंट हो

रहा है तो 60 लाख रुपये से भी कम पैसा बनता है। कई बार एवरेज ही 50 और 55 लाख रुपये के बीच में आती है। मेरा अनुरोध रहेगा कि आप सोलर पावर में थोड़ा और सुधार कीजिए और

08-02-2019/1645/SS-AG/1

और रेट ऑफ इंट्रस्ट 4 या 5 परसैंट सब्सिडाइज रेट पर दिलाते हैं तो भविष्य में, अभी जो आपने 20 मैगावाट के सोलर पावर प्रोजैक्टस 4.20 रुपये के हिसाब से खरीदे हैं, हिमाचली युवा तब आगे आयेगा।

एक और बात मैं अंत में आपको कहना चाहूंगा कि कई पावर कम्पनीज़ हैं चाहे एस0जे0वी0एन0एल0 है, पब्लिक सैक्टर कम्पनी है, एन0टी0पी0सी0 है या एन0एच0पी0सी0 है। मोदी जी ने कल भी अपने भाषण में कहा कि सोलर पावर में हम विश्व में सबसे आगे जा रहे हैं। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि आप इन प्राइवेट कम्पनीज़ को भी मैंडेटरी करिये। यह मैंडेटरी नहीं है बल्कि ऑब्लीगेटरी है। उनको ऑब्लीगेटरी कीजिए कि हर साल आपको इतनी सोलर पावर परचेज़ करनी पड़ेगी, चाहे वह प्राइवेट इंवैस्टर है, चाहे वह गवर्नमैंट का इंवैस्टर है। हिमाचल में सबसे बड़ी कमी क्या है ...(व्यवधान)... एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जो संकल्प इन्होंने लाया है उसका मकसद यह है कि जिसके पास 50 बीघा जगह है वह चार मैगावाट तक सोलर पावर प्रोजैक्ट लगा सकता है क्योंकि हमारी लैंड स्लांटिंग है, पहाड़ी है। कई जगह स्लांटिंग में सोलर पावर प्रोजैक्ट लगेंगे, कई जगह प्लेन है, सेमी-हिल्ज़ हैं, घासनियां हैं, अगर हम उन घासनियों का सही उपयोग करेंगे और पब्लिक सैक्टर की जो हमारी कम्पनियां हैं चाहे एन0टी0पी0सी0 है, एस0जे0वी0एन0एल0, इनको मैंडेटरी कह देंगे कि प्राइवेट से भी सोलर पावर खरीदनी है तो मेरा मानना है कि हिमाचल के काफी युवाओं को फायदा होगा, जिनके पास जगह है और यह सोलर ऊर्जा नीति सफल होगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि आप खासकर इन दो बातों पर ध्यान दें। जो लखविन्द्र राणा जी ने भविष्य की ज़रूरतों को देखते हुए संकल्प लाया है वह आने

वाली युवा पीढ़ी के लिए तभी लाभदायक होगा अगर आप इसमें कुछ सुधार करेंगे, धन्यवाद।

उपाध्यक्षः अब चर्चा में भाग लेने के लिए मैं माननीय सदस्य, श्री हीरा लाल जी को आमंत्रित करता हूं।

श्री हीरा लाल (करसोग): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संकल्प माननीय सदस्य, श्री लखविन्द्र राणा जी लेकर आए हैं, मैं भी उसमें अपने विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपका धन्यवाद।

माननीय उपाध्यक्ष जी, बिजली हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिजली से ही हमारा जीवन चलता है। हिमाचल प्रदेश के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि इसको भी बिजली का राज्य घोषित किया गया है। यहां पर भी बहुत सारे प्रोजैक्टस लगे हैं। आज़ादी से पहले हिमाचल प्रदेश में तीन बिजली के प्रोजैक्ट लगे थे। सबसे पहले चम्बा में 1908 में भूरि सिंह प्रोजैक्ट लगा था। उसके बाद शिमला में चाबा का प्रोजैक्ट लगा जोकि हमारे करसोग के साथ है। उससे 1913 में शिमला के लिए बिजली मिली है। उसके बाद मंडी में 1926 में शानन नामक प्रोजैक्ट लगा है। मैं अपने सांसद, श्री रामस्वरूप शर्मा जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि शानन प्रोजैक्ट का समझौता हिमाचल गवर्नमैंट से 100 वर्ष का हुआ है जोकि 1926 में कम्प्लीट होगा।

मैं केन्द्रीय सरकार में प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने सौर ऊर्जा क्रांति लाई और इसके महत्व को समझा है। आज इसमें हिमाचल प्रदेश में 80 परसैंट सबसिडी दी जा रही है, चाहे किसान की फसलें हों, फसलों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए सौर बाड़ योजना है। इसमें 80 परसैंट सबसिडी दी जा रही है। हमारे करसोग के अंदर भी लगभग 40 किसानों ने इस सौर बाड़ सबसिडी को लिया है। इसके साथ-साथ जो हमारी ग्रामीण उठाऊ सिंचाई योजना है इसको भी सौर ऊर्जा के माध्यम से उठाया जा रहा है। आज हमारी छत पर रूफ टॉप सोलर बिजली जनरेट की जा रही है। इसमें भी 80 परसैंट सबसिडी दी जा रही है। केन्द्र सरकार ने एक मैगावाट बिजली प्रोजैक्ट के लिए सबसिडी दी है। सबसिडी के माध्यम अगर इसको लगाते हैं तो केवल 11945 रुपये ही जमा करवाने की आवश्यकता है। आज यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि

जलवायु परिवर्तन हो रहा है। बिजली के लिए पानी की कमी हो रही है। बिजली का उत्पादन कम हो रहा है। इसलिए सौर ऊर्जा हमारे पास दूसरा संसाधन है, इसको

08.02.2019/1650/केएस/डीसी/1

केन्द्र सरकार ने तो पहले से ही इसको महत्व दिया है, मोदी सरकार ने पहले से 70 और 80 परसेंट इसमें सबसिडी दी है और हिमाचल सरकार भी, माननीय ठाकुर जय राम जी भी इस पर बहुत गम्भीर है। ये भी इस दिशा में आगे कदम उठा रहे हैं। मैं समझता हूं कि हिमाचल सरकार आने वाले समय में सौर ऊर्जा पर एक अच्छी प्लान बनाएगी ताकि हिमाचल के सभी गांव में सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली पहुंचे। यह संकल्प अडॉप्ट नहीं हो सकता क्योंकि हिमाचल और केन्द्र सरकार पहले से ही इस दिशा में गम्भीर है। उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य श्री रमेश चन्द ध्वाला जी।

श्री रमेश चन्द ध्वालाः माननीय उपाध्यक्ष जी, इस संकल्प पर मैं केवल दो बातें करना चाहता हूं क्योंकि यह लोगों के रोज़गार से जुड़ा हुआ संकल्प है। मैंने गुजरात में देखा है, वहां जगह-जगह एग्रिकल्चर परपज़ के लिए बिजली सौर ऊर्जा से ही उपलब्ध करवाई जा रही है। मैं तो माननीय महेन्द्र सिंह जी से भी कहूंगा कि आई.पी.एच. की जो बड़ी-बड़ी स्कीमें हैं क्योंकि इनमें हाईडल प्रोजैक्ट से आधे पैसे लगते हैं इसलिए मेरा इतना ही कहना है कि ये जो 50 किलोवाट, 100 या 200 किलोवाट, 1000 किलोवाट और 1000 से 1500 किलोवाट तक के प्रोजैक्ट्स में, जो बेरोज़गार आज सड़कों पर घूम रहे हैं, इनमें उनको कम से कम 60 हजार इन्कम हो सकती है। मेरी गुजारिश है कि एग्रीकल्चर परपज़ के लिए भी और इरिगेशन के लिए भी आज सौर ऊर्जा की जरूरत है। दूसरा, इससे लोगों को रोज़गार मिलेगा। जो बच्चे आज डिग्री ले कर आ रहे हैं, वे जगह-जगह घूम रहे हैं इसलिए मेरी माननीय मंत्री जी से सिफारिश है कि इन बच्चों को जिन लोगों के पास जमीन नहीं है, कम से कम फोरैस्ट लैंड लीज़ पर दे कर, वहां सौर ऊर्जा के माध्यम से बच्चों को रोज़गार

उपलब्ध करवाया जाए। मैंने गुजरात में देखा है वहां 2 मैगावाट 4 मैगावाट, 5 मैगावाट के ट्यूबवैल चले हुए हैं । वह इलाका बहुत ही एडवांस है। मेरे इलाके में हमने दो-तीन जगह एक्सपैरिमैंट किया है, जहां पर धूप लगती है। जैसे सुखराम जी कह रहे थे कि इतनी जगह में, कम से कम एक मैगावाट के लिए खर्चा लगभग 4 से 6 करोड़ लगेगा और हाईडल प्रोजैक्ट लगाना है तो 10 से 15 करोड़ रु0 तक खर्चा आएगा । इसलिए मेरा कहना है कि पहली प्राथमिकता बेरोज़गार बच्चों को वहां पर फोरैस्ट लैंड मुहैया करवा कर वहां सौर ऊर्जा के प्रोजैक्ट लगा कर उनको दी जाए ताकि बेरोजगारी कम हो सके मैं इतना ही कहना चाहता हूं क्योंकि उपाध्यक्ष महोदय, लम्बी बात तो आप करने ही नहीं देंगे। धन्यवाद।

उपाध्यक्षः ध्वाला जी, हमने आपको खुला समय दिया था लेकिन अब क्योंकि माननीय मंत्री जी ने विस्तृत उत्तर देना है, यह महत्वपूर्ण विषय है, समय है नहीं । तो मुझे लगता है कि इसका उत्तर बाद में माननीय मंत्री जी देंगे। ...(व्यवधान)... नहीं, यदि आप चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी उत्तर दें तो माननीय मंत्री जी उत्तर दे देंगे ।

संसदीय कार्य मंत्रीः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, टाइम एक्सटैंड नहीं हो सकता।

उपाध्यक्षः ठीक है,

अब इस माननीय सदन की बैठक शनिवार, 9 फरवरी, 2019 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

शिमला-171 004 **यशपाल शर्मा,**
दिनांकः 8 फरवरी, 2019 **सचिव।**